खण्ड-108, अंक-4
शुक्रवार, 14 भाद्रपद, शक संवत् 1874
(5 सितम्बर, 1952 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 108 में 4 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ सितम्बर, १९५२

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३५३)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज़ इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख़्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज ख़ां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अशरफ अली ख़ां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमला सिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करण सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिका सिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केदार नाथ, श्री
केवल सिंह, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदा सिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्द वल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रपाल वाजपेयी, श्री

चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्र सिंह रावत, श्री.
चन्द्रहास,श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सग र, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा. श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजा सिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ट, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाज़िम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी राम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
फूल सिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलवीर सिंह कुंवर, श्री
बलवन्त सिंह कुंवर, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री

बिशम्भर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवती प्रसाद दुबे, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन मिश्र, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेव प्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदा देवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह कुंवर, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ तिवारी, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री

रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विश्वम्भर नाथ पांडेय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार पाण्डेय, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जन देवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायण दत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सफ़िया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री

हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरि सिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आगरा ज़िले में अतिवृष्टि से हानि

*१--श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि आगरा जिले की सदर तहसील में भीषण वर्षा होने के कारण २०० गांव पानी में डूब गये हैं और कोई २५,००० आदमी बेघर-बार होकर धर्मशाला और सड़क पर पड़े हैं?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---ऐसी कोई सूचना तो सरकार को नहीं मिली है कि आगरा जिले की सदर तहसील में २०० गांव पानी में डूब गये हैं और २५ हजार आदमी बेघर-बार हो कर धर्मशाला और सड़क पर पड़े हैं। जो सूचना सरकार के पास जिलाधीश से अभी तक आई है उसका सारांश यह है। १८ और २१ अगस्त के बीच में बहुत अधिक वर्षा होने के कारण आगरा और किरावली तहसीलों के करीब २०० गांव में बर्षा से बहुत हानि हुई है। इन गांवों की फसलें पानी में डूब गई हैं और मकानों को भी बहुत अधिक नुक्सान पहुंचा है। शहर में मकानों को हानि हुई है विशेष कर गरीबों की बस्तियों में। कितने आदमी बेघर बार हो गये हैं इसकी सूचना अभी सरकार के पास नहीं आई है।

*२--श्री देवकीनन्दन विभव---यदि हां, तो क्या सरकार बेघर लोगों की सहायता के लिए शीघ्र कोई क़दम उठायेगी?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जिले के सभी अधिकारी जिलाधीश से लेकर पटवारी तक इन गांवों में घूम रहे हैं और हर तरह की मदद लोगों को पहुंचा रहे हैं। सब से पहला कार्य जो लिया गया वह पानी को बाहर निकालने का था, सरकार ने ५,००० रु० सहायता कार्य के लिये भेजे हैं। जिसमें से कुछ धन चटाई, बांसों और झोपड़ी बनाने के सामान पर व्यय किया जा चुका है जनता से भी सहायता के लिये अपील भी की गई है और आशा है कि धन काफी इकट्ठा हो जायगा। बाढ़ पीड़ितों के लिये ८,००० मन मोटे अनाज का भी इन्तजाम कर दिया गया है, इस क्षेत्र में तकावी बांटने के लिये एक लाख पचास हजार रुपया स्वीकृत किया जा चुका है। दवाइयां भी बांटी जा रही हैं जिससे बीमारी न फैलने पाये। जिला अधिकारी सतर्क हैं और सब तरह की सहायता दी जा रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को ऐसी भी कोई सूचना मिली है कि २३, २४, २५ अगस्त को भी बहुत ज्यादा बारिश हुई?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---बाद में भी यह सूचना प्राप्त हुई है कि बारिश अधिक हुई।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी को यह विदित है कि आगरा जिले के डिस्ट्रक्ट हैल्थ आफिसर ने वहां ऐण्टी मलेरियल मेज़र्स के लिये क्लैक्वीन दवाई की आवश्यकता बतलाई है? यदि हां, तो उसके लिये क्या प्रबन्ध किया गया?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---ऐण्टी मेलेरियल मेजर के लिये इन्तजाम किया गया है। किसी दवाई की आवश्यकता है इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन आदेश यह दिया गया है कि वहां पर मलेरिया की रोकथाम की जाय।

टेस्ट और रिलीफ वर्क्स पर काम करने वालों की मजदूरी

*३—श्री विष्णुशरण दुब्लिश (जिला मेरठ)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि फ़ैमिन कोड के अनुसार टेस्ट और रिलीफ वर्क्स पर काम करने की मजदूरी पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों के लिये अलग-अलग क्या है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—

श्रेणी मजदूर	निकटतम बाजार में प्राप्त सबसे सस्ते अन्न की मिकदार जिसका मूल्य मजदूरी के रूप में दिया जाय
अ	ब श्रेणी से १ पैसा अधिक का
ब	१८ छटाक
स	१४ छटांक
द	१० छटांक

:: स्त्रियों को पुरुषों से १ पैसा कम मिलना चाहिये (टेस्ट वर्क्स में)।

अ. श्रेणी में मेट तथा विशेष गैंग सम्मिलित हैं,
ब. श्रेणी में फावड़ा चलाने वाले,
स. श्रेणी में ढोने वाले,
द. श्रेणी में बच्चे।

*४—श्री विष्णुशरण दुब्लिश—उक्त कोड के अनुसार आजकल के भावों को देखते हुये क्या मजदूरी ठहरती है और सरकार पूर्वी जिलों में किस दर से मजदूरी दे रही है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—रिलीफ वर्क में जो लोग कार्य करते हैं उन्हें ए० पी० योजना के अन्तर्गत ३ सेर १२ छटांक के भाव का गल्ला मिलता है। इसके अनुसार जो मजदूरी फेमिन कोड के अनुसार उन्हें मिलनी चाहिये तथा जो मिलती है वह नीचे दी गई है।

श्रेणी	फेमिन कोड के अनुसार			जो शासन ने मंजूर की है		
	रु०	आ०	पा०	रु०	आ०	पा०
अ	०	५	०	०	१२	०
ब	०	४	६	०	१०	०
स	०	३	६	०	८	०
द	०	२	६	०	६	०

स्त्रियां अधिकतर 'स' श्रेणी ही में कार्य करती हैं अतः उन्हें ८ आने मिलता है।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि यह जो मजदूरी का रेट यहां पर दिया गया है क्या वह सब जिलों में यकसां मिलता है ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य—जितने टेस्ट वर्क हैं वहां सब जगह वह यूनिफार्म है।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश—क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि हर टेस्ट वर्क में जो मजदूर आते हैं उन की संख्या नियत है या जितने भी आ जाते हैं उन सब को काम दिया जाता है ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—गोरखपुर को छोड़कर और कहीं भी संख्या पर पाबन्दी नहीं है। सिर्फ गोरखपुर में यह किया गया है कि ३ आदमियों के पीछे एक आदमी को काम मिलेगा जैसे जिस घर में ५ या ६ होंगे उन में से २ को मिलेगा और ९ तक हों तो ३ को मिलेगा यानी हर ३ के पीछे एक को काम मिलेगा। यह सहूलियत के लिये किया गया है वरना दूसरी जगह अमल में कोई अन्तर नहीं है। अमूमन एक कुटुम्ब में ५ आदमी होते हैं उन में से ३ एडल्ट होते हैं और इस तरह से भी ३ के पीछे एक ही पड़ता है।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश---गोरखपुर में जो और जिलों से फर्क किया गया है क्या वह इसलिये किया गया है कि वहां की हालत और जिलों से बेहतर है ?

श्री चरण सिंह---यह तो केवल सहूलियत के लिये किया गया है, कोई बेहतरी या बदतरी का सवाल नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि दस आने से अधिक मजदूरी कहीं नहीं मिलती है ?

श्री चरण सिंह---१० आना, ८ आना और ६ आना इसी हिसाब से पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को मजदूरी मिलती है, १२ आना तो केवल मेट को मिलते हैं आम तौर पर १२ आने की कोई बात नहीं है।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य ने यह पूछा कि कहीं दस आने से अधिक भी दी जाती है ?

श्री चरण सिंह---उन के सवाल से ऐसा मालूम होता है कि उनको भ्रम हो गया है कि जो जवाब में कहा गया है उस में १२ आने की श्रेणी के भी लोग हैं। मैंने उनको बतला दिया कि १२ आने तो केवल मेट के लिये हैं और बाकी सब के लिये तो वही दस आने तक का रेट है।

श्री गेंदा सिंह---क्या मंत्री जी को मालूम है कि १२ आना मजदूरी देवरिया और गोरखपुर में, जिन श्रेणियों के लिये उन्होंने कहा है उन को भी नहीं दी जाती है ?

श्री चरण सिंह---दस आने, आठ आने और छः आने का रेट जिन-जिन के लिये बतलाया गया है उसके अनुसार दी जाती है। बाकी १२ आने मेट को दिये जाते हैं या नहीं इस की सूचना अभी मेरे पास नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---क्या सरकार कृपा कर के बतावेगी कि स्त्रियों को वेतन मर्दों से क्यों कम दिया जाता है ?

श्री चरण सिंह---उन से हल्का काम होने का लिया जाता है।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही है कि टेस्ट वर्क पर आने वाले लोगों में से लौटा भी दिये जाते हैं ?

श्री चरण सिंह---शुरू में ऐसी शिकायत एक आध जगह हुई, उस वक्त तक ठीक इंतजाम नहीं हुआ था लेकिन अब शिकायत यह है कि वहां आने वालों की तादाद कम है ।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि टेस्ट वर्क पर काम करने वाले मजदूरों को बारह-बारह दिन तक मजदूरी नहीं दी जाती है ?

श्री चरण सिंह---आमतौर पर ऐसा कहना गलत है ।

श्री व्रज भूषण मिश्र (जिला मिरजापुर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर के बतलावेंगे कि मजदूरों को जो मजदूरी दी जाती है उनसे खंती नाप कर काम भी लिया जाता है ?

श्री चरण सिंह---जी हां, नाप कर काम लिया जाता है ।

श्री विष्णुशरण दुब्लिश---क्या कुछ जगह में जो रेट्स बताये गये हैं उनसे कम या अधिक भी मजदूरी दी जाती है ?

श्री चरण सिंह---मर्दों को १० आने और स्त्रियों को ८ आने मिलते हैं । कहीं-कहीं मनुष्य की तन्दुरुस्ती के अनुसार और काम के अनुसार कुछ फ़र्क़ जिला मैजिस्ट्रेटों ने कर दिया है और ऐसा करने का उन्हें अधिकार है।

*५---६---श्री राज नारायण (जिला बनारस) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २८० पर]

तारांकित प्रश्न

मल्हाजनी (इटावा) में एक विधवा की आत्महत्या तथा एक स्त्री का कत्ल

*१---श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)---क्या गृह मंत्री महोदय को विगत मई या जून माह में मुन्शीलाल कहार, जगसरा-जिला इटावा की कोई दरख्वास्त मिली है कि उसकी एक निकट संबंधी विधवा महिला मिट्टी का तेल डाल कर ग्राम मल्हाजनी, थाना जसवन्त-नगर (इटावा) में जला डाली गयी ?

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णा नन्द)---जी हां, किन्तु जांच से ज्ञात हुआ है कि उसकी मृत्यु आत्महत्या के कारण हुई है।

श्री गजेन्द्र सिंह---क्या सरकार कृपा करके बतावेगी कि इस आत्महत्या का क्या कारण था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसका कुछ ठीक कारण तो पता नहीं लग सका क्योंकि वह स्त्री इतनी जल गई थी कि कुछ बयान नहीं दे सकी। कुछ दो एक लोगों ने उसे यह कहते सुना कि ईश्वर की ऐसी ही मरजी थी। ऐसा कुछ पता लगता है कि इसका पति कुछ जायदाद छोड़कर मरा था और कुछ लोग इसे विवाह करने पर मजबूर करना चाहते थे। ऐसा मालूम होता है कि इन बातों से ऊब कर उसने आत्महत्या कर ली।

श्री गजेन्द्र सिंह---यह जांच सरकार ने किस के द्वारा कराई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो पुलिस के जरिये होते हैं उन्हींके द्वारा जांच हुई ।

श्री गजेन्द्र सिंह---क्या सरकार को मालूम है कि गत ८ जून को वहां एक पब्लिक मीटिंग हुई जिसमें उस विधवा की मृत्यु के बारे में स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे किसी ऐसी मीटिंग की सूचना नहीं है ।

*२---श्री गजेन्द्र सिंह---क्या सरकार को पता है कि १३ जून की रात को एक दूसरी स्त्री का क़त्ल मल्हाजनी थाना जसवन्त नगर (इटावा) में हो गया ? क्या एक गांव में एक माह के अन्दर दो क़त्लों के पीछे किसी षड़यंत्र की सरकार आशंका समझती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । किन्तु इन दोनों मृत्यूओं के पीछे किसी षड़यंत्र की आशंका नहीं समझी जाती।

बाराबंकी जिले के आनरेरी कोर्टों के कर्मचारियों का वेतन मिलने में विलम्ब

*३---श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (जिला बाराबंकी)---क्या यह सत्य है कि बाराबंकी जिले में आनरेरी कोर्टों में काम करने वाले क्लर्कों और चपरासियों को अप्रैल, मई, जून, सन् १९५२ का वेतन अभी तक नहीं मिला है। यदि हां, तो सरकार इस ओर क्या क़दम उठा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिलाधीश, बाराबंकी को २५ जुलाई, १९५२ ई० को आज्ञा जारी की गई थी कि आनरेरी कोर्टों में काम करने वाले क्लर्कों और चपरासियों को ३१ जुलाई, १९५२ तक का वेतन शीघ्र दे दिया जाय। जिलाधीश ने यथोचित वेतन का वितरण कर दिया है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---यह वेतन इतने दिनों तक किसकी असावधानी से नहीं दिया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिले के अधिकारियों से कुछ थोड़ी सी असावधानी हो गई।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---क्या सरकार उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---ऐसी आशा की जाती है कि अब ऐसी गलती नहीं होगी।

जिला बुलन्दशहर में डकैतियां

*४---श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष में कितनी डकैतियां हुई हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सन् १९५१ में ९३५ डकैतियां पड़ीं।

*५---श्री धर्मसिंह---जिला बुलन्दशहर में पिछले वर्ष कितनी डकैतियां हुई और कितने डकैतों को दंड मिला ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिला बुलन्दशहर में १९५१ में २३ डकैतियां पड़ी और ४२ डकैतों को दंड मिला।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इतनी डकैतियों के फैलने का क्या कारण है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह बड़ा व्यापक प्रश्न है। प्रश्न के थोड़े से समय में इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। पुलिस के बजट के समय इसका जिक्र हो चुका है।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)---क्या गृह मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो डकैतियों की संख्या बतलाई गई है उनमें ऐसी भी डकैतियां हैं जो पहिले चोरी या मारपीट में दर्ज की गई थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस वक्त इसका जवाब देना बड़ा कठिन है, हर जिले की बात है इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*६---श्री धर्मसिंह---भविष्य में इन डकैतियों को रोकने के लिये सरकार क्या क़दम उठाने जा रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---समस्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सक्रिय अपराधियों पर नियंत्रण रखना और उन्हें डकैतियां करने से रोकने का आदेश दिया गया है। विशेष पेट्रोलिंग के आदेश भी जारी किये गये हैं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पुलिस विभाग के अधिकारियों को जो आदेश दिये गये हैं उनका उन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं समझता हूं अच्छा प्रभाव पड़ा है।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी अफ़सरों ने उसके हुक्म की पाबन्दी की ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, सरकारी अफ़सरों ने ज़रूर ही हुक्म की पाबन्दी की।

हरिजन थानेदार

*७---श्री पुत्तू लाल (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों के अन्दर कितने हरिजन थानेदार बनाये गये और इसी समय के अन्दर कितने हरिजन थानेदार नौकरी से निकाले गये और क्यों? हरिजन थानेदारों के निकालने से जो स्थान खाली हुये उन स्थानों की पूर्ति किस वर्ग के व्यक्तियों द्वारा की गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पिछले पांच वर्षों में भर्ती किये गये हरिजन थानेदारों की संख्या निम्नांकित है :---

१९४७	..... १७
१९४८	..... २७
१९४९	..... ४
१९५०	..... ६
१९५१	..... ८

उक्त अवधि के अन्दर ६ हरिजन थानेदार नौकरी से अलग किये गये हैं। यह लोग ठीक-ठीक काम न करने या रिश्वत लेने के अपराध में पृथक किये गये।

यह ठीक-ठीक कहा नहीं जा सकता कि रिक्त स्थानों में किन-किन वर्ग के थानेदारों की भर्ती की गई, क्यों कि थानेदारों का चुनाव व्यक्तिगत रूप से नहीं किया जाता है।

श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार यह बतलाने का कष्ट करेगी कि ६ थानेदारों में से उन थानेदारों की संख्या क्या है जिन्होंने रिश्वत ली और जिनको भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत सजा मिली ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उन लोगों के ऊपर प्रायः डिपार्टमेंटल कार्यवाही हुई इसलिये भारतीय दंड विधान की धारा का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार उन थानेदारों के नाम बताने की कृपा करेगी जो निकाले गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं बतला तो सकता हूं। उनके नाम मेरे पास हैं लेकिन यह उनके हक़ में अच्छी बात नहीं होगी। इसलिये कि ४-५ दिन हुये कुछ हरिजन सदस्य इस विषय में मुझसे मिले थे और मुझे दरख्वास्त दी थी कि उनके बारे में विचार किया जाय। अगर यहां उनका नाम बतलाया गया तो उनका केस चौपट हो जायगा।

बलिया जिले के मजदूरों को बिहार से मजदूरी में मिला हुआ अनाज लाने की मनाही

*८---श्री मान्धाता सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार को मालूम है कि बलिया जिले से हजारों खेतिहर मजदूर धान की कटाई के लिये हरसाल बिहार जाते हैं और जब वे कटाई कर के लौटते हैं तो मजदूरी में मिला हुआ ग़ल्ला बिहार सरकार द्वारा इस पार अपने साथ लाने नहीं पाते ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--- जी हां।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मामला केवल बलिया का ही नहीं है बल्कि जितने ज़िले बिहार की सरहद पर हैं उन सब ज़िलों का मामला है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां।

*९---श्री मान्धाता सिंह---क्या सरकार इस वर्ष पुराने कार्यों की पुनरावृत्ति न हो सके, इसके लिये कोई ऐसा क़दम उठाने को तैयार है कि वे मजदूर अपनी मजदूरी में पाये हुये ग़ल्ले को अपने साथ इस पार ला सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उत्तर प्रदेश की सरकार इसके लिये बिहार सरकार से पहले ही से लिखा-पढ़ी कर रही है । बिहार सरकार ने वचन दिया है कि वह इसका विचार करने के बाद अक्तूबर, १९५२ में इसका जवाब देगी।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस मसले को लेकर बिहार में एक आन्दोलन चला था शाहाबाद ज़िले में जिसमें बहुत से लोग जेल गये थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बिहार के आन्दोलन की मुझको खबर नहीं है ।

*१०---११---श्री बेचनराम गुप्त (जिला बनारस)---[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

१९५०-५१ में हरिजन विद्यार्थियों को सहायता

*१२---श्री रामलाल (जिला बस्ती)---क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सम्पूर्ण जिलों में सन् १९५०-५१ में हरिजन विद्यार्थियों को कुल कितनी छात्रवृत्तियां तथा सहायता दी गयी और प्रत्येक कितने-कितने रुपये की थी ?

शिक्षा मन्त्री के सभा सचिव (डाक्टर सीताराम)---उत्तर प्रदेश के संपूर्ण जिलों में सन् १९५०-५१ में हरिजन विद्यार्थियों को जो छात्रवृत्तियां दी गई उनका विवरण पत्र माननीय सदस्य के सम्मुख उपस्थित है । छात्रवृत्तियों की दर कक्षाओं के अनुसार विभिन्न होती है। पुस्तकों की अनावर्त्तनीय रक़म के वितरण की कोई दर निर्धारित नहीं है । आवश्यकतानुसार दर निश्चित कर दी जाती है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३५६ पर)

श्री रामलाल---क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सहायता प्रदेश के जिलों की जन संख्या के लिहाज से दी जाती है या विद्यार्थियों की जन संख्या के लिहाज से दिया जाता है ?

डाक्टर सीताराम---विद्यार्थियों की तादाद के अनुसार दी जाती है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी (जिला गोंडा)---क्या वजीर तालीम साहब यह बतायेंगे कि यह सहायता जो दी जाती है वह किस की सिफारिश पर दी जाती है ?

डाक्टर सीताराम---फर्स्ट क्लास से इंटरमीडिएट तक जो वजीफा दिया जाता है वह जिलों में जो हरिजन सहायक बोर्ड बने हुये हैं, जिनके चेयरमैन कलेक्टर होते हैं, उनकी और जो सेक्रेटरी होते हैं उनकी सिफारिश पर यह वजीफ़ा जिलों में दिया जाता है । जहां तक यूनिवर्सिटी का सवाल है वहां पर वजीफा प्रान्तीय हरिजन सहायक आफिसर की सिफारिश पर दिया जाता है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि छात्रवृत्तियों की सिफारिश प्रत्येक जिले की जन संख्या या विद्यार्थियों की जन संख्या के अनुपात से नहीं दी जाती है बल्कि लगभग समानरूप से बांट दी जाती है ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---इसका उत्तर तो दे दिया गया, छात्रवृत्तियां लड़कों की संख्या पर दी जाती हैं ।

बस्ती जिले के थाना तिलोकपुर इटवा के अन्तर्गत कत्लों के सम्बन्ध में कार्यवाही

*१३---श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि थाना तिलोकपुर इटवा, ढेवरुआ, जिला बस्ती में पिछले २ वर्षों में हत्या अपराध की कितनी घटनायें थानों में रजिस्टर्ड हुईं और कितनों में अपराधी के चलान हुये तथा कितने दण्ड पाये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी गई सूचना संलग्न नकशे में देखी जा सकती है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३५९ पर)

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ये थाने नैपाल सरहद के निकट हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मुझे ठीक सूचना नहीं है। लेकिन सम्भव है कि ऐसा हो।

श्री रामलखन मिश्र---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन थानों पर सब-इंस्पेक्टरों की नियुक्ति साधारण तौर से होती है या किसी विशेष विचार विनिमय के बाद ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---साधारण तरीके से होती है। लेकिन जो बार्डर पर थाने हैं वहां पर इस बात की जरूर कोशिश की जाती है कि मुस्तैद और अच्छे थानेदार रखे जायं।

*१४---१६---श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---

[देखिये आगे पृष्ठ २८०-२८१पर।]

गोरखपुर जिले में १९५०-५१ में क़त्ल और डकैतियां

*१७---द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में सन् १९५० और १९५१ के बीच कितनी डकैतियां और हत्यायें हुईं ?

*१८---क्या सरकार को यह अवगत है कि उनमें से कितने मुक़द्दमें जजी भेजे गये और उनमें से कितने अपराधियों को सजा मिली और कितने छूट गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मांगी हुई सूचना साथ में नत्थी नकशे में देखी जा सकती है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३६० पर)

श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर में सन् १९५० और ५१ के २१ तहकीकात के केसों में से ९ पर क्यों नहीं मुक़दमे चलाये गये और इसी प्रकार सन् ५० और ५१ में जो ६३ हत्यायें बताई गई हैं उनमें से २४ हत्याओं पर क्यों नहीं मुकदमें चलाये गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिन मुक़दमों की काफी सामग्री मिल जाती है वही मुकदमे चलाये जा सकते हैं।

गोरखपुर जजी के सरकारी वकीलों का वेतन

*१९---श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर में जजी के मुक़दमे की पैरवी के लिये कौन-कौन से सरकारी वकील हैं और सरकार द्वारा उन्हें क्या वेतन दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गोरखपुर में जजी के मुक़दमों की पैरवी करने के लिये गोरखपुर के सरकारी वकील श्री रामनारायण लाल तथा देवरिया के सरकारी वकील श्री मुहम्मद-नसीम नियुक्त हैं जिन्हें फौजदारी के मुक़दमों में अदालत में प्रतिदिन ढाई घंटे या इससे अधिक काम करने पर ३० रुपया दिया जाता है और इससे कम घंटे काम करने पर केवल आधा वेतन अर्थात १५ रुपया दिया जाता है । इनकी सहायता के लिये सर्व श्री मुहम्मद अहमद, जगदम्बा प्रसाद पांडे, महिपत राय, हरनारायण लाल तथा नरबदा प्रसाद पेनल लायर (सरकारी वकील) हैं जिन्हें प्रति दिन १६ रुपया दिया जाता है और ढाई घंटे से कम काम करने पर आधा पारिश्रमिक अर्थात ८ रुपया दिया जाता है ।

*२०-२१---श्री तिरमल सिंह (जिला एटा) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २८१ पर]

बांदा जिले में चोरी व डाके

*२२---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले में १९५१ में चोरी-डाके के कितने जुर्म हुये हैं और सन् १९५२ में अब तक कितने जुर्म हुये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बांदा जिले में सन् १९५१ में २ डाके और ५२४ चोरी के जुर्म हुये। सन् ५२ में ३१ जुलाई तक ५ डाके पड़े और २८५ चोरियां हुईं।

बुन्देलखण्ड में किसानों को बन्दूकों के लाइसेंस

*२३---श्री जगपति सिंह---क्या सरकार बुन्देलखण्ड में टोपीदार बन्दूकों को ५० फ़ीसदी नेक चाल चलन के किसानों को देने की कृपा करेगी जिससे वह अपने खेतों की रक्षा कर सकें ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं कि वे विश्वासपात्र और सच्चरित्र किसानों को खेती की रक्षा के लिये उदारतापूर्वक टोपीदार बन्दूकों के लायसेंस दें तथा उनकी ऐसी बंदूकें प्राप्त करने में भरसक सहायता करें।

जिला बोर्ड बस्ती का पढ़ाई की फीस बढ़ाना

*२४---श्री राजा राम शर्मा---(जिला बस्ती) क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड, बस्ती ने सरकार से कर्जा न मिलने के कारण अध्यापकों को नये दर से वेतन देने के लिये सरकारी आदेश से बाध्य होकर पढ़ायी की फीस बढ़ा दी है ?

डाक्टर सीताराम---जिला परिषद् बस्ती को ७५,००० रु० का ऋण दिया गया है। फीस बढ़ाने के लिये बाध्य नहीं किया गया है ।

श्री राजा राम शर्मा---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी आदेशानुसार बस्ती जिले में अध्यापकों का जो वेतन बढ़ाया गया है उसमें सालाना कितना रुपया लगता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी पूर्व-सूचना चाहिये।

*२५---श्री राजाराम शर्मा---क्या शिक्षा मंत्री बस्ती जिला बोर्ड को अभाव ग्रस्त विद्यार्थियों की फीस माफी के लिये कुछ सहायता जिला बोर्ट बस्ती को देने के लिये विचार कर रहे हैं ? यदि उत्तर हां में है, तो कितना रुपया इस मद में देने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम---ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या शिक्षा मंत्री को यह ज्ञात है कि अभावग्रस्त होने के कारण बहुत से विद्यार्थियों ने फीस न देने की वजह से पढ़ना लिखना छोड़ दिया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---संभव है ऐसा हुआ हो, लेकिन सरकार को इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री राजा राम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ भी आगई है वहां के विद्यार्थियों की फीस माफ करके सरकार उनकी सहायता करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---हां, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी---क्या गवर्नमेंट मेहरबानी करके बतलायेगी कि गरीबी की वजह से जो स्टूडेंट्स न पढ़ सके और स्कूल से बाहर चले गये अगर वे दोबारा दरख्वास्त दें तो उनकी फीस माफ करके उनको दोबारा स्कूल में दाखिल किया जा सकेगा ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आइन्दा क्या-क्या होगा इसको अभी से बता देना बड़ा मुश्किल है।

१९५२ में देहरादून में पी० ई० सी० का कैम्प

*२६---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा (जिला कानपुर)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जून, १९५२ में पी० ई० सी० का जो कैम्प देहरादून में हुआ उसमें कितने शिक्षार्थियों ने भाग लिया और उसमें कितना रुपया खर्च हुआ ?

डाक्टर सीताराम---

(क) ९९ नये शिक्षार्थियों तथा ९२ रिफ्रेशर्स कोर्स के लिये,

(ख) लगभग १७,००० रुपया ।

श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि दो सौ विद्यार्थियों की ट्रेनिंग के लिये १७ हजार रुपया खर्च हुआ, क्या यह इतना अधिक इसलिये खर्च हुआ कि उनके पीने के लिये पानी फायर ब्रिगेड की कारों पर मंगवाया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---अब यह अधिक है या नहीं इस पर कोई भी निर्णय नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह खर्च तो कई कारणों से हुआ ही होगा।

*२७---श्री व्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या सरकार के पास इस कैम्प में पानी की तथा पाखानों की व्यवस्था खराब होने के संबंध में कोई शिकायत आयी थी ?

डाक्टर सीताराम---जी नहीं।

श्री ब्रजविहारी मेहरोत्रा---क्या इन विद्यार्थियों को पैखाना और पेशाब करने के लिये मैदान में जाना पड़ता है और उनके लिये फ्रेंच लेट्रिन्स और बोरहोल लैट्रिन्स नहीं बनवाये गये हैं।

डाक्टर सीताराम---ऐसी बात नहीं है। उनके लिये १२ पक्के लैट्रिन्स बनाये गये हैं।

*२८---श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २८१ पर]

थाना अहारन (आगरा) का तोड़ना

*२९---श्री पुत्तूलाल---क्या यह सच है कि जिला आगरे की एत्माद्पुर तहसील का थाना अहारन वहां से हटाकर बरहन ग्राम में रक्खा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---थाना अहारन से हटाकर बरहन ग्राम में रक्खा जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जिसका कारण यह है कि अहारन अपने हल्के के केन्द्र में स्थित नहीं है और वहां पर यातायात की बड़ी कठिनाई है। अहारन न तो रेलवे लाइन के पास है और न पक्की सड़क पर है। इसके विपरीत कहा जाता है कि बरहन ग्राम हल्के के केन्द्र में स्थित है तथा बरहन रेलवे स्टेशन के पास है। बरहन आगरा नगर से सड़क द्वारा मिला हुआ है। यहां पर थाने के स्टाफ को सरकारी अस्पताल, शिक्षा, डाकखाना तथा रेलवे स्टेशन की सुविधायें प्राप्त होंगी। इसके अतिरिक्त नित्य प्रति काम में आने वाली सभी वस्तुयें यहां सुगमता से प्राप्त हो सकती हैं।

*३०---श्री पुत्तूलाल---क्या सरकार उक्त थाने को उसी स्थान पर रखने के प्रश्न पर विचार करेगी?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक तो थाना अहारन में ही है। बिना अच्छी तरह सोच विचार किये कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं की जायगी।

पुलिस विभाग में महिलायें

*३१---श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिलायें पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इस समय पुलिस विभाग में एक महिला सब इन्सपेक्टर और दो महिला हेड कान्सटेबिल हैं।

श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती पर विचार कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जब यह नियुक्तियां की गई थीं तब यह तय हुआ था कि ३१ मार्च, १९५३ तक देखा जाय कि इस प्रयोग में क्या सफलता होती है और जब वह समय आवेगा तब उसके बाद ही निश्चय हो सकेगा।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबिल के पद पर कुछ महिलायें काम कर रही हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसमें लिखा हुआ है २ महिला हेड कांस्टेबिल ।

बखिरा बाज़ार (बस्ती) की धर्मशाला पर पुलिस का कब्जा

*३२---श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---क्या पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बखिरा बाज़ार (बस्ती) में पुलिस की कोई चौकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां । बखिरा बाजार बस्ती में पुलिस की एक अस्थाई चौकी है ।

*३३---श्री रामसुन्दर राम---क्या पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चौकी के सिपाही किसी धर्मशाले पर क़ब्जा किये है और कोई किराया भाड़ा भी नहीं देते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं । धर्मशाला के मालिक राजा साहब बस्ती की अनुमति से दो सिपाही धर्मशाला के एक भाग में मुफ्त रहते है ।

श्री रामसुन्दर राम---क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार किस आधार पर इस धर्मशाला को राजा साहब बस्ती का मानती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बस्ती का धर्मशाला जहां तक हम समझते हैं वहां के राजा का है और किसी ने अगर चैलेंज किया है तो आदालत से फ़ैसला हो जायगा कि उनका है या नहीं। जब तक कोई फ़ैसला नहीं हो जाता तब तक हम मानते है कि उनका है ।

*३४---श्री रामसुन्दर राम---क्या पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पुलिस बखिरा के इस धर्मशाले को कब तक खाली कर देगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह अस्थाई चौकी १९५० ई० में एक खास परिस्थिति में क़ायम की गई थी । बरसात बाद इस प्रश्न पर विचार किया जायगा कि अब इस चौकी की जरूरत है या नहीं है । अगर चौकी तोड़ दी गई तो धर्मशाला भी खाली कर दी जायगी ।

श्री सीताराम शुक्ल---बरसात के बाद अगर यह निश्चय हुआ कि चौकी वहां कायम रखी जाय तो क्या नयी चौकी बनवा कर वह धर्मशाला खाली कर दिया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---उस समय जैसी कुछ स्थिति होगी वैसा किया जायगा ।

*३५---श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २८१ पर]

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ट्रेंड ग्रेजुएटों का वेतन तथा नियुक्ति

*३६---श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में काम करने वाले योग्य ट्रेंड ग्रैजुएट अध्यापक जो अण्डर ग्रैजुएट में पांच वर्ष से भी अधिक समय का शिक्षण अनुभव प्राप्त कर चुके हैं उनको प्रचलित नियमानुसार ग्रैजुएट ग्रेड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं । रिक्त स्थायी पदों में से ३० प्रतिशत ग्रेजुएट सी० टी० के लिए सुरक्षित कर दिये गये हैं। इन पदों पर निर्वाचन करने के लिये विभागीय निर्वाचन समिति शीघ्र ही बैठने वाली है ।

श्री उमाशंकर——क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय निर्वाचन समिति की बैठक न होने के कारण नियुक्ति में जो विलम्ब हुआ उससे जो क्षति इन अध्यापकों को हुई है उसका उत्तरदायित्व किस पर है और क्या सरकार इन अध्यापकों की पदोन्नति पिछली तिथियों से निश्चय करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह——पिछली तिथियों से उनको कोई अधिक वेतन दिया जाय, यह नहीं होगा। जहां तक उत्तरदायित्व का सवाल है यह तो उनके साथ एक रिआयत की गयी है कि उनको भी ग्रैजुएट ग्रेड दिया गया है। इसमें उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न नहीं उठता।

*३७—श्री उमाशंकर——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि गत वर्ष के विज्ञापन के अनुसार ट्रेंड ग्रैजुयेट रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो नियुक्ति की गयी उसमें निर्धारित अनुपात से विभागीय योग्य ट्रेंड ग्रैजुएट अध्यापकों की नियुक्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री हरगोविन्द सिंह——जी नहीं। निर्वाचन समिति की अन्तिम बैठक मई, १९४९ में हुई थी तब से कोई बैठक न हो सकी इस कारण विलम्ब हो गया जैसा ऊपर कहा गया है यह बैठक शीघ्र होने वाली है। उसके उपरान्त नियुक्तियां की जांयगी।

थाना मधुबन के अंतर्गत ग्राम पलिया के सरजू मल्ल के घर में डकैती

*३८—श्री उमाशंकर——क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पलिया थाना मधुबन के श्री सरजू मल्ल के घर १९ जून, सन १९५२ की रात को डकैती हुई थी और घायल अकलूभर को लेकर २० जून के प्रातः जाने पर भी थाने में रिपोर्ट नहीं ली गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——१९ तारीख की रात को सरजूमल्ल के घर पर कोई डकैती नहीं हुई। रात को उनके घर के सामने कुछ लोगों ने उनके एक लाठी मारी और उनके लड़के अकूलभर को एक भाले से घायल कर दिया। इस की रिपोर्ट थाने में २२ तारीख को की गई और वह भारतीय दंड विधान की धारा ३२३/३२४ के अन्तर्गत लिखी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय——क्या सरकार को यह मालूम है कि अकलूभर की मृत्यु भाले लगने के कारण हो गई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द——इसकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

बरेली कालेज में अंग्रेजी विभाग के प्रोफ़ेसर

*३९—श्री नवल किशोर (जिला बरेली)——क्या सरकार को ज्ञात है कि बरेली कालेज में सरकारी जी० ओ० के विरुद्ध अंग्रेजी विभाग (English Department) में तीन प्रोफ़ेसर्स हैं जब कि किसी एक भाषा का केवल एक ही प्रोफ़ेसर होना चाहिए ?

श्री हरगोविन्द सिंह——जी हां।

श्री नवल किशोर——क्या यह सही है कि अंग्रेजी भाषा में तीन प्रोफ़ेसर्स के रखने के संबंध में आडीटर ने आपत्ति की थी फिर भी जी०ओ० के विरुद्ध उनको रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह——सिर्फ एक ही रखा गया है और जो दो रखे गये हैं उनके लिये सरकार कोई अनुदान नहीं देती है।

बरेली कालेज के बोर्ड आफ कण्ट्रोल का अनियमित घोषित किया जाना

*४०—श्री नवल किशोर—क्या यह सच है कि बरेली कालेज का बोर्ड आफ़ कंट्रोल ४० सदस्यों से कम रह जाने के कारण अनियमित घोषित किया जा चुका है कालेज का ख़र्च बिना बोर्ड आफ़ कंट्रोल को स्वीकृति के हो हो रहा है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—कोई घोषणा नहीं हुई है। खर्च प्रबन्ध समिति करती है।

श्री नवल किशोर—क्या यह सही है कि बरेली कालेज की मैनेजिंग कमेटी बोर्ड आफ कंट्रोल की धारा १४ के अनुसार खत्म हो चुकी है लेकिन फिर भी अनियमित रूप से वह काम करती है और गवर्नमेंट उसी को ग्रांट देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—गवर्नमेंट प्रबंधकारिणी को ग्रांट देती है और गवर्नमेंट समझती है कि कोई निर्णय वह नहीं दे सकती है कि उनकी ४० की कमेटी ठीक है या नहीं।

गवर्नमेंट हायर सेकण्डरी स्कूल मिर्जापुर के लिए प्राप्त की गयी भूमि का प्रतिकर

*४१—श्री व्रजभूषण मिश्र— क्या यह सच है कि गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूल, मिर्जापुर के लिये वहां के काश्तकारों की जो भूमि ली गयी उसमें एक ही क़िस्म की भूमि के लिये कुछ काश्तकारों को लगभग २०० बीघा के हिसाब से मुआविजा दिया गया, किन्तु कुछ किसानों को ४,०००) प्रति बीघा के हिसाब से मुआविजा दिया गया ? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

डाक्टर सीताराम—प्राप्त की गयी भूमि का मूल्य, जो कि नियमानुकूल अनुमानित किया गया था, किसानों की उनकी भूमि की एवज में देने के लिये घोषित किया गया था। केवल ४ किसानों को छोड़ कर शेष सभी ने अनुमानित धनराशि ले ली। इन ४ किसानों ने बड़ी आपत्ति प्रकट की और कहा कि उनकी भूमि छिनने से उन्हें बड़ी हानि पहुंची। उनके सरघना श्री होरीलाल ने अनशन भी किया। इनको खुश करने के लिये विशेष रूप से उन्हें ३,५०० रु० प्रति बीघा के हिसाब से दान दिया गया।

श्री दीनदयालु शर्मा (ज़िला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन सभी काश्तकारों को सरकार एक सा मुआविजा देने का विचार कर रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

श्री नेकराम शर्मा—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अन्य किसानों को किस रेट से मुआविजा दिया गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जो सरकारी रेट था उसी पर सब को मुआविजा दिया गया उनको इसलिये अधिक दिया गया कि उनके पास सिवाय भूमि के और कोई साधन नहीं था। यह पुनर्वास के तरीक़े पर अधिक रुपया दिया गया।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बतलायेगी कि कुछ काश्तकार ऐसे बच गये हैं जिनको देना बाक़ी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं। उन सब की जांच कर ली गयी है जिन काश्तकारों के पास इतनी ही जमीन थी जो इस कार्य के लिये ले ली गई और उनके पास बची नहीं थी और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं था, उनको दे दी गई और बक़िया जो बच गये हैं वे इस श्रेणी में नहीं आते।

श्री दीनदयालु शर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि वहां रहने वाले आदमियों ने इससे सस्ती जो दूसरी जमीन थी उसे देने का सुझाव दिया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी कोई सूचना नहीं है ।

*४२---श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या सरकार २००) मुआवजा पाने वालों को भी समान दर के हिसाब से रुपया देने को तैयार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सभी को तो नहीं, परन्तु ९ और किसानों को, जिनको कि लगभग उतनी हानि पहुंची है जितनी कि उक्त ४ किसानों को पहुंची थी, भी उसी दर से रुपया दिया जा रहा है ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---जिन काश्तकारों को २०० रुपये के हिसाब से मुआविजा दिया गया है उनके पास कितनी जमीन है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसकी पूर्व सूचना चाहिये।

ग़ाज़ीपुर ज़िले में चोरियां

*४३---श्री शिवपूजन राय (ज़िला गाज़ीपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि गत वर्ष ग़ाज़ीपुर ज़िले में कितनी चोरियां हुईं और उनमें कितने मुक़दमे चले ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---गत वर्ष ग़ाज़ीपुर जिले में २३० चोरियां हुईं जिनमें से ९५ मामलों में मुकदमे चलाये गये ।

श्री शिवपूजन राय---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन ९५ मुक़दमों में किस-किस क़िस्म की चोरियां सम्मिलित हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इतना तो बतला सकता हूं कि ९५ में २८ मामले पशुओं के चुराने के हैं और बाक़ी किस-किस क़िस्म के हैं वह नहीं कह सकता ।

*४४-४५---श्री जगन्नाथ मल्ल (अनुपस्थित)---[देखिये आगे पृष्ठ २८२ पर ।]

जिला बोर्ड रायबरेली के ग़बन संबंधी कागज़ात

*४६---श्री चन्द्रपाल वाजपेयी (रायबरेली)---क्या गृह मंत्री कृपा कर यह बतलायेंगे कि १९४९ में रायबरेली पुलिस को ज़िला बोर्ड के ग़बन की जांच के लिये जो महत्वपूर्ण हिसाब के काग़ज़ दिये गये थे वह क्या हो गये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जो काग़ज़ ज़िला बोर्ड के ग़बन की जांच के लिये पुलिस को दिये गये थे उनमें से कुछ को पुलिस मालखाना में दीमक खा गयी । बचे हुये काग़ज़ ज़िला बोर्ड को वापस भेजे गये जिसमें ८ दीमक खायी हुई पत्रावलियां ज़िला बोर्ड ने वापस कर दीं।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी को यह भी सूचना है कि इन काग़ज़ात का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेज़ाब डाल कर बरबाद किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं ठीक नहीं कह सकता कि दीमक ने किस तरह से इन काग़ज़ात को बरबाद किया।

श्री चन्द्रपाल वाजपेयी---यह नतीजा कैसे निकाला गया कि दीमक ने ही कागजात को खाया, क्या दीमक का कीड़ा पाया गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कुछ खासतौर से शिनाख्त दीमक की हो नहीं पाई।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इन महत्वपूर्ण कागजात के बरबाद होने से जिम्मेदार अफसरान को सजा देने का विचार है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी किसी खास आदमी की जिम्मेदारी साबित नहीं हुई। मालखाने में काग़जों को दीमक खा गई यह अफसोस की बात है, सिवा इसके क्या कहा जा सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (ज़िला मथुरा)---क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि काग़ज़ मालखाने में नियमानुसार रक्खे जा सकते हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं इस वक्त जाब्ते की बात तो नहीं कह सकता। रक्खे जा सकते होंगे इसी लिये रक्खे गये, इतना ही कह सकता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि नियमानुसार जो आर्टिकिल्स नाम की चीज़ है वही मालखाने में रक्खी जा सकती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---बहुत सम्भव है यह बात सही हो। इसकी मुझे इस वक्त इत्तिला नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये के ग़बन के ये काग़जात थे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---कोई १,२०० या १,३०० रुपये के ग़बन के काग़जात थे मुक़दमा चला लेकिन जिसके ऊपर ग़बन की बात थी वह सेशन से छूट गया।

*४७-४८---श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)-[देखिये आगे पृष्ठ २८२ पर]

एच० टी० सी० के चुनाव में हाई स्कूल पास उम्मीदवारों का न लिया जाना

*४९---श्री चिरंजीलाल पालीवाल (ज़िला फ़र्रुखाबाद)---क्या यह सत्य है कि उपशिक्षा संचालक, तृतीय मण्डल प्रयाग ने इस वर्ष एच० टी० सी० उम्मीदवारों के चुनाव में हाई स्कूल पास एक भी उम्मीदवार नहीं लिया ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, चालू पाठ्यक्रम के अनुसार एच० टी० सी० की ट्रेनिंग में बी० एफ० ई० हिन्दुस्तानी मिडिल, ऐंगलो हिन्दुस्तानी कक्षा ८, शास्त्री (संस्कृत में) तथा प्रथम समस्त विषयों में अपर प्राइमरी सहित पास योग्यता के छात्र चुने जाते हैं।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि एच० टी० सी० में हाई स्कूल पास छात्र क्यों नहीं लिये गये ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इसी का उत्तर तो दिया गया है।

श्री चिरंजीलाल पालीवाल---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि अधिक योग्यता भी कभी कभी अयोग्यता समझी जाती है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

उत्तर माध्यमिक कक्षाओं में नागरिक-शास्त्र पढ़ाने वालों की न्यूनतम योग्यता

*५०–श्री बाबूराम गुप्त (जिला एटा)––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर माध्यमिक कक्षाओं में सब विषयों को पढ़ाने के लिये अध्यापकों को एम० ए० पास होने की न्यूनतम योग्यता अनिवार्य है, परन्तु उन्हीं कक्षाओं में नागरिक शास्त्र के पढ़ाने के लिये क्या राज शास्त्र में बी० ए० (B. A. in politics) भी योग्य समझे जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम––चूंकि न्यूनतम योग्यता माध्यमिक शिक्षा परिषद् निर्धारित करती है, उनसे पूछ-ताछ की गयी है ।

श्री बाबूराम गुप्त––क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि नागरिक शास्त्र के अध्यापकों और अन्य विषयों के अध्यापकों की जो न्यूनतम योग्यता रखी गयी है उसमें किसी किस्म का अन्तर रखा गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह––जी हां, इसी की तो पूछ-ताछ की गयी है ।

जौनपुर जिले के ग्राम सोंगर में श्री रामकरन यादव के घर डाका

*५१––श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)––क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले में सराय ख्वाजा थाना के अन्तर्गत ग्राम सोगर तहसील शाहगंज में रामकरन यादव के घर जो डाका पड़ा था उसमें पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––श्री रामकरन यादव के यहां कोई डाका नहीं पड़ा। उनके घर २७ मार्च, सन् १९५२ की रात को एक चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गयी। पुलिस ने मामले की जांच की परन्तु कुछ पता नहीं चला। अतः अन्तिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गयी।

श्री बाबूनन्दन––क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि थाने में रिपोर्ट किसकी मारफत दर्ज की गयी और किस तफसील के साथ दर्ज की गयी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––यह तो इस वक्त मैं नहीं बतला सकता लेकिन यह बतला सकता हूं कि जांच में किस तरीक़े से जांच की गई। इसको अगर माननीय सदस्य जानना चाहें तो मैं उनको बतला सकता हूं।

श्री बाबूनन्दन––क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चोरी में कितनी क्षति हुई ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––कितनी क्षति हुई यह तो मैं नहीं बतला सकता लेकिन जो उन्होंने बतलाया था उसमें २५७ रुपये के गहना, कपड़ा और बरतन का नुक़सान बतलाया था।

श्री बाबूनन्दन––क्या माननीय पुलिस मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई डाका क्यों नहीं दर्ज किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––उन्होंने उस वक्त चोरी ही बतलायी थी बाद में डाके का नाम लिया था उस वक्त डाके का नाम नहीं लिया था।

*५२––श्री बाबूनन्दन––क्या यह सच है कि उन्होंने कई एक दरख्वास्तें भी जांच कराने के संबंध में कप्तान तथा कलेक्टर को दी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द––जी हां। उन्होंने दो दरख्वास्तें पुलिस कप्तान और दो जिलाधीश की दीं। क्रिमिनल इनवेस्टीगेशन डिपार्टमेंट द्वारा उनकी जांच करने से वह असत्य सिद्ध हुईं।

श्री बाबूनन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चोरी और डाके के अन्देशे की कई दरख्वास्तें थाने में व अन्य स्थानों में पहले से दी गयी थीं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---इसकी सूचना तो इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन यह जरूर है कि ४ आदमियों के नाम उन्होंने बतलाये थे । इन चार आदमियों पर शुबहा था कि इन चार आदमियों के साथ जमीन और जायदाद का झगड़ा बहुत दिनों से चला आ रहा है।

*५३-५४---**श्री खुशीराम** (जिला अल्मोड़ा)---[३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*५५---**श्रीमती लक्ष्मीदेवी** (जिला हरदोई)---[९ सितम्बर, १९५२ के लिये संख्या ५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कानपुर और आगरा में मजदूरों की गृह समस्या

*५६---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर और आगरा में मजदूरों की गृह समस्या को दूर करने के लिये कितना रुपया व्यय हुआ है और कितने मकान बनाये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी तक सरकार ने मजदूरों के लिये मकान कानपुर या आगरा में नहीं बनवाए हैं।

*५७---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या श्रम मंत्री को मालूम है कि आगरे में मजदूरों की गृह समस्या अत्यन्त जटिल है ? यदि हां, तो क्या श्रम मंत्री कृपया बतलायेंगे कि जो ७५ लाख रुपया प्रादेशिक सरकार को मजदूरों की गृह समस्या को मिले हैं, उनमें से कितना रुपया आगरे में खर्च किया जायगा ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---क-जी हां ।

ख-अभी केन्द्रीय सरकार से कितना रुपया श्रमिक वर्ग के लिये मकान बनवाने को मिलेगा इस बात पर लिखा-पढ़ी चल रही है । कहां-कहां और कितने मकान प्रदेश सरकार बनवायेगी इस पर केन्द्रीय सरकार से निश्चित उत्तर आने पर ही विचार किया जा सकेगा।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या सरकार इन काटेज इंडस्ट्रीज के मजदूरों के लिये भी मकान बनवायेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं, अब तक गवर्नमेंट आफ़ इंडिया जो रुपया दे रही है उसमें वह शामिल नहीं हैं।

आजमगढ़ जिले में राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल

*५८---**श्री रामसुन्दर पाण्डेय**---क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले में राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल खोलने का विचार है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---माननीय सदस्य का ध्यान तीसरे शुक्रवार के प्रश्न २ के दूसरे भाग के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है।

मधुबन शहीद हायर सेकेंडरी स्कूल को सहायता

*५९-श्री रामसुन्दर पाण्डेय---क्या शिक्षा मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि मधुबन शहीद हायर सेकेंड्री स्कूल को वार्षिक सहायता कितनी दी जाती है और उसके भवन निर्माण में कितनी सहायता दी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---

वार्षिक आर्थिक सहायता

१९५०-५१	५,१८४ रु०
१९५१-५२	६,३७२ रु०

भवन निर्माण सहायता

केवल १९५१-५२ में १,००० रु० अनावर्त्तक अनुदान।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय---अभावग्रस्त पूर्वी जिलों के स्कूलों की आर्थिक दशा खराब होने के कारण क्या सरकार उनकी सहायता बढ़ा सकती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---वह तो कुछ नियमों के अनुसार सहायता दी जाती है।

*६०-६१-श्री चुन्नीलाल सगर (जिला बदायूं)---[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

बल्लम, भाले तथा चाकुओं पर लाइसेंस

*६२-श्री जगदीशप्रसाद (ज़िला मुरादाबाद)---क्या सरकार कृपया यह बतलायगी कि इस प्रदेश में बल्लम, भाले तथा चार इंच से अधिक फल वाले चाकू पर लाइसेंस है ? यदि हां तो यह कब से लागू है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां। भाले व बल्लम पर सम्पूर्ण प्रदेश में ८ अगस्त, १९४० से लाइसेंस लागू है और चार इंच से अधिक फल के चाकू पर, जो कि खेती बारी, गृहस्थी अथवा औद्योगिक काम काज में नहीं इस्तेमाल होते हैं, १ अक्टूबर, १९४६ से लाइसेंस लगाया गया।

श्री जगदीशप्रसाद---क्या सरकार इन आज्ञाओं को वापस लेने के विचार कर रही है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---अभी इस समय कोई खास विचार नहीं हो रहा है।

श्री भगवानदीन मिश्र (जिला बहराइच)---क्या सरकार को मालूम है कि इस लाइसेंस के कारण पुलिस के द्वारा साधारण जनता बहुत सतायी जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पुलिस तो किसी को सताती नहीं।

श्री भगवानदीन मिश्र---क्या अक्सर तलाशी के सिलसिले में किसानों के घर से ऐसी चीजें भाले बल्लम आदि निकाल कर उनका चालान कर दिया जाता है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आमतौर पर मैं नहीं कह सकता कि ऐसा होता होगा बाकी कोई खास मामला हो तो उसका पता लगाया जा सकता है।

गवर्नमेंट इण्टर कालेज, इटावा के अनुत्तीर्ण हरिजन छात्रों से फीस की वसूली

*६३—श्री तुलाराम (जिला इटावा)—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५१-५२ के वर्ष में गवर्नमेंट इण्टर कालेज, इटावा में अध्ययन करने वाले अनुत्तीर्ण हरिजन छात्रों से फीस ली गयी है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं।

*६४—श्री तुलाराम—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष १९५२-५३ में गवर्नमेंट इण्टर कालेज, इटावा के प्रिंसिपल महोदय ने अनुत्तीर्ण हरिजन छात्रों को फीस देने की आज्ञा जारी की है? यदि हां, तो क्या उन्होंने किसी सरकारी गश्ती चिट्ठी के आधार पर यह आज्ञा जारी की है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, इस कालिज के प्रिंसिपल ने ऐसी आज्ञा जारी की थी पर अब उसे रद्द कर दिया है।

मौजाभूर पुरवा थाना महोली, जिला सीतापुर में मारपीट

*६५—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या सरकार को ज्ञात है कि मौजा भूर पुरवा गांव बेलाकोसा, थाना महोली, जिला सीतापुर में करीब २ मास हुये एक डाका पड़ा था और इस डकैती के पश्चात् मौजा भूड़ उजड़ गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मौजा भूड़ पुरवा में कोई डाका नहीं पड़ा। एक मामूली मारपीट की घटना २१ मई, सन् १९५२ को हुई उसकी रिपोर्ट तारीख २५ मई, सन् १९५२ को थाने में जरूर दर्ज की गई। झगड़े के बाद इस पुरवे के (जहां सिर्फ दो तीन घर हैं) लोग कुछ दिनों के लिये पास ही के एक गांव में चले गये और आपस में समझौता होने पर फिर वापस आ गये।

*६६—श्री गंगाधर शर्मा—उपरोक्त डकैती की जो नामजद रिपोर्ट हुई थी उस पर पुलिस ने क्या कारवाई की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—डकैती की थाने में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई गई। मारपीट की घटना के एक महीने बाद श्री अवसेरी ने जिलाधीश और पुलिस कप्तान को एक अरजी दी जिसमें यह कहा गया था कि उसके घर २१ मई की रात को डकैती पड़ी थी। तहकीकात करने पर यह रिपोर्ट झूठी साबित हुई।

भूमि हीन हरिजनों को भूमि देने के लिये व्यवस्था

*६७—श्री राजकिशोर राव (जिला बहराइच)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिलाधीशों को भूमि वितरण के सम्बन्ध में कोई आदश सरकार की ओर से गया है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*६८—श्री राजकिशोर राव—यदि हां, तो भूमिहीन हरिजनों को भूमि देने की कौन सी व्यवस्था की जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—उत्तर प्रदश लैण्ड यूटीलाईजशन ऐक्ट के अन्तर्गत भूमि प्रदान करने के सम्बन्ध में हरिजनों को प्राथमिकता दी जाती है।

*६९---७१--श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---[३ अक्तूबर, १९५२ के लिये स्थगित किये गये।]

*७२---श्री नेकराम शर्मा---[१९ सितम्बर, १९५२ के लिये स्थगित किया गया।)

हायर सेकेंडरी कक्षा तक विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य करने पर विचार

*७३--श्री नेकराम शर्मा---क्या सरकार के सम्मुख हायर सेकेंडरी कक्षा तक विज्ञान की शिक्षा अनिवार्य करने का प्रश्न विचाराधीन है?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

जे० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड

*७४--श्री देवकीनन्दन विभव---क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जे० टी० सी० अध्यापकों का ग्रेड क्या है और क्या वे उसके बढ़ाने पर विचार करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस संबंध में सदस्य महोदय का ध्यान उनके तारांकित प्रश्न सं० १६ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है जो पांचवें शुक्रवार को दिया गया था। वह उत्तर इस प्रकार है।

"वेतन क्रम ४५-२-६५-३-८० है। इसमें वृद्धि करने पर विचार हो रहा है।"

गन्ना फैक्टरियों के कारण दुर्गन्धित तथा विषैला जल

*७५--श्री श्रीचन्द---[जिला मुजफ्फर नगर] क्या सरकार को ज्ञात है कि गन्ना फैक्टरियों में जहां शीरे से स्प्रिटि बनाई जाती है वहां पानी अत्यन्त दुर्गंधित तथा विषैला हो जाता है, जो जीव जंतु के लिये घातक है? इस दुर्गंध को रोक-थाम तथा चौपायों को बचाने के लिये सरकार क्या कर रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---सरकार ने एक जांच समिति गन्ना फैक्टरियों के दुर्गंधित तथा विषैले पानी से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम के संबंध में सन् १९४९ में बनाई थी जिसका कार्यकाल अभी हाल ही में ३१ अगस्त, सन् १९५२ ई० तक बढ़ाया गया है। यह आशा की जाती है कि समिति इस अवधि के समाप्त होने तक अपनी रिपोर्ट सरकार को अवश्य भेज देगी। इस रिपोर्ट के प्राप्त होने पर सरकार इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के मजदूरों के लिए सोशल इन्शोरेन्स तथा सिक्योरिटी

*७६--श्री रमेश वर्मा (जिला आगरा)---सोशल इन्श्योरेंस (Social insurance) और सिक्योरिटी के संबंध में फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के मजदूरों के लिय अब तक क्या प्रबंध किया जा चुका है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के मजदूरों के लिये अभी कोई सोशल इन्श्योरेंस तथा सिक्योरटी की योजना लागू नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में Employees State Insurance Scheme भारत सरकार ने अभी सिर्फ कानपूर में लागू की है और धीरे-धीरे प्रदेश के अन्य तिजारती शहरों में, जिनमें फिरोजाबाद भी है, लगाई जायगी।

बांदा जिले के राजापुर ग्राम में तुलसीदास जन्म स्थान स्मारक को यमुना से क्षति का भय

*७७—**श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री** (जिला बांदा)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बांदा जिले के राजापुर ग्राम में स्थित तुलसीदास जन्मस्थान स्मारक को यमुना नदी अन्क़रीब में काट रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां।

*७८—**श्री श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री**—यदि हां, तो सरकार उसके बचाव के लिये क्या उपाय करने की सोच रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—सरकार को स्वयं ही बड़ी चिन्ता है और इस संबंध में भारत सरकार तथा जिलाधीश बांदा से पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।

शहर कोतवाल, उन्नाव, के विरुद्ध आरोप

*७९—**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)—क्या सरकार को ज्ञात है कि शहर कोतवाल, उन्नाव के विरुद्ध राज्य बनाम बच्चा सिंह के मुकदमें में वहां के दौरा जज ने बहुत गंभीर आरोप लगाये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—बच्चा सिंह के खिलाफ उन्नाव जिले में दो मुकदमे चले थे। एक मुकदमा दफा ३९९/४९२ आई० पी० सी० (I.P.C.) और १९ आर्म्स ऐक्ट (Arms Act) के अधीन था और दूसरा दफा १४७/१४८/३०२/१४९ आई० पी० सी० (I.P.C.) के था। पहले मुकदमें में दौरा जज ने कोतवाल के खिलाफ व्यक्तिगत कोई आरोप नहीं लगाया। दूसरे मुकदमे के फैसले में कोतवाल सब इंस्पेक्टर श्री सालिग राम शर्मा के विरुद्ध केवल यह आरोप लगाया गया था कि वे एक गवाह से अपना पूर्व परिचय छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे।

*८०—**श्री दलबहादुर सिंह**—यदि हां, तो सरकार ने उक्त कोतवाल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—कोतवाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि जांच होने पर यह आरोप ठीक नहीं पाया गया।

राजनीतिक पीड़ित विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां

*८१—**श्री कैलाशप्रकाश** (जिला मेरठ)—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि शिक्षा वर्ष, १९५१-५२ में राजनैतिक पीड़ितों को कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं और इनमें से कितनी बी० ए० और कितनी एल० टी० व बी० टी० कक्षा वालों को दी गयीं?

श्री हरगोविन्द सिंह—शिक्षण वर्ष १९५१-५२ में कुल ३४० छात्रवृत्तियां दी गईं जिन में से ५० छात्रवृत्तियां बी० ए०, बी० एस० सी०, बी० काम आदि के छात्रों को और २ एल० टी० के छात्रों को दी गईं।

*८२—**श्री कैलाश प्रकाश**—ये छात्रवृत्तियां किस आधार पर स्वीकृत की जाती हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह—राजाज्ञा सं० ए-२१४२/१५/३१२४/१९४७, दिनांक नवम्बर १९४९, की प्रतिलिपि जिसके आधार पर ये छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं, माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई हैं।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३६१ पर)

*८३--श्री कैलाश प्रकाश--ऐसी छात्रवृत्तियों का अंतिम निर्णय किस मास तक हो जाता है?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह छात्रवृत्तियां प्रति वर्ष ३० सितम्बर तक प्रदान की जाती हैं।

मुज़फ़्फ़रनगर में होली के अवसर पर साम्प्रदायिक दंगा

*८४--श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुज़फ़्फ़रनगर)--क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि मुज़फ़्फ़रनगर शहर में ११ मार्च, १९५२ को दुल्हैंडी (फाग) के दिन हिन्दू और मुसलमानों के बीच झगड़ा हो गया था ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां।

*८५--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार झगड़े के फलस्वरूप आहत लोगों की किसी प्रकार से आर्थिक सहायता करने का इरादा रखती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--सरकार ने केवल उन्हीं पीड़ितों को आर्थिक सहायता दी है जिनको वास्तव में इसकी जरूरत थी।

गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का प्रावीडेंट फंड

*८६--श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को, जिनको वेतन सरकारी कोष से दिया जाता है, प्राविडेंट फण्ड कब से देने का इरादा रखती है?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

❀ ❀ ❀ ❀

जिला जेल जौनपुर से समाजवादी राजनीतिक बंदियों का स्थानान्तरण

*५--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि गत २० तारीख़ को जिला जेल, जौनपुर से २२ सोशलिस्ट राजनीतिक बंदियों का तबादला रायबरेली में किया गया ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी हां। उन २२ कैदियों में से ११ रायबरेली जिला जेल और ११ नैनी सेण्ट्रल जेल भेज गये हैं।

*६--श्री राजनारायण (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि इन राजनीतिक बंदियों ने जब हथकड़ियां पहिनने से इन्कार किया तो उनको पीटा गया?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उन कैदियों को पीटा नहीं गया।

❀ ❀ ❀ ❀

गोरखपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों को हड़ताल के दिनों का वेतन

*१४--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)--क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनवरी, १९४९ में गोरखपुर जिला बोर्ड के अध्यापकों ने दो माह तक जो हड़ताल की थी उस हड़ताल माह के लिये वेतन देने के बारे में क्या निश्चय किया गया?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

*१५--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)--क्या यह सच है कि जिला बोर्ड, गोरखपुर ने अपनी २९ मई, १९५० की बैठक में प्रस्ताव सं० ३४० द्वारा यह निश्चय किया था कि उस दो महीने की हड़ताल की अवधि के लिये अध्यापकों को वेतन दे दिया जाय?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां।

*१६--श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (अनुपस्थित)--जिला बोर्ड की ओर से सरकार को ४ अगस्त, १९४९ को जो पत्र (सं० ५३७) भेजा गया था, उस पर सरकार ने क्या निश्चय किया?

श्री हरगोविन्द सिंह--परिषद का पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ था। पर इस संबंध में पूछ तांछ की जा रही है।

+ + + + +

एटा जिले में मान्यता प्राप्त उत्तर माध्यमिक विद्यालय

*२०--श्री तिरमल सिंह (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला एटा में कितने और कौन कौन उत्तर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनको सरकारी मान्यता प्राप्त हो चुकी है और वे किन किन स्थानों पर हैं?

श्री हरगोविन्द सिंह--१६ जिसमें ३ बालिकाओं के भी हैं। नाम तथा स्थान जहां वे स्थित हैं, संलग्न सूची में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३६९ पर)

धिरामई किसान हायर सेकेंडरी स्कूल को मान्यता

*२१--श्री तिरमल सिंह (अनुपस्थित)--क्या यह सत्य है कि धिरामई किसान हायर सेकेण्डरी स्कूल को भवन, कोष, स्टाफ़ इत्यादि की सब शर्तें पूरा कर देने पर भी अभी तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है? क्या सरकार इसके कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेगी?

श्री हरगोविन्द सिंह--उक्त स्कूल को मान्यता दे दी गयी है?

+ + + + +

हथियारों के लाइसेंस देने के संबंध में सरकार की नीति

*२८--श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकार की ओर से जिलाधीशों को हथियारों के लाइसेंस देने की नीति में सख्ती बरतने के आदेश जारी किये गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

+ + + + +

अलीगढ़ तथा बुलन्दशहर जिलों में अहेरिया व बहेलिया जातियों की निगरानी

*३५--श्री जगन्नाथ मल्ल (अनुपस्थित)--क्या सरकार को पता है कि अब तक कही जाने वाली अहेरिया व बहेलिया जातियों के लोगों को बिना कोई जुर्म किये हुये ही अलीगढ़ व बुलन्दशहर जिले में हज़ारों की संख्या में निगरानी होती है?

श्री हरगोविन्द सिंह--ऐसा नहीं होता जिन्होंने वास्तविक जुर्म किये हैं अथवा जिनपर इस बात का काफी सन्देह है कि यह लोग जुर्म करते हैं, उन्हींकी निगरानी होती है। परन्तु अब परिस्थिति बदल गई है क्योंकि यह जरायम पेशा कानून खत्म हो गया है।

१५ मार्च, १९५१ के सरकारी आदेशानुसार मजदूर केन्द्रों के अभियोगों का स्थानान्तरण

*४४—श्री जगन्नाथ मल्ल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि १५ मार्च, सन् १९५१ के जी० ओ० के लागू होने के बाद कुल कितने मुक़दमें विभिन्न मजदूर केन्द्रों पर कोर्ट में भेजे गये उनमें कितनों में समझौता हुआ और कितनों में चेयरमैन ने उन्हें एडजुडिकेशन में भेजने की सिफारिश की ?

*४५—उनमें से कितने मुक़दमे सरकार द्वारा एडजुडिकेशन में भेजे गये और कितनों में एडजुडिकेशन इन्कार किया गया और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—१५ मार्च, सन् १९५१ की राजकीय आज्ञा के लागू होने के बाद जून सन् १९५२ तक कुल ३२७५ मुकदमें विभिन्न प्रदेश क्षेत्रों पर संराधन समितियों में भेजे गये इनका विवरण लगी हुई तालिका में दिया है । चूंकि चेयरमैन की सिफारिश गुप्त रक्खी जाती है यह बतलाना उचित नहीं होगा कि उन्होंने कितने झगड़ों में एडज्यूडिकेशन की सिफारिश की ।

एडज्यूडिकेशन में भेजने के पूर्व सरकार पूरी तरह उस झगड़े के औचित्य या अनौचित्य पर विचार करती है । कई झगड़े कानून के अन्तर्गत भी नहीं आते और कई निराधार होते हैं । ऐसे झगड़े सरकार अयोग्य करार देती है और पंच निर्णायक को नहीं भेजती ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ३७० पर)

अलीगढ़ जिले में हरिजनों को कुआं बनाने के लिये सहायता

*४७—श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला अलीगढ़ में अब तक कितने हरिजनों को पानी पीने के कुयें बनाने के लिये सहायता दी गई है ?

श्री हरगोविन्द सिंह—३६ हरिजनों को ।

नगर पालिका हाथरस द्वारा हरिजन कालोनी के लिये मांग

*४८—श्री हरदयाल सिंह पिपल (अनुपस्थित)—क्या यह सच है कि नगर पालिका, हाथरस ने हरिजन कालोनी बनाने के लिये सरकार से मांग की थी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी नहीं ।

अतारांकित प्रश्न

टिहरी जिले की पुलिस

१—श्री सत्यसिंह राणा (जिला गढ़वाल)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि टिहरी जिले में कितने पुलिस थाने व चौकियां हैं और प्रत्येक थाने व चौकी पर कितना पुलिस स्टाफ़ है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—टिहरी गढ़वाल जिले में ४ पुलिस थाने व ५ चौकियां हैं। प्रत्येक थाने व चौकी पर नियुक्त पुलिस कर्मचारियों की संख्या नत्थी सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ३७१ पर)

टेहरी जिले में पटवारियों को पुलिस के अधिकार देने पर विचार

२—श्री सत्यसिंह राणा—क्या सरकार कृपा कर बतलायेगी कि टिहरी जिले में अन्य पर्वतीय जिलों की भांति पटवारियों को पुलिस पावर्स देने का विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब से, और नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—टिहरी गढ़वाल जिले के पटवारियों को पुलिस कार्य संचालन की आवश्यक शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जा रहा है । इस शिक्षा के समाप्त होने के बाद ही उनको पुलिस अधिकार देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

रायबरेली के कुछ किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

अध्यक्ष—आज भी एक कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय विष्णु दयाल वर्मा ने दिया है और वह रायबरेली में कुछ किसानों की गिरफ्तारी के संबंध में है जो १०७ और ११७ दफाओं में की गई है । मैं समझता हूं कि न तो यह निश्चित ही है, न आवश्यक है और न इसमें जन हित का कोई विशेष संबंध है । ऐसी अवस्था में मैं अनुमति नहीं देता हूं कि यह पेश किया जाय।

संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य के निर्वाचन का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन, जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करें उसके अनुसार, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर के नव निर्वाचित विधान सभा के सदस्य न होने के कारण संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश में रिक्त हुये स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि यह सदन जो विधि तथा जो तिथि अध्यक्ष निश्चित करे उसके अनुसार, श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर के नव निर्वाचित विधान सभा के सदस्य न होने के कारण संस्कृत शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, में रिक्त हुये स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य निर्वाचित करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अध्यक्ष—अब इसके संबंध में जो तिथि और कार्यक्रम इत्यादि निश्चित करना है वह बाद में करूंगा।

कार्य-सूची के क्रम में परिवर्तन करने की प्रार्थना

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—एक प्रस्ताव जो मेरे नाम से दर्ज है वह इसमें पांचवें नम्बर पर है। चूंकि मुझे बाहर जाना है इसलिये यदि आप को आपत्ति न हो तो मैं चाहता हूं कि यह पहले ले लिया जाय । वैसे तो यह कभी शाम को आवेगा।

अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—यह विधेयक हमारे सामने कल या परसों ही प्रस्तुत हुआ है । इसे पढ़ने का हमें काफ़ी समय नहीं मिला है और संशोधनों के लिये या इस प्रस्ताव को जो प्रवर समिति का है सोचने के लिये काफी समय नहीं मिला है ।

अध्यक्ष---चूंकि आपत्ति है और वह प्रस्ताव का विरोध भी कर सकते हैं तो समय लग सकता है । इसलिये मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम है उसी के अनुसार कार्य चलना चाहिये ।

*उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२

खंड २

१८९९ के ऐक्ट २ की धारा २ में संशोधन ।

२---उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में समय समय पर संशोधित इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के मद (१०) में शब्द "by Schedule I or by Scheduie I A" के स्थान पर शब्द "by Schedule I, Schedule I A or Schedule I B" रख दिये जायंगे ।

अध्यक्ष---मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि "खंड २ निकाल दिया जाय" इस तरह का संशोधन तो नहीं आ सकता । उसके संबंध में आप खंड २ का विरोध कर सकते हैं और दोनों का परिणाम एक ही होता है । इस क़िस्म का प्रस्ताव तो नहीं हो सकता क्योंकि नियम यह है कि कोई भी संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिये कि जिससे मूल प्रस्ताव ही खत्म हो जाय । तो वह उसका विरोध ही कहलाता है और आप विरोध कर सकते हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक की धारा २ का विरोध करता हूं । मैं इसके आशय का पूरा विरोध करता हूं । अगर हम इस खंड को पढ़ें तो हम इसमें यह देखते हैं कि इसके अनुसार शैडूल १ और ए के बाद शैडूल १ बी यह रख दिया जाय । यह इसमें फ़र्क़ आजाता है । तो अगर हम इस खंड २ को मान लेते हैं तो इस विधेयक के अन्त में शैडूल १ बी जोड़ दिया जाता है और शैडूल १ बी के द्वारा हमने इस सारे विधेयक में टैक्सेशन (कर) और रेट्स (दर) को बढ़ाया है । इसलिये मुझे शैडूल बी के रखे जाने से पूरी आपत्ति है । कल जब इस बिल के संबंध में विवाद हो रहा था तो माननीय न्याय मंत्री ने जो हमारे सामने एक कारण पेश किया था शैडूल बी के संबंध में यदि उसका जिक्र मैं अपने विरोध के सम्बन्ध में कर दूं तो म समझता हूं कि आप मुझे उसकी आज्ञा देंगे । उन्होंने बतलाया कि कल हमारी तरफ से जो इस संबंध में आंकड़े पेश किये गये थे सारे स्टाम्प्स के बारे में थे जिनमें कोर्टफीस भी शामिल थी । उन्होंने कहा कि जुडीशियरी स्टाम्प और नान-जुडीशियरी स्टाम्प दो प्रकार के स्टाम्प होते हैं यह दलील देकर उन्होंने यह बात साबित करने की कोशिश की कि वह आंकड़े ग़लत थे और वास्तव में अगर नान-जुडीशियरी स्टाम्प में रेट बढ़ा दिया जाय तो रेवेन्यू ज्यादा बढ़ जायगा । लेकिन मैं माननीय न्यायमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर नान-जुडीशियरी स्टाम्प या जो और स्टाम्प हम लगाते हैं वह ऐसी ड्यूटी नहीं है जिस तरह के डाकखाने के टिकिट होते हैं । वे तो यूटीलिटी सर्विस (औपयोग्य सेवा) स्टाम्प होते हैं उसके मुकाबले में ये जो स्टेट ड्यूटी होती है इससे किसी प्रकार की भी यूटीलिटी नहीं होती । वह तो केवल ट्रांजैक्शन के ऊपर एक प्रकार का टैक्स होता है जिससे कुछ तो ट्रांजैक्शन में मजबूती आ जाती है एक अहमियत आ जाती है लेकिन उससे डायरेक्टली (प्रत्यक्षतः) यूटिलिटी का काम नहीं होता जिस प्रकार से पोस्टल स्टाम्प्स में होता है । लार्ड कालिन्स जो इस विषय में माहिर हो गये हैं उन्होंने इसकी एक परिभाषा की है । वह इस प्रकार है :---

" What the Stamp Act deals with is not the bargain which arises out of the consent of the parties but the instrument which records that bargain. "

[स्टाम्प ऐक्ट का विषय वह सौदा नहीं है जो कि दोनों ओर के पक्षों की सहमति से अविर्भूति हो, अपितु वह अधिकारपत्र है जिसमें उस सौदे का अभिलेख हो ।]

---

*२ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है ।

इस ड्यूटी का अर्थ बारगेन (सौदे) से नहीं होता लेकिन यह ड्यूटी ऐसी भी नहीं होनी चाहिये जिससे बारगेनिंग में कोई रुकावट पड़े । अगर हमारी स्टेट ड्यूटी की वजह से, हमारी दरों की वजह से बारगेनिंग में कोई रुकावट होती है या उसमें कोई जालीपने का भाव आजाता है तो उस समय स्टेट ड्यटी का मतलब खत्म हो जाता है । जहां तक इंस्ट्रूमेंट पर ड्यूटी का सवाल है तो वह खाली इंस्ट्रूमेंट नहीं होता उनके पीछे बारगेन होती है। इस सब से हमारा मतलब सिर्फ यही है कि आज जो ड्यूटी है वही रहनी चाहिये बढ़नी या घटनी नहीं चाहिये।

कल एक बात यह भी कही गई कि विरोधी दल जब भी कोई टैक्सेशन का प्रस्ताव आता है उसका विरोध करता है। लेकिन हमारी ओर से कभी कोई ऐसी बात नहीं की गई। कभी यह नहीं कहा गया कि स्टाम्प ड्यूटी खत्म कर दीजिये या स्टाम्प ऐक्ट को वापस ले लीजिये। हमने तो सिर्फ यही कहा कि जितने रेट्स हैं उतने ही रहने दिये जायं, वही काफी हैं । यह भी कहा कि सरकार को कोई ऐसा पेड़ बतला दिया जाय कि जिससे वह अपना रुपया बढ़ा ले और उसको ऐसी ड्यूटी न लगाना पड़े। हमें आपने सिर्फ एक ही पेड़ बताया और वह टैक्सेशन का पेड़ आप उस पेड़ से रुपया वसूल करते जाइये और जनता उसको देती जाय। आपने कोई और पेड़ क्यों नहीं बतलाया? आपके हाथ में सरकार है। जिनके हाथ में सरकार है वह कोई और तरीका क्यों नहीं निकालते? एक टैक्सेशन के अलावा और कोई तरीका क्यों नहीं निकाला जाता और हमसे सवाल पूछा जाता है। इस ड्यूटी के सवाल पर मुझे एक किस्सा याद आता है। पहिले जमाने में एक काश्तकार था जिसके पास बहुत सी गायें और भैसें थीं। वे काफी दूध देती थीं। उसने सोचा कि ये जो बंजर खेत पड़े हुये हैं उनमें चरी या और चीजें बो दी जायं जिससे जो गायें और भैसें हैं वे ज्यादा दूध देंगी। गायों की तरक्की होगी, और भैसें भी खूब दूध देंगी, खूब पैदावार बढ़ेगी, दूध दही ज्यादा होगा। अब किसान महोदय यह सोचने लगे कि रुपया कहा से आवे, चारा बढ़ाने के लिये, चरागाहों के लिये, जमीन खरीदने के लिये। तो उन्होंने गायों और भैसों को ज्यादा दूहना आरम्भ किया। मान लीजिये एक गाय ४ सेर दूध देती थी लेकिन वह किसान महोदय दोनों वक्त बालटी लिये उसके थनों को खींचते ही चले जा रहेहैं। हुआ क्या, उस सीधी साधी गाय ने भी लात मारना शुरू किया। जितना दूध वह दे सकती थी उसने दिया फिर भी थनों को पकड़े जा रहे हैं और दूध को बेंचकर जमीन खरीदना चाहा। तो यही नीति इस सरकार की भी है। यह नहीं देखती कि जनता की कितनी हैसियत है। उसे यह देखने की फुर्सत नहीं, न उसका सवाल है, सवाल तो यह है कि उसे जनता की तरक्की करना है और डेवलपमेंट करने के लिये ही टैक्स भी लगाना है। यह सवाल नहीं है कि बछिया क्या पियेगी, उसके बछड़े क्या पियेंगे, वह तो यही सोचता था कि दूध निकाल लिया जाय चाहे बछिया दूध न पिये, चाहे बछड़े दूध न पियें, उनके दिल में भी सहानुभूति थी, वह भी चाहता था कि गायों और भैसों की तरक्की हो। यही हालत आज हमारी सरकार की हो रही है और यही हालत उसके टैक्स प्रणाली की है। मैं निहायत अदब से अर्ज करूं कि यह स्टाम्प ड्यूटी जो है अगर आप उसको बराबर बढ़ाते जायेंगे तो जो बारगेनिंग का असल मकसद है उसको खत्म कर देंगे। इस सिलसिले में लार्ड ईशर ने क्या कहा है। हमारे न्याय मंत्री इंग्लैण्ड के बेसिक ला प्रणाली से बहुत प्रभावित हुये इसीलिये मैं यह आपकी आज्ञा से उनके सामने पेश करना चाहता हूं कि इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध न्यायवेत्ता लार्ड ईशर ने क्या कहा है

"If a vendor can convey property sold to the purchaser without the execution of any instrument he can convey it without paying any stamp duty. The Crown cannot have the stamp duty unless the party chooses to effectuate the transaction by an instrument which by itself conveys the property."

[यदि कोई बिक्रेता क्रेता के हाथ बिकी हुई सम्पत्ति को, कोई अधिकारपत्र लिखे बिना खरीद सकता है तो वह कोई स्टाम्प ड्यूटी दिये बिना ही उसको खरीद सकेगा। राजसत्ता (सम्राट) को स्टाम्प ड्यूटी नहीं मिल सकती जब तक कि वह पक्ष सौदे का अस्तित्व ऐसे अधिकारपत्र द्वारा स्थापित करना न चाहे जो स्वयं सम्पत्ति को हस्तान्तरित करता हो।]

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

तो उसका मतलब तो यही है कि अगर आप इस तरह से स्टाम्प ड्यूटीज को बढ़ाते जावेंगे तो बारगेनिंग करने वालों के मार्ग में रुकावट आयेगी और पार्टीज उस बारगेन को ईवेड करेंगी (टालेंगी) और जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिये आप लेना चाहते हैं उसको उस इंस्ट्रूमेंट को, उसके मकसद को हटा करके काम करना शुरू कर देगी। अगर माननीय न्याय मंत्री जी नानजुडीशियल स्टाम्प्स को देखना चाहें तो मैं उनकी सेवा में आपकी आज्ञा से पेश करना चाहता हूं कि किस प्रकार पिछले ६, ७ सालों में हमारी सरकार का रेवेन्यू घटा है बढ़ा नहीं है। बजट के आंकड़े ४६-४७ से लेकर आजतक के मौजूद हैं। मैं निवेदन करूंगा कि न्याय मंत्री जी उन आंकड़ों को देखेंगे और सोचेंगे कि स्टाम्प से हमको कितनी रेवेन्यू मिली और रेट के बढ़ाने से कितनी आमदनी में कमी हुई। कल माननीय न्याय मंत्री जी ने कहा था कि शिड्यूल वन् ए में सरकार को ७२ लाख रुपये की आमदनी होती है। मैंने बजट को देखने की कोशिश की कि इस साल के बजट में ७२ लाख रुपये नानजुडीशियल स्टाम्प्स से नहीं है। सन् १९४६-४७ में स्टाम्प्स से आमदनी ७०,१७,८७४ थी जब कि ४८ का अमेंडिंग ऐक्ट भी नहीं बना था और जब कि ४३ का जो ऐक्ट चल रहा था उस समय की सरकार की आमदनी इस मद में ७०,१७,८७४ थी और पिछले साल के ऐक्चुअल्स (वास्तविक आंकड़े) आपके रहे ६९,३७,३१८ तो इतनी भारी कमी आपके फिगर्स में आ गई है यह सिर्फ रेट्स बढ़ाने की वजह से हुई है। उसके बाद देखिये कि किस तरह से रेवेन्यू घटता है। ४६–४७ में ७० लाख १७ हजार, ४७–४८ में ६७ लाख ७२ हजार, ४८–४९ में ६६ लाख १८ हजार। इस तरह से यह रेवेन्यू नान-जुडीशियल स्टाम्प्स का घटता है। और यह आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि आप इस प्रकार जितना ही स्टाम्प ड्यूटीज के रेट्स को बढ़ायेंगे उतना ही जनता इस बात के तरीके निकालेगी या जनता का बहुत सा हिस्सा निकालेगा कि वह इंस्ट्रूमेंट को बेंग करे जिससे सरकार की आमदनी कम हो जाय। सरकार के बजट के आंकड़े भी इस बात को साबित करते हैं। मुझे आशा है कि माननीय न्याय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि किस प्रकार इल्लीगल इवेजन्स (गैर कानूनी बचाव) के जरिये स्टाम्प ड्यूटीज को नजरअन्दाज किया गया है।

इसके बाद शेड्यूल १ (बी) में जो खामियां हैं वह मैंने अर्ज की थीं। उसके बारे में बड़े बड़े क्रांतिपूर्ण भाषण हुये जैसे कि माननीय शिवनारायण जी का भाषण हुआ। उसमें बड़ी बड़ी थियरीज (सिद्धांत) दी गयीं जो मैं समझता हूं कि ऐसी थियरीज अगर सारा सदन मानने लगे तो वास्तव में एक क्रांति हो जायगी। उन्होंने स्टाम्प ड्यूटी की परिभाषा जो दी वह यह कि इन रेट्स को ब्राह्मण, ठाकुर और जमींदार ज्यादा देते हैं, ऐसी ऐसी क्रांतिकारी थियरी उन्होंने यहां पर पेश की। माननीय नकवी साहब ने कहा कि जमींदारों की हालत यह हो गयी है कि स्टार्वेशन (भुखमरी) होने लगा है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि अगर यह बात सही है तो वह यह कहते कि शेड्यूल १(बी) में रेट्स को बढ़ाने के बजाय घटाना चाहिये। अगर वाकयी जमींदारों में भुखमरी पड़ रही है तो वह इस का विरोध करते कि रेट्स बढ़ाये न जायं, घटाये जायं। तो ऐसी ऐसी दलीलें कुछ माननीय सदस्यों ने दीं। लेकिन अगर सभी दलीलों को मान लिया जाय तो भी शेड्यूल १(बी) न्याय की कसौटी पर खरा नहीं उतरता।

कल हमने यह कहा था कि शेड्यूल १(बी) में जो रेट्स हैं वह और प्रान्तों के मुकाबले में ज्यादा हैं। लेकिन माननीय मंत्री जी ने मद्रास, बम्बई और सी० पी० और बिहार के आंकड़े देते हुये यह कहा कि वहां की ड्युटीज के मुकाबले में हमारे शेड्यूल १(बी) में ड्यूटीज कम हैं। लेकिन मैं इस मामले में मजबूर हूं कि उनसे इत्तफाक़ नहीं कर सकता। मैंने यह आंकड़े मेहनत करके इकट्ठे किये हैं। मैं आपके द्वारा दिखलाना चाहता हूं अलग अलग आइटम्स में शेड्यूल १(बी) से कितना फर्क है और सूबों में। पहला आइटम, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने पढ़ा था, ऐकनालेजमेंट के लिये जब कि हमने चार आने रखा है तो मद्रास और बम्बई में डेढ़ आने है।

अध्यक्ष——जो चीज हो चुकी है आप उसे दोहरा रहे हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी——मैं तो अपने आर्गूमेंट्स के लिये यह शेड्यूल (१) में..।

अध्यक्ष——जो स्वीकृत बात है उस को फिर कहना दोहराना ही होता है। यह उन्होंने खुद स्वीकार किया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी——आर्गूमेंट्स के सिलसिले में कह रहा हूं। एक ही बात शुरू में थी इसलिये मैंने पहले ही कहा। यह तो आप जानते ही हैं कि मैं दोहराने का ज्यादा आदी नहीं हूं।

इसके बाद अडाप्शन डीड्स (दत्तक पत्र) को लें। इसमें जब कि हमने ३० रुपया रखा है तो बिहार में साढ़े २७ रुपये हैं, सी० पी० में २६ रु० १० आने, मद्रास में २२ रु० ८ आने। इसी प्रकार एफीडेविट में ३ रुपया यहां रख रहे हैं जब कि बिहार में २ रू० १२ आने, और बम्बई और सी० पी० में २ रु० १० आने। इसी प्रकार ऐग्रीमेंट ऐंड मेमोरंडम आफ ऐग्रीमेंट (सम्मति तथा सम्मति पत्र) जो आइटम नं० ५ है। इसमें हमारे यहां २ रुपया रखा गया है। बिहार में पांच आने और सी० पी० में चार आने, बम्बई में छः आने और मद्रास में ५ आने कम से कम है। यहां कम से कम कोई रेट नहीं है। यहां जितने भी ऐग्रीमेंट होंगे उन सब को दो रुपया कर दिया गया है। और ज्यादा से ज्यादा हम ले लें तो बिहार में १ रु० १ आना सी० पी० में १ रु०, बम्बई में १ रु० ८ आना है और मद्रास में १ रू० ८ आना है। हमारे यहां २ रू० रखा गया है। तो मैं उदाहरणों के जरिये से यह साबित करना चाहता हूं कि यह जो सरकार का कंटेंशन (कहना) है कि हम मद्रास और बम्बई प्रान्तों के मुकाबले में यहां बराबर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। आप ६ में लें, "अग्रीमेंट रिलेटिंग टु डिपाजिट्स आफ टाइटिल डीड्स, पान आर प्लेज" (स्वामित्व पत्र व धरोहर इत्यादि के निक्षेप विषयक सम्मतियां) इसमें हम बम्बई को भी लेते हैं तो आर्टिकिल १३ जो बिल आफ एक्सचेंज है उसके अनुसार दर नियत है। आप देखेंगे कि उसमें इतनी दर नहीं है जितनी कि हमारे यहां दी गयी है। इस सिलसिले में जबकि बिहार में ७ आ० है, सी० पी० में ६ आ० है तो हमारे यहां ८ आ० रखा गया कम से कम के लिये, और ज्यादा से ज्यादा के लिये जबकि और जगह १८ रु० ९ आ० है बिहार में, सी० पी० में १८ रू०, हमारे यहां रखा गया है २८ रू० ४ आना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इतने महत्वपूर्ण आइटम्स के ऊपर भी हमारे स्टेटमेंट्स में और और प्रान्तों के स्टेटमेंट्स में शिड्यूल बी के हिसाब से फर्क आता है।]

अब नम्बर १२, अवार्ड, ले लीजिये। बिहार में अवार्ड में १० रु० ५ आना० है, सी० पी० में० १० रू० है और हमारे यहां, "ह्वेयर दि सबजेक्ट मैटर आफ अवार्ड इज इनकैपेबिल आफ वैलुएशन" (जहां पंचनिर्णय के विषय का मूल्यांकन न हो सकता है) इसका १५ रू० है।

फिर सबसे ज्यादा इम्पार्टेंट आइटम बांड (बंधन) है जैसा कि नम्बर १३ में है। बिहार में..।

अध्यक्ष——यह तो आइटम १५ है।

श्री नारायण दत्त तिवारी——अंग्रेजी में गलत छपा है। १३ होना चाहिये। तो १५ वां जो बांड है इसमें देखते हैं कि बिहार में ४ आ०, सी० पी० में २ आ०, मद्रास में ३ आ०, यहां ४ आना है जबकि "ह्वेन दि वैल्यू डज नाट एक्सीड रूपीज टेन" (जबकि मूल्य १० रुपये से अधिक न हो) और जबकि १० रू० से ज्यादा पर ५० रू० से ज्यादा नहीं हमने अपने यहां ८ आना कर दिया है, जबकि बिहार में ६ आना० है, सी० पी० में ५ आ० और बम्बई में ६ आ० है। "ह्वेन इट एक्सीड्स रूपीज फिफटी, बट डज नाट एक्सीड रूपीज हंड्रेड" (जब यह ५० रुपये से अधिक १०० रू० से अनधिक हो) उसमें हमारे यहां एक रुपया, बिहार में १५ आ०, सी० पी० में १० आ० मद्रास में १२ आ०। तो इस प्रकार हम देखते हैं

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

कि बांड जैसे महत्वपूर्ण आइटम में हमारी सरकार ने बम्बई से ज्यादा रुपया रखा है। और इसी में जो सबसे बड़ा आइटम आता है, "ह्वेन इट एक्सीड्स ९०० बट डज नाट एक्सीड १,०००" (जब यह ९०० रू० से अधिक और १,००० रू० से अनधिक हो।) यहां पर जबकि हमारे शिड्यूल बी० में १२ रु० रखा जाता है, बिहार में १० रु० ५ आना, सी० पी० में १० रु० है, मद्रास में ११ रु० ४ आने हैं, बम्बई में भी ११ रु० ४ आने है। तो हर जगह जो सिद्धांत हमारी सरकार प्रतिपादित कर रही है उसका हर एक आइटम में उसने उल्लंघन किया है, यह भली भांति स्पष्ट है। अब कनवेएंस (क्रय) का जो २३ वां आइटम है वह देखिये।

"Where the amount of value of the consideration for such conveyance as set forth thereby does not exceed Rs. 50"

[जहां पर उसमें लिखित क्रय के प्रतिफल की धन राशि या मूल्य ५० रूपये से अधिक न हो।]

इसमें बिहार में १ रू० १ आना रखा गया है, सी० पी० में १० आने, बम्बई में १२ आने और हमारे यहां एक रुपया। लेकिन शुरू में तो बिहार में ज्यादा है मगर बाद में वहां कम हो जाता है। आखिर में हमारे यहां २१ रुपये रखा गया है लेकिन बिहार में २० रू० १० आने है, सी० पी० में २० रुपये रखा गया है। जहां पर "If exceeds Rs. 50, but does not exceed Rs. 100," (५० रुपये से अधिक परन्तु १०० रू० से अनधिक) है वहां पर सी० पी० में १ रु० ५ आने है, बम्बई में १ रु० ८ आने है और हमारे यहां २ रुपये कर दिया गया है। तो मैं इन सब मिसालों को केवल इसलिये दे रहा हूं कि चूंकि हम चाहते हैं कि सरकार जिस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है और जिसके लिये कहती है कि हमारे यहां मद्रास और बम्बई से रेट्स कम है इसलिये हम उनको बढ़ा कर वहां के बराबर कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। जब हम देखते हैं तो हर जगह से अपने यहां के रेट्स बढ़े हुये पाते हैं।

२४वें आइटम में कापी (प्रतिलिपि) आर एक्स्ट्रैक्ट (उद्धरण) का जहां सवाल आता है तो जबकि हमारे यहां २ रु० ८ आने रख दिया गया है वहां बिहार में १ रु० १ आना है, सी० पी० में १ रुपया है और बम्बई में १ रु० ८ आने है।

अध्यक्ष---माननीय सदस्य की निगाह नियम १८४ की तरफ पड़नी चाहिये कि बार बार अपने आरगुमेंट्स को या विरोधी पक्ष के जो आरगूमेंट्स हों उनको दोहराना यह सीरियस रेपीटीशन (द्विरुक्ति) समझा जाता है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मैं रेपीटीशन तो नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष---वह तो है ही। बात यह है कि अगर सारी टेबिल पढ़ी जाय और हर उदाहरण पर टीका हो तो सदन के समय का अपव्यय होगा। मैं समझता हूं कि दो चार उदाहरण दे कर आप यह स्पष्ट कर सकते हैं कि बम्बई या मद्रास से ज्यादा है, लेकिन अगर पूरा पढ़ना शुरू करदें तो स्टेटमेंट बहुत लम्बा हो जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---बहुत अच्छा।

एंट्री ऐज ऐन एडवोकेट, वकील आर एटारनी आफ ए हाई कोर्ट। (उच्च न्यायालय की सूची में मुख्त्यार, वकील या ऐडवोकेट के रूप में प्रविष्टि)। तो सबसे पहली तारीफ की बात तो यह है कि मद्रास में जबकि ३१२ रु० ८ आना है हमारे यहां ७५० रू० रखी गयी है। बिहार में ६८७ रु० ८ आ०, सी० पी० में ४१६ रु० १० आ० मगर हमारे यहां बढ़ा कर ७५० रु० कर दी गयी है। तो मद्रास से दूने से भी ज्यादा है इसी तरह लेटर आफ

लाइसेंस बम्बई में १५ रु० है और हमारे यहां २० रु० रख दिया गया है। मारगेज डीड (धरोहरपत्र) के बारे में हमारे यहां १ रु० ४ आ० है, बिहार में १ रु० १ आ० है और सी० पी में १ रुपया है।

इसी सिलसिले में एक और महत्वपूर्ण बात है जोकि अत्यन्त आवश्यक है। शेड्यूल १ बी के लिहाज से जो एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है जिसमें इवेज़न (बचाव) हो सकता है।

"A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article."

[उस बन्धकदाता के विषय में, जो बन्धकगृहीता को बन्धककृत सम्पत्ति या उसके किसी भाग का किराया या लगान वसूल करने का, प्रतिनिधित्व अधिकार, या पट्टा दे देता है, यह समझा जाता है कि उसने इस अनुच्छेद के अर्थ की सीमा के भीतर, कब्जा दिया है।]

यह जो एक्सप्लेशन रखा गया है यह इल्लीगल (अवैध) चीज को रोकने के लिये रखा गया है ताकि जो मोरगेज करता है वह इस धारा से न बच जाय। मैं अपने मंत्री जी का ध्यान श्री कृष्णमूर्ति जी की कमेण्ट्री (टीका) की ओर दिलाना चाहता हूं। वह कहते हैं कि—

"But this amendment would not mean evasion by the execution of a mortgage and then giving a lease or a power of attorney. In some cases the amendment would have the effect of roping in transactions which are genuinely different and separate transactions as where a landlord takes a loan on the security of his property from his local agent or lessee."

[परन्तु इस संशोधन का अर्थ यह न होगा कि पहिले बन्धक कर के फिर पट्टा या प्रतिनिधित्व अधिकार दिया जाय और इस प्रकार बचाव हो जाय। कुछ प्रकरणों में संशोधन का प्रभाव यह होगा कि कुछ व्यवहार जो एक दूसरे से भिन्न और अलग अलग हैं आपस में एक सूत्र में बंध जायेंगे, उदाहरणार्थ जबकि कोई जमींदार अपने पट्टधारक या स्थानीय एजेंट से, अपनी सम्पत्ति के बन्धक पर ऋण लेता है।]

यह जो आपका अमेंडमेंट है उसके और एक्सप्लेनेशन के विरुद्ध कृष्णमूर्ति जैसे बड़े बड़े लाइयरों ने क्या कहा है। इससे साबित हो जाता है कि जब रेट्स बढ़ाने के लिये संशोधन उपस्थित किया जा रहा था तो उनको देख लेना चाहिये था कि एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और बढ़ा दें चाहे रेट कम लगाते हों तो रेवेन्यू पूरी लगती और लोगों को मौका नहीं मिलता डीड्स (पत्रों) में कम टिकिट लगाकर कम रेवेन्यू देने का। हमारे यहां प्रोवीजो (ए) में लिखा है कि "Shall not be less than Rs. two" [दो रुपये से कम न होगा।] हमारे यहां दो रुपया रखा गया है, बिहार में १ रू० ६ आ० है, सी० पी० में १रु० ५ आ० है और बम्बई में १ रु० ६ आ० तथा मद्रास में १ रू० ८ आना है। इस तरह से और जगह हमारे यहाँ से कंवेयेंस में कम है बोंड्स में कम है, और पार्टीशन में कम है। इसी तरह से आप देखेंगे कि ४८ (ए) पावर आफ एटोर्नी में भी हमारे यहां १ रु० ४ आ० है, बिहार में १ रु० है, सी० पी० में भी १ रुपया है और मद्रास में बारह आने हैं। इससे मालूम होता है कि मद्रास से इसमें हमारे यहां दुगना है। इसके बाद अखीर में लीजिये ४८(इ) में हमारे यहां २४ रुपये रखे हैं, बिहार में २० रु० १० आ०, सी० पी० में २० रु० और मद्रास में २२ रु० ८ आने रखे हैं। इसी प्रकार से आप ट्रांसफर (हस्तान्तरण) को ले लीजिये। आइटम नंबर ६२ (डी)

"of any property under the Administrator General's Act, 1913, section 25."

[ऐडमिनिस्ट्रेटर जनरल्स ऐक्ट, १९१३ के सेक्शन २५ के अन्तर्गत किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण)]

हमारे यहां २४ रुपये रखे गये हैं और बम्बई में १५ रुपये रखे गये हैं।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

यह मैंने आपकी आज्ञा से मुख्य मुख्य बातें ही रखी हैं। इससे साबित हो जाता है कि माननीय मंत्री जी का जो दावा है कि हमने बम्बई और मद्रास के ऊपर किया है तो यह बिल्कुल ग़लत है और जो हमारे यहां रेट्स हैं वह ज्यादा हैं। हमें लायब्रेरी वग़ैरा से जो लिटरेचर मिल सका है उससे मालूम हुआ है, यह नहीं कह सकते हैं कि अभी हाल ही में वहां कोई अमेंडमेंट वग़ैरा हो गया हो, लेकिन हमें जो फैक्ट्स वग़ैरा मिल सके हैं उनसे मैं समझता हूं कि सरकार का दावा ग़लत है कि उन्होंने बम्बई और मद्रास को फालो (अनुसरण) किया है इतना कह कर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शिडयूल ए और बी जो रखे गये हैं यह सरकार के कारणों और उद्देश्यों के विपरीत जाते हैं। इसके साथ साथ जब हम दावा करते हैं कि हम शिडयूल १ बी के मामले में बम्बई और मद्रास का साथ दे रहे हैं तो हमें देखना चाहिये कि उन्होंने रेमीशन क्या कायम किया है रिडक्शन कहां कायम किया। हम यह देखते हैं कि बम्बई और मद्रास में काश्तकारों और वीवर्स को और सहूलियतें दी गई हैं मैं आपकी आज्ञा से इंडियन स्टाम्प ऐक्ट १८९९, पेज ३६३ में बांड के मुताल्लिक लिखा हुआ है। बंगाल में—

"Bonds executed by weavers, silk rollers, rearers, fishermen, carpenters, paper makers, makers of cane and bamboo articles, conch and shell workers and for loans granted by the government as a measure of relief and rehabilitation."

[जुलाहों, रेशम लपेटने वालों, पशु पालकों, मछुओं, बढ़इयों, काग़ज बनाने वालों, बेंत की और बांस की चीजें बनाने वालों तथा शंख और कौड़ियों का काम करने वालों द्वारा लिखित बन्धों के लिये तथा सहाय्य व पुर्नानिर्वासन के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त ऋणों के लिये।]

इतने बांड्स में रिडक्शन (कमी) और रेमिशन (छूट) बंगाल सरकार ने किया है। मैं माननीय न्याय मंत्री जी से आपके जरिये पूछना चाहता हूं कि यहां पर भी कुछ काटेज इंडस्ट्रीज की रक्षा के लिये इस प्रकार के बांड्स दिये जाते हैं। सरकार जिनको कर्जा देती है उनको कोई रेमिशन और रिडक्शन देती है? इसके लिये कोई प्राविजन इस बिल में रक्खा गया है? मैं समझता हूं कि कोई रिडक्शन और रेमिशन नहीं रक्खा गया है। बंगाल की मिसाल हमारे सामने मौजूद है। माननीय मंत्री जी चाहें तो यह पुस्तक उनके सामने पेश कर सकता हूं। बम्बई में क्या किया गया है—

"Bonds of cultivators or holders of agricultural land to whom a subsidy or takavi loan is granted for the construction or improvement of wells or tanks in pursuance of specific government schemes."

[ऐसे खेतिहरों या कृषियुक्त भूमि के स्वामियों द्वारा लिखित बन्ध जिनको सरकार की निश्चित योजना के अनुसरण में कुयें या तालाब बनाने या उनका सुधार करने के लिये सहायता या तकावी ऋण दिया गया हो।]

बम्बई में भी इस प्रकार के बांड्स में कोई स्टाम्प ड्यूटी नहीं ली जाती। माननीय न्याय मंत्री जी ने जब बम्बई और मद्रास के उद्देश्य और कारणों को फालो (अनुसरण) किया है तो यह भी उन्होंने ध्यान में रखा कि जो विकास योजनायें चालू की जा रही हैं जैसे कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स जिसमें ५ हजार रुपया सरकार देगी, ५ हजार किसान देंगे और ५ हजार सरकार लोन देगी, पुराने कुओं की मरम्मत के लिये और गांवों सभाओं को इंसेंटिव (प्रोत्साहन) देने के लिये जो बम्बई में हुआ

वह यहां किया गया। इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश को लीजिये जो हमसे छोटा प्रदेश है इसमें "सर्विस बांड्स एक्जिक्यूटेड बाई प्लाउमैन आफ गवर्नमेंट फार्म्स" (सरकारी फार्मों के हरवाहों द्वारा लिखित सेवा बन्ध) इस तरह का एग्जेम्शन (माफी) या रेमिशन (छूट) हमारे शेडयूल बी में कहां रक्खा गया है? जहां काश्तकार और किसानों के हित की बात है कहां पर काटेज इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात रक्खी गई है इसके लिये तो कोई चीज माननीय मंत्री जी ने हमारे सामने प्रस्तुत नहीं की और न शेडयूल वन बी में जो बातें हम बंगाल और बम्बई में पाते हैं यहां पर रक्खी गई हैं। मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि शेडयूल वन बी को इन धाराओं का विरोध करने में और इस टैक्सेशन (करारोपण) का विरोध करने में हमारा साथ दें।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय मेम्बर साहब के वक्तव्य को सुना और ग़ौर करता रहा कि उनकी कौन सी बातों को मानना चाहिये और कौन सी बात उनकी ठीक है। मेरे दिमाग का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। संस्कृत में एक श्लोक है जिसका अर्थ है कि गुरु में भी खराबी हो तो उसे जोर के साथ कहो और विरोधी में खूबी हो तो उसे कबूल करो। चाहे वह विरोधी क्यों न हो। लेकिन बदक़िस्मती से मेरे दिमाग़ में उनकी उत्तम दलीलें आ नहीं सकीं। मैं समझता हूं कि इसमें दो रायें नहीं कि टैक्सेशन (करारोपण) न किया जाय। हम इस बात को भी जानते हैं कि टैक्स लगेगा उन्हीं पर जिन्होंने हमें वोट देकर चुना है। वह कहेंगे 'कहिये साहब पहुंचते देर नहीं लगी नये टैक्सेज लगा दिये'। इस का फल हमें भोगना पड़ेगा। हमारे मित्र भी इससे फायदा उठायेंगे यह हम जानते हैं। आप फरमाते हैं कि हम चिल्लाते हैं टैक्स मत लगाओ टैक्स मत लगाओ मगर आपने नहीं माना। लेकिन हम जानते हैं कि आपको इसमें थोड़ी सी गलत फहमी हो सकती है और दूसरी तरफ वोट न मिलने का सवाल है। हमारे सामने अपने मुल्क में रहने वालों का सवाल है और उनकी भलाई करने का सवाल है। जैसे कि एक होशियार डाक्टर होता है उसको देख कर बीमार परेशान होता है कि अगर यह चीरा लगायेगा तो दुःख होगा, दर्द होगा लेकिन होशियार डाक्टर जब उसको चीरता है तब मरीज को डर मालूम होता है और जब वह मरीज अच्छा हो जाता है तो कहता है कि डाक्टर अच्छा था और उसने मेरी जिन्दगी को बचा दिया। ठीक उसी तरह से हमारी सरकार का भी प्रश्न है। सरकार जानती है कि प्रोपेगैंडा होगा, और लोग इसको अच्छा नहीं समझेंगे लेकिन जब काम हो जायगा तब उनको मालूम होगा कि यह कितना अच्छा काम था जिसके लिये यह रुपया मांगा जा रहा है। इसका असर किसानों पर भी पड़ेगा मैं यह जानता हूं और उस भार से किसानों को बचाने के लिये कुछ सुझाव दिया गया है कि मिल मालिकों का जो ५ लाख रुपया जमा है वह उनको न दिया जाय और किसानों की भूमिधरी का जो ३२ करोड़ रुपया सरकार के पास जमा है उसको डेवलपमेंट में लगा दिया जाय तो यह काम हो जायगा लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि यह ५ लाख की रकम बहुत ज्यादा नहीं है और उससे बहुत ज्यादा लाभ किसानों का होने वाला नहीं है. . . .

अध्यक्ष—माननीय सदस्य इसी सम्बन्ध तक सीमित रखें और इसी का उत्तर दे सकते हैं। कल की बातों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री सीताराम शुक्ल—बेशक माननीय अध्यक्ष आपकी बात ठीक है लेकिन इसका बिल्कुल सम्बन्ध उसी से है। इसी बात को लक्ष्य करके यह बात कही गई है तो मेरा ख़याल यह है कि अगर मैं उसका जिक्र करूं तो वह ज्यादा नामुनासिब नहीं होगा. . .

अध्यक्ष—यह पहलू उठाया नहीं गया है। सवाल यह है कि आज क्लाज बाइ क्लाज (खण्डशः) विचार हो रहा है। आप उसमें आम बहस शुरू नहीं कर सकते।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं आपकी आज्ञा से इस पहलू को छोड़ देता हूं। इन टैक्सेज के सम्बन्ध में हमारे दोस्त ने बतलाया कि मद्रास में यह है, बम्बई में यह है और बंगाल में यह है गर्ज कि हर सूबे के फिगर्स निहायत खूबी के साथ उन्होंने यहां पर पुट अप (प्रस्तुत) किये लेकिन हमारे लायक दोस्त यह भल गये कि यू० पी० ही सबसे आगे रहता है और यू० पी० किसी दूसरे सूबे की नक़ल नहीं किया करता और दूसरे सूबे इसकी नक़ल किया करते हैं।

हुजूरवाला, आप जानते हैं कि बड़ा अत्याचार बढ़ा जब रावण ने भले आदमियों को परेशान करना आरम्भ किया तब राम ने उसको समाप्त किया तो वह इसी यू० पी० में हुआ। इसी प्रकार से कंस का अत्याचार बढ़ा और उसको कृष्ण से समाप्त किया वह भी यू० पी० के रहने वाले थे। अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ा तो इसी यू० पी० के रहने वालों ने कम्पलीट इंडीपेंडेंस (पूर्ण स्वतंत्रता) का प्रस्ताव पेश किया था। जब भारतवर्ष को आजादी प्राप्त हुई तो इसी यू० पी० के रहने वाले ने उसका फल प्राप्त किया यानी सब से पहले भारत के प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू हुये। वह इसी यू० पी० के रहने वाले हैं। तो हमरा यू० पी० हमेशा ही लीड करता है। किसानों की दशा खराब है और मैं यह मानता हूं कि उनके ऊपर एक पैसा भी नहीं बढ़ना चाहिये और कोई भी टैक्स अगर लगाया जाता है तो उसका असर जरूर किसानों पर पड़ता है लेकिन जो चतुर किसान होते हैं वह अपने आगे वाले वक्त को पहचानते हैं और उसके लिये इन्तजाम करते हैं। जो चतुर किसान होता है वह भूखा रह जाता है और करजा लेकर भी अपने खेतों के लिये बीज का प्रबन्ध कर लेता है यह जानते हुये भी कि पानी नहीं बरसेगा और अगर बरसे भी तो ज्यादा बरस सकता है लेकिन फिर भी वह रिस्क (डर) उठाता है और उससे फायदा उठाता है। इसी प्रकार हमारी गवर्नमेंट रिस्क उठा रही है और उनको नाराज करके भी पैसा लेना चाहती है ताकि जो भारी काम सामने हैं उनको पूरा किया जा सके।

श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब यहां पर टैक्स लगाने का सवाल आया तो हमारे सोशलिस्ट पार्टी के नेता और उनके साथी ऐसी दलीलें देते हैं जैसे टैक्स लगाना कोई हत्या करना है। यह नक़ल भी उन्होंने कांग्रेस की ही की परन्तु यह समयानुकूल नहीं है। एक समय था जब अंग्रेजों का राज्य था और कांग्रेस के आदरणीय नेता विरोधीदल में थे तो वह भी इसी तरह से दलीलें दिया करते थे जैसे श्री नारायण दत्त जी तिवारी आज देते हैं। मैं उनकी स्पीच की और उन की दलीलों की सराहना करता हूं लेकिन आज हमारे और उन के दृष्टिकोण में अन्तर है। जिस समय हमारे कांग्रेसी नेता किसी टैक्स का विरोध करते थे कि टैक्स न लगना चाहिये उसका कारण यह था कि वह टैक्स हमारे इस्तेमाल के लिए नहीं लगाया जाता था और जनता के हित में उस रुपये का प्रयोग नहीं होता था। टैक्सों के अलावा भी लड़ाई के समय जब दस अरब रुपया चन्दा अंग्रेजों की भलाई के लिये इकट्ठा किया गया था तो हमारे नेताओं ने उसका कड़ा विरोध किया था यहां तक कि मंत्रि पद की कुर्सियों को भी केवल जनहित के लिये छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने यह उचित नहीं समझा कि इस तरह से देश का रुपया जाता रहे और वह कुर्सियों पर बने रहें। उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई के लिये न एक पाई और न एक भाई, और उन्होंने कुर्सियों को छोड़ कर बतला दिया था कि वे लोग जनता विरोधी टैक्सों और चन्दों को कितना नापसन्द करते हैं। उस समय वह बड़े बड़े नेता क्यों विरोध करते

थे ? वह केवल इसलिये विरोध करते थे क्योंकि उस रुपये का इस्तेमाल हमारे देश को गुलाम बनाने के लिये किया जाता था, उसका इस्तेमाल इस प्रकार किया जाता था जैसे कि कहा जाता है कि " मियां की जूती और मियां का सिर", वह रुपया देश की बरबादी के लिये खर्च किया जाता था। यह अवस्था देख कर हमारे देश के नेताओं ने बारम्बार कहा कि नहीं, यह टैक्स हरगिज नहीं लगना चाहिये और उन्होंने बड़ी बड़ी दलीलें और बड़े से बड़े तर्क उस समय सामने रखे। लेकिन उस समय के और आज के दृष्टिकोण में एक विशेष अन्तर है। जो टैक्स आज लगाया जा रहा है वह कोई किसानों पर अत्याचार करने के लिये नहीं, किसानों पर लाठी चार्ज करने के लिये नहीं, विदेशियों का राज्य स्थापित करने के लिये नहीं बल्कि वह देश के निर्माण के लिये लगाया जा रहा है। आज लोग चाहते हैं कि जगह जगह पर बन्धियां बन्धें, देश में जगह जगह पर गांव गांव में अस्पताल खुलें जिनका बहुत जमाने से ग़रीब लोग इन्तजार करते थे कि स्वराज्य के बाद हजारों अस्पताल खुलेंगे , हाई स्कूल खुलेंगे जिनके लिये विद्यार्थी बार बार मांग किया करते थे और जिन जिलों में पहिले एक एक दो दो हाई स्कूल थे उनमें आज ४८ और साठ साठ हाई स्कूल खुले हुये हैं क्या आप चाहते हैं कि उन सब को रोक दिया जाय ?

आज जितनी प्रगति के साथ जिलों में कार्य हो रहा है सड़कों का निर्माण हो रहा है, नहरें बन रही हैं बन्धे बंध रहे हैं हाई स्कूल खोले जा रहे हैं टच्यूबवेल्स की जो योजनायें बन रही हैं उन सबके लिये धन की आवश्यकता है और इन तमाम बड़ी बड़ी आवश्यकताओं को देखते हुये जिस तरह के टैक्स की यह मांग की जा रही है वह कोई बड़ा टैक्स नहीं है। हर आदमी को कोई रोज रोज तो स्टाम्प नहीं खरीदना पड़ता, स्टाम्प खरीदने का नम्बर कभी कभी तो किसी का आता तक नहीं है। कभी कभी तो ४,६ साल तक स्टाम्प खरीदना ही नहीं पड़ता। जब इस प्रकार के छोटे छोटे टैक्स बिजली पर, मोटर पर, और स्टाम्प पर लगा कर ही आमदनी को पूरा किया जा रहा है तो क्या आप चाहते हैं कि यह टैक्स भी न लगायें जायं। इसका अर्थ यह है कि आप चाहते हैं कि जितनी उन्नति और विकास की योजनायें हैं उन सबको रोक दिया जाय। इन छोटी छोटी बातों को लेकर आप आगे आते हैं। आप जनता की सस्ती प्रशंसा लेना चाहते हैं ताकि आप जनता में जाकर कह सकें कि हमने तो बड़ी कड़ाई और मजबूती के साथ टैक्स का विरोध किया था परन्तु कांग्रेस सरकार का किसानों के बारे में पत्थर का दिल है कि वह जनता के हित की बात ही नहीं सोचती और वोट लेने के बाद अब वह बराबर टैक्स लगाती जाती है। यदि निर्माण कार्य के लिये समय समय पर थोड़ा सा धन कर-रूप में जनता से लेना पड़ता है तो इसके लिये ज़रा साहस की जरूरत है। आप यदि हमारी और हमारे नेताओं की उस समय की नक़ल करते हैं तो वह समयानुकूल नहीं है। आप ज़रा दृष्टिकोण को समझें कि उस समय हमारा दृष्टिकोण विदेशियों के खिलाफ था और इसलिये था कि वह रुपया हमारे हित में नहीं लगता था परन्तु इस समय तो हमारा देश के निर्माण का दृष्टिकोण है। इस प्रकार का विरोध करके आप इस समय भारी ग़लती कर रहे हैं क्योंकि यह निर्माण का अवसर है। विदेशियों को हटाने के लिये जिन नारों को लगाया जाता था वे नारे आज निर्माण के अवसर पर कदापि प्रयोग नहीं किये जा सकते।

आज आप कहते हैं कि गाय को उतना ही दुहना चाहिये जितना उसमें दूध हो और उससे आगे नहीं दुहना चाहिये। मैं कहता हूं कि आज हमारा समाज देश के निर्माण-कार्य के लिये टैक्स देने के लिये तैयार है और वह उसमें जरा भी संकोच नहीं करता है क्योंकि यह सब रुपया यहीं देश हित में ही तो व्यय होगा। हमारा विश्वास है और सभी लोग देखते हैं कि जब लोग रेलों में सफर करते हैं और जब नदियों के पुलों से होकर रेलें जाती हैं तो गंगा, यमुना, और बेतवा, इत्यादि, नदियों में रोजाना हजारों रुपयों के पैसे अधन्ने और इकन्नियां आदि पानी में फेंक दिया करते हैं।

[श्री रामसहाय शर्मा]

तो क्या वह जनता देश निर्माण के लिये रुपया देने में कोई परेशानी महसूस करेगी? हम लोगों का हित इसी में है कि यदि हमको कुछ तक़लीफ सह कर भी अपने यहां सड़कें, हाई स्कूल, नहरें तथा बांध बनवाने के लिये कुछ रुपया देना पड़े तो हम दें। यह कहना कि इससे जनता पिस जायगी और मर जायगी, ये दलीलें इस समय जब कि देश आजाद हो चुका है, और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है बेकार हैं। इसलिये माननीय मंत्री जी ने जो सुझाव रखा है वह देश के निर्माण कार्य के लिये है और इसी में जनता का हित है इससे हमारे सोशलिस्ट भाइयों को उकताना नहीं चाहिये। देश के निर्माण और जनता के हित में हम जो कुछ भी कर सकते है अवश्य करेंगे और ऐसा करने में हमें कोई संकोच नहीं है। हां, यदि हम जनता के विरुद्ध कोई कार्य करते तो हमको संकोच करने की आवश्यकता थी। इसलिये मैं अपने सोशलिस्ट भाइयों से निवेदन करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस लें और मूल प्रस्ताव का समर्थन करें और उसे पास करावें।

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)——माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कल से विरोधी नेताओं के तथा और भाइयों के व्याख्यान सुन रहा हूं। मैं समझता हूं कि इस बिल पर बहस जो हो रही है उससे बजाय कोई फायदा होने के इस भवन का, गवर्नमेंट का और सभी लोगों का समय बरबाद हो रहा है। जो संशोधन आया है उसे मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और माननीय नारायणदत्त जी तिवारी का व्याख्यान भी सुना। इस संशोधन में उन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि इसमें हम लोग स्टाम्प डचूटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आर्टीकिल १ से लेकर जितने भी आर्टीकिल्स इसमें हैं यदि देखा जाय तो किसी में आठ आने किसी में ४ आने और किसी में २ आने बढ़ाये जा रहे हैं। जैसा कल हमारे मंत्री जी ने बताया, ज्यादा से ज्यादा हम २५ फी सदी बढ़ा रहे हैं। हमने इसमें देखा है कि आर्टीकिल १५ में ६०० रुपये तक का जो बांड होगा उसमें जो पहला ६ रुपये का रेट था उसमें कोई बढ़ोत्री नहीं की गई है। कहीं कहीं थोड़ी सी बढ़ोत्री जरूर की गई है, लेकिन इसका सिद्धान्त हम लोगों ने स्वीकार कर लिया है। २५ फीसदी बढ़ोत्री का माननीय न्याय मंत्री जी का प्रस्ताव है और उसे हम एक तरह से स्वीकार कर चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि जो समय इसमें अब लगाया जा रहा है उसे हम नितान्त बरबादी समझते हैं। हम अपने विरोधी दल के माननीय नेताओं से प्रार्थना करेंगे कि वे इस समय को बचावें और दूसरे अच्छे कार्य में लगावें। जिन जिन आर्टीकिल्स का उन्होंने जिक्र किया है उनमें बहुत थोड़ी सी बढ़ोत्री हुई है। यह संशोधन बिल्कुल ग़लत है और हमारे माननीय सदस्य इसको प्रेस करके समय को बरबाद नहीं करेंगे। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा वह इसे वापस ले लें।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)——अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त ने अपनी तक़रीर के सिलसिले में बाज़ बातें जो कही हैं मैं उनसे सहमत हूं। मस्लन उन्होंने एक किताब में यह देखा और कहा कि यह डचूटी ऐसी है जिसको अगर लोग चाहें तो अदा न करें। यह ऐसी डचूटी नहीं कि जिसको गवर्नमेंट लोगों से मजबूर करके वसूल कर ले। यह बिल्कुल ठीक है जैसा कि अभी कहा गया कि बहुत से लोग हजारों की तादाद में ऐसे हैं जिनको अपनी जिन्दगी में कभी भी स्टाम्प लगाने की जरूरत नहीं होती और अगर होती भी है तो सिर्फ २–४ बार होती है। अगर वे लोग भी यह तय कर लें कि उस डचूटी को अदा न करेंगे तो गवर्नमेंट उनको मजबूर नहीं कर सकती। इस बहस से कोई बात साबित नहीं होती। जहां तक मैं यह कहता हूं कि इस ऐक्ट को पास किया जाय या न किया जाय उसके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता।

दूसरी बात जो उन्होंने बयान की वह यह कि सन् १९४६–४७ में जो टैक्स इस डयूटी स वसूल होता था उसमें और आज जो वसूलयाबी होती है उसमें सिर्फ ९ लाख का फर्क है जब कि डयूटी २५ फीसदी बढ़ा दी गई है। मेरे ख़याल में उनका यह ख़याल ग़लतफहमी पर मबनी है। सन् ४३ में आखिरी बार डयूटी बढ़ाई गयी थी। जो डयूटी सन् ४३ में गवर्नमेंट आर्डर से बढ़ायी गयी थी उसी के लिये एक ऐक्ट सन् ४८ में लाया गया था लेकिन उस वक्त कोई इजाफा डयूटी में नहीं किया गया।

श्री नारायणदत्त तिवारी–मैंने यह कभी नहीं कहा कि १९४६–४७ में डयूटी बढ़ायी गयी बल्कि यह कहा था कि १९४६–४७ में जो नान-जुडीशियरी स्टाम्प की आमदनी थी उससे आज कम है।

श्री सैयद अली जहीर––बहरहाल कमी होने में भी कोई बहस नहीं हुई। मैंने कल भी बयान किया था कि जमींदारी के अबोलीशन (उन्मूलन) की वजह से वार (युद्ध) की वजह से नीज बिजनेस में कमी हो जाने की वजह से इस मद में कमी हुई। इसलिये यह कहना कि सन् १९४६–४७ में जो डयूटी थी वह आज नहीं है या उसमें फर्क कम है इससे बहस में कोई तकवियत पैदा नहीं होती। बहस में यह भी कहा गया कि हमने जो यह बिल में कहा है कि हमने बम्बई और मद्रास के मुकाबले में डयूटी कर दी है वह ठीक नहीं है क्योंकि हमने बंबई मद्रास से भी उसको बढ़ा दिया है। मैं आइटम्स का हवाला देता हूं। इसमें दो बड़े बड़े आइटम्स हैं। एक बांड्स (बन्ध) का और दूसरा कनवेयेंस (क्रय) का। अगर वे यह देखें तो उनको मालूम होगा कि इन दोनों जगहों में हमारी जो मेक्सीमम (अधिकतम) डयूटी है वह मद्रास की डयूटी से कम है। आइटम नं० १२ में जब कि मद्रास डयूटी १५ रुपया १ हजार पर है जब कि हमारे यहां सिर्फ १२ रुपया हजार है। इस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि डयूटी हर जगह पर ज्यादा रख दी गई है। आइटम नं० २३ जो कनवेंयेंस का है उसमें भी मद्रास में मेक्सीमम ९०० से १,००० तक ३० रुपया है लेकिन हमारे यहां सिर्फ २४ रुपया है। इसी तरह से आप अगर आईटम नं० ३० देखेंगे जो कि ऐन्ट्री आफ एडवोकेट्स (एडवोकेटों की प्रविष्टि) का है जिसको हमने बढ़ा कर ६२५ रुपये से ७५० रुपया कर दिया है। जब कि इस वक्त बिहार में १,०२१ रुपया ४ आना है। और सी० पी० में ८३३ रुपये है इसी की डयूटी तो इस तरह से ७५० रुपये जो हम करने जा रहे हैं ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत से सूबों में इससे ज्यादा है। अब आइटम नं० ३८ लेटर आफ लाइसेंस। इसका भी हवाला दिया गया लेकिन इसमें भी अगर मद्रास को देखा जाय उन्होंने २२ रुपये ८ आना किया है और हम महज २० रुपया लगाने जा रहे हैं। बिल्कुल यही सूरत पार्टनरशिप (साझेदारी) की है वहां भी जो डयूटी है वह भी हमारे बहुत से सूबों की डयूटीज से कम है। खैर, इसके मुताल्लिक मैं ज्यादा वक्त इस हाउस का सर्फ नहीं करना चाहता बल्कि इतना अर्ज करना चाहता हूं....

अध्यक्ष––क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि आपके पास जो चार्ट है और माननीय नारायणदत्त जी के पास जो चार्ट है वह अलग है?

श्री सैयद अली जहीर––उनके पास जो चार्ट है वह अलग है और मेरे पास जो चार्ट है वह अलग है।

श्री नारायणदत्त तिवारी––जो साहित्य है उसी के आधार पर दोनों ने बनवाया है।

श्री सैयद अली जहीर—हो सकता है एक ही हो। लेकिन यह तो उनके और हमारे पढ़ने का सवाल है वह जो पढ़ते हैं वह मैं नहीं पढ़ता। वह उनको पढ़ते हैं जिन सूबों में कम हैं और मैं जिन सूबों में ज्यादा हैं मैं उनको पढ़ता हूं। (हंसी)

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस तरह से बहस करना बहुत ग़लत है। उन्होंने कुछ रेमिशन्स (छूट) के बारे में कहा और यह कहा कि जो और सूबों में रेमिशंस दिये गये हैं और एकजेम्प्शंस (माफी) दिये गये हैं वह भी हम लोगों ने नहीं दिये हैं। इस मामले में उनकी इत्तिला गालिबन नाकाफी है क्योंकि हमारे यहां भी खास कर ऐग्रीकल्चरिस्ट और किसानों को जिनको बहुत से दस्तावेज़ लिखाने पड़ते हैं उसके लिये हमने बहुत ज्यादा एक्जेम्प्शंस दिये हैं यानी यहां तक कि बांड के लिये भी हमने रेमिशंस दिये हैं। जो एक्जेम्शंस दिये गये हैं वह हमारे सूबे में भी दिये गये हैं और हम लोगों ने एक अलग दफा इस ऐक्ट में बनाई हुई है वह दफा ९ है

" The Government may, by rule or order published in the official Gazette, reduce or remit prspectively or retrospectively the whole or part of the duty with which an instrument of a particular class is charged or an instrument or any of the instruments of a class when the instrument is executed by or in favour of a class of persons....."

[सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित नियम अथवा आदेश द्वारा उस समस्त ड्यूटी में या उसके किसी भाग में पश्चाद्दर्शी अथवा पुरोदर्शी प्रभाव पूर्वक, कमी कर सकती या छूट दे सकती है जो किसी वर्ग विशेष के अधिकार पत्र पर लगायी गयी हो, या जब व्यक्तियों के किसी वर्ग के प्रति या उसके द्वारा कोई अधिकारपत्र लिखा गया हो तो उस अधिकारपत्र पर या उन अधिकारपत्रों में से किसी पर....]

तो इस तरह से तो जिन क्लास के लिये और जिन लोगों के लिये गवर्नमेंट मुनासिब समझती है कमी ड्यूटी में कर देती है। अगर मद्रास में कमी की गई है तो हमारे यहां भी जहां जहां मुनासिब समझा गया है वहां वहां कमी कर दी गई है लिहाजा इस पर इस किस्म की बहस करना मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। माननीय नारायणदत्त जी ने जो आम बहस टैक्सेशन के खिलाफ की है उसका कुछ जवाब तो कल दिया जा चुका है और कुछ आज माननीय सदस्यों ने अभी दे दिया है; उसमें तफसील से मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता लेकिन इतना मैं जरूर अर्ज करूंगा कि हमारे सामने जो प्रोग्राम है और जो हमें अपने सूबे के लिये करना है उसका कहीं न कहीं से इंतिजाम करना है। हम जानते हैं कि हमारी जनता इतनी समझदार है कि वह इस जरूरत को महसूस करती है और वह खुद इस इन्तिजार में है कि कांग्रेसी हुकूमत जो इतने वर्षों से हुकूमत को सम्हाले हुये हैं और नये कांस्टीटिचुशन में एलेक्शन लड़कर कामयाब हुई है वह आइन्दा के लिये क्या करने जा रही है इसके लिये उसका इंतिजार है और कांग्रेस हुकूमत ने भी अपना जो प्रोग्राम है उसको शाया कर दिया है। जाहिर है कि इतने बड़े प्रोग्राम को हम बग़ैर जनता की मदद के, बग़ैर अपने भाइयों की मदद के नहीं चला सकते और कोई प्रोग्राम बिना उनकी माली कुर्बानी के नहीं चल सकता। उसमें हमको रुपये की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाएंगे और उनमें से एक निहायत छोटा सा और मामूली किस्म का टैक्स यह है जो कि मैं इस हाउस के सामने पेश कर रहा हूं। और मुझे यकीन है कि जरूरियात को आप सब साहबान जानते हैं और हमारे सोशलिस्ट भाई भी जानते हैं। लेकिन विरोधी दल होने के नाते वह अपना फर्ज समझते हैं कि वह मुखालिफत करें और उन्हें

इसका हक भी है कि वह मुखालिफत करें। लेकिन अपने दिल में वह भी जानते होंगे कि रुपये के बग़ैर हुकूमत नहीं चल सकती और बग़ैर रुपये के कोई प्रोग्राम तामीरी नहीं चल सकता। इस वजह से मैं यकीन करता हूं कि हाउस इस बिल को मंजूर करेगा।

अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

१८९९ के ऐक्ट २ की धारा ३ में संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य (proviso) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य रक्खा जायगा--

"Provided that, except as otherwise expressly provided in this Act and notwithstanding anything contained in clauses (*a*), (*b*) and (*c*) of this section or in Schedule I or IA the following instruments shall, subject to the exemptions contained in Schedule IA or IB be chargeable with duty of the amount indicated in Schedule IA or IB as the proper duty therefor respectively, that is to say—

(*aa*) every instrument mentioned in Schedule IA or IB which, not having been previously executed by any person, was executed in Uttar Pradesh—

(*i*) in the case of instruments mentioned in Sechedule IA on or after the date on which the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1948, came into force, and

(*ii*) in the case of instruments mentioned in Schedule IB on or after the date on which the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1952, comes into force; and

(*bb*) every instrument mentioned in Schedule IA or IB which, not having been previously executed by any person, was executed out of Uttar Pradesh—

(*i*) in the case of instruments mentioned in Schedule IA, on or after the date on which the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1948, came into force; and

(*ii*) in the case of instruments mentioned in Schedule IB, on or after the date the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1952, comes into force, and relates to any property situated, or to any matter or thing done or to be done in Uttar Pradesh, and is received in Uttar Pradesh.

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के अन्तर्गत मूल अधिनियम की धारा ३ में प्रस्तावित प्रतिबन्ध के खंड (ए ए) तथा खंड (बी बी) की पंक्ति ३ में शब्द "was" तथा शब्द "executed" के बीच में शब्द "or is" बढ़ा दिये जायं।

[श्री जयराम वर्मा]

श्रीमान् जी, इन दोनों खंडों में दो प्रकार के करणों का अभिदेश है। एक तो उस प्रकार के करण जो सूची १ (ए) के हैं जिनका इग्जिक्विशन यह यू० पी० स्टाम्प अमेंडमेंट ऐक्ट, १९४८ के बाद हुआ और दूसरे उस प्रकार के करण जिनका उल्लेख सूची १(बी) में है और जिनका इग्जिक्विशन इस वर्तमान ऐक्ट के लागू होने के दिन या उसके बाद होगा। लेकिन इन दोनों प्रकार के करणों के अभिदेश के लिये केवल शब्द "वाज़ इग्जिक्विटेड" प्रयुक्त हुआ है। "वाज इग्जिक्विटेड" के स्थान पर अगर "वाज आर इज इग्जिक्विटेड" कर दिया जाय तो ठीक से दोनों प्रकार के करणों का अभिदेश हो जायगा। इसलिये मैं समझता हूं कि "आर इज" शब्दों का बढ़ाया जाना अत्यावश्यक है।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह जो जयराम वर्मा जी ने संशोधन पेश किया है उसका समर्थन करता हूं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था नयी धारा ३ में जो नया प्राविजो लगाया गया है केवल यही एक ऐसा प्राविजन है जिसके अनुसार उद्देश्य और कारणों में जो दावा किया गया है "इस अवसर से ऐक्ट के अन्य मामूली दोष दूर करने का भी लाभ उठाया जा रहा है।" तो केवल एक ही दफा इस प्राविजो के जरिये से की जा रही है और वह भी अगर यह संशोधन मंजूर न हो, तो वह भी मतलब पूरा नहीं होता। जो भूत है, बीत चुका है उसके लिये तो हो सकता है। लेकिन वर्तमान और भविष्य के लिये मतलब हल नहीं होता है। यह प्राविजो इतना लम्बा और जटिल है कि मुझे खुद एक घंटा इसको समझने में लगा। अगर माननीय मंत्री जी भी इसको पढ़ेंगे तो वह भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि महज "वाज" से प्राविजो का मतलब सिद्ध नहीं होता। कल उन्होंने तो इस पर चुप्पी साध ली थी। चूंकि आज प्रावाइजो आ ही गया है, तो मैं आज उसको समझ लेना चाहता हूं कि मैं समझ तो लूं। शायद इसमें यह है कि उत्तर प्रदेश के बाहर बहुत से ऐसे ट्रांजेक्शंस (व्यवहार) होते हैं, जो कि इस प्रान्त से और दूसरे प्रान्तों से मिले जुले होते हैं। तो उनमें स्टाम्प ड्यूटी किस प्रकार लगेगी, उससे यह सम्बन्ध रखता है। अगर यह ठीक है, तो इस लिहाज से मैं जयराम वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और मुझे आशा है कि माननीय न्याय मंत्री इसे स्वीकार करेंगे।

श्री सैयद अली जहीर—यह जो संशोधन है इसमें कोई उसूली इख्तलाफ हमारा आपका नहीं है। मेरे ख्याल में जिस तरह से कि यह सेक्शन बना हुआ है उससे भी वही मतलब निकलता है जैसा कि नारायण दत्त जी समझते हैं, यानी ऐसे दस्तावेज जो कि इस सूबे के बाहर एग्जिक्यूट होते हैं लेकिन वह यहां इस्तेमाल किये जायं और वहां पर उनके टैक्सेशन में अगर कोई ड्यूटी हो, जो उन्होंने वहां पे किया है और यहां उन्हें पे करना चाहिये तो उसे यहां वसूल कर लिया जाय। जो अंडर लाइंग प्रिंसिपल (आधारभूत सिद्धान्त) है वह यही है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से यह बना हुआ है उससे भी वही मतलब निकलता है और जो तरमीम की जा रही है उसकी चन्दां जरूरत नहीं है और मुझे यकीन है कि वह इसको वापस ले लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मेरी समझ में तो यही आता था कि "आर इज" अगर बढ़ा दिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जिन करणों का एग्जिक्यूशन उस (संशोधन) सन् १९५१ के बाद होगा उनके लिये "वाज़ एग्जिक्यूटेड" का प्रयोग करना मेरे ख़याल से उचित नहीं है। उनके लिये "इज़ एग्जिक्यूटेड"

ही होना चाहिये। लेकिन मैं वकील नहीं हूं, अगर इसमें कुछ भूल होती हो और "वाज एग्जिक्यूटेडि" से काम चल जाता हो तो मैं वापस लेना चाहता हूं।

अध्यक्ष---यह तो उन्होंने बता ही दिया है। तो क्या आप वापस लेते हैं?

श्री सैयद अली ज़हीर---मैंने सवाल का जवाब पहले ही दे दिया था कि इसकी जरूरत नहीं है। इससे वही मतलब हासिल हो जाता है। मैं पूरा नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि लम्बा है। इससे मतलब वही निकलता है। उसकी जरूरत नहीं है।

श्री जयराम वर्मा---मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राधाकृष्ण अग्रवाल, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचित सदस्यों के नामों की घोषणा

अधिष्ठाता---मुझे यह घोषणा करनी है कि एस्टीमेट्स कमेटी (प्राक्कलन समिति) के लिये ४४ नाम आये थे। २५ सदस्यों का निर्वाचन करना था। १९ नाम वापस हो गये। अब ये २५ नाम बाकी रह गये हैं---

१. श्री नवल किशोर
२. श्री व्रज विहारी मेहरोत्रा
३. श्री द्वारका प्रसाद मित्तल
४. श्री केशव गुप्त
५. श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी
६. श्री हबीबुर्रहमान खां हकीम
७. श्रीमती चन्द्रावती
८. श्री कैलाश प्रकाश
९. श्री चन्द्रसिंह रावत
१०. श्री महमूद अली खां (सहारनपुर)
११. श्री जगदीश प्रसाद
१२. श्री रामप्रसाद देशमुख
१३. श्री चन्द्रभानु शरण सिंह
१४. श्री रामस्वरूप
१५. श्री रामसनेही भारतीय
१६. आचार्य जुगुल किशोर
१७. श्री अक्षयवर सिंह
१८. श्री सूर्यबली पांडेय
१९. श्रीमती आशालता व्यास
२०. श्री असंमान सिंह
२१. श्री रामनारायण त्रिपाठी
२२. राजा वीरेन्द्र शाह
२३. श्री देवराम
२४. श्री शिवकुमार शर्मा
२५. श्री शिवकुमार पांडेय

मैं इन सदस्यों को निर्वाचित घोषित करता हूं। इस प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष माननीय आचार्य जुगुल किशोर जी को अध्यक्ष जी ने नियुक्त किया है।

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२

खण्ड ४

१८९९ के ऐक्ट २ की धारा ४ में संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा ४ में--

(क) शब्द और संख्या "Schedule IA" के स्थान पर शब्द और संख्या "Schedule IB" रख दिये जायंगे; और

(ख) शब्द "one rupee fourteen annas" के स्थान पर शब्द "two repees eight annas" रख दिये जायेंगे।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ४ में हमारे सामने जो धारा है और जो संशोधन है इनका विरोध करना चाहता हूं और इसी में चूंकि फिर शेड्यूल (बी) का प्रश्न आया है, मैं आपकी आज्ञा से माननीय सदस्यों का खासतौर से माननीय न्यायमंत्री जी का ध्यान जो मैंने निवेदन किया था उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने सन् १९४६-४७ की आमदनी और सन् १९५२-५३ की जो प्रस्तावित आमदनी है इनके बीच जो फर्क बतलाया था वह केवल इसीलिये बतलाया था कि जो सरकार यह दावा करती है कि इसी स्टाम्प ड्यूटी के जरिये हमारी रेवेन्यू बहुत बढ़ जायगी वह गलत है। आपने रेट्स पहले बढ़ाये हैं। एक हद तक रेट्स बढ़ा कर आपको ज्यादा रेवेन्यू मिला है लेकिन फिर घटता गया है। जैसा कि मैंने ४६-४७, ४७-४८, ४८-४९ आदि की फीगर्स कोट (उद्धृत) करके बतलाया था कि एक साल के लिये बढ़ा और फिर घट गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि अगर आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स बढ़ाने के कारण हमारी आमदनी बढ़ती नहीं है, एक हद तक बढ़ती है फिर घटनी शुरू हो जाती है तो कोई आवश्यकता नहीं है कि आपने शेड्यूल (बी) को जिस तरह से रखा है उस तरह से पेश करें। इसके अलावा जहां तक सवाल मदरास, बम्बई वगैरह का था, मेरा तो अब भी दावा है कि वहां के रेट्स हमारे यहां से कम है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि जहां केरेट्स कम थे वहां के मैंने पढ़ दिये और जहां के ज्यादा थे वहां के नहीं पढ़े। मेरा कहना यह है कि जहां के ज्यादा थे वहां के माननीय मंत्री जी ने पढ़ दिये और बाकी छोड़ दिये। लेकिन फिर भी केवल ७ या ८ मिसालें ही वे दे सके कि जहां एक आध चीजों में मदरास में ज्यादा है और कहीं एक आध जगह बम्बई में ज्यादा है। लेकिन मैंने पंद्रहों जगह और बीसियों जगह कहीं, बम्बई और कहीं मदरास में साबित कर दिया है। कन्वेयेंस (क्रय) में, बोंड्स (बन्ध) में, पार्टीशन (विभाग) में, मोरगेज (बन्धक) में ज्यादा है। इसलिये उनको स्वीकार करना चाहिये कि जो सिद्धांत और उद्देश्य प्रस्तावना में लिखे थे वह गलत थे या अधूरे थे। लेकिन मुझे दुख है कि माननीय न्याय मंत्री जी ने जो विरोधी दल का सिद्धांत था जिसको लेकर वह विरोध कर रहा था उसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके साथ साथ इसमें और भी कुछ बातें हैं जिनकी ओर मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जैसे तथ्य १० को ले लीजिये। इसके पृष्ठ ६ में आइटम १० "artciles of association of a company" (कम्पनी का संघ सिद्धांत पत्र) इसमें चाहे किसी भी कम्पनी को बनाये चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो उसके लिये १०० रुपया रख दिया गया है। बिहार में जब कि ६८ रुपये १२ आने है और सी० पी० में ६६ रुपये १० आने हैं और जिस प्रांत पर कि माननीय मंत्री जी को बहुत ज्यादा नाज है यानी बम्बई प्रांत में वहां पर तीन तरह से रखा गया है। ऐसा नहीं किया है कि हर कम्पनी के लिये १०० रुपया रख दिये जायं। उन्होंने हैसियत के अनुसार रखा है क्योंकि कोई छोटी कम्पनी होती है, कोई बड़ी कम्पनी होती है और कोई मध्यम कम्पनी होती है। माननीय मंत्री जी ने जब इस चीज को पेश किया तो बम्बई ने जिस तरह से विभाजन किया है

उस तरह से विभाजन नहीं किया। कोई छोटी कम्पनी हजार दो हजार की कैपीटल की हो सकती है और कोई कम्पनी ५ लाख की कैपिटल (पूंजी) की हो सकती है। हमारे माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान नहीं गया है। बम्बई में जितनी कम्पनियां है और जिनकी कैपिटल २५०० रुपये तक है उनसे ३७ रुपये ८ आने रेट स्टाम्प ड्यूटी का लिया जाता है और २,५०० रुपये से ऊपर और एक लाख रुपये तक की कैपीटल की जो कम्पनीज हैं उनसे ७५ रुपये लिये जाते हैं और जो कम्पनीज एक लाख रुपये की कैपीटल से ज्यादा हैं उनसे १५० रुपये लिये जाते हैं। लेकिन हमारे यहां चाहे कम्पनी की कैपीटल २,५०० रुपये हो, ५०,००० रुपये हो या दस लाख रुपये हो सब से बराबर ही ड्यूटी ली जाती है। मैं एक ऐसी मिसाल दे रहा हूं जिसमें सरकार ने एक बड़ी भारी भूल की है। हमारी सरकार का यानी माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर नहीं गया है।

इसके साथ साथ एक जगह और भी हम देखते हैं कि इसके आइटम ६ में "Agreement relating to Deposit" (निक्षेप विषयक सम्मति पत्र) है जहां कहीं भी है जिसमें अलग अलग विभाजन किया गया है केवल आठ आने रख दिया गया है। कहीं एक आदमी करता है और कहीं ज्वाइंटली (संयुक्त रूप से) कई आदमी करते हैं इसका ध्यान नहीं रखा गया है। बम्बई में है इसको हमने स्वीकार नहीं किया है तो इससे कठिनाई होती है और जो स्टाम्प ड्यूटी के पीछे स्प्रिट (भावना) है उसकी ओर ध्यान नहीं गया है। हमारे माननीय मिश्र जी ने तो इतना कह दिया कि स्टाम्प ड्यूटी के बारे में कुछ कहना या शिड्यूल (बी) के डिटेल में जाते हैं तो सदन का समय बरबाद करना है। यदि मैं स्टाम्प ड्यूटी के बारे में तुलनात्मक विवेचन करना चाहता हूं तो किसी भी माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। हम इसलिये विरोध नहीं करना चाहते हैं कि यह टैक्सेशन है बल्कि इसलिये विरोध करते हैं कि जनता की हैसियत इतनी नहीं है या जो इससे जनता के ऊपर भार पड़ता है उसको जनता बरदाश्त नहीं कर सकती है। इसलिये हम इसका विरोध करत हैं। हमारे दृष्टिकोण को वह सही रूप में समझें और समझने की चेष्टा करें और जैसा कि अब तक रहा है वह आज भी उसी रूप से वह हमारी आलोचना को देखेंगे फिर इसके साथ ही साथ शेड्यूल (बी) का जहां तक सवाल है बिल आफ एक्सचेंज और प्रामिसरी नोट्स के बारे में कल भी सवाल उठा था। हम देखते हैं कि पिछले सालों में बिल आफ एक्सचेंज और हुंडियों से सरकार को जो आमदनी हुई है वह बहुत फ्लक्चुएटिंग (घटती बढ़ती) रही है। एक साल १० हजार हुई तो दूसरे साल ३०, ४० हजार हो गई, फिर घट कर ९, १० हजार रह गई और अगले साल फिर बढ़ कर २० हजार हो गई। मेरे पास इसके पूरे आंकड़े हैं, समय बचाने के लिये पेश नहीं करना चाहता कि किस प्रकार उसी गल्ती के कारण जो मैंने सिद्धांतों के समय बतलाई थी कि ये जो बिल आफ एक्सचेंज प्रामिसरी नोट्स के रूप में इस्तेमाल किये जाते हैं उससे रेवेन्यू कम प्राप्त होती है। इस का मुख्य कारण यही है कि शेड्यूल (बी) में स्टाम्प ड्यूटी बढ़ाने से रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी। २५ परसेंट बढ़ा दी, कुछ फायदा मिल गया। एक दो साल वह बढ़ी हुई नजर आयेगी लेकिन फिर घटना शुरू हो जायगी और जिस मकसद से हम यह कर रहे हैं वह हासिल नहीं होगा। बहुत से मित्रों ने कह दिया कि बारगेनिंग (सौदे) से, इन्स्ट्रूमेंट (अधिकार पत्र) को अदालतों से क्या संबंध। हम सब लोग जानते हैं कि अदालतों का पूरा संबंध डायरेक्टली इंस्ट्रूमेंट से नहीं होता। जहां एविडेंस (साक्ष्य) का सवाल आता है वहां इस प्रकार के जितने इंस्ट्रूमेंट होते हैं वे सब अदालतों में पेश किये जाते हैं। इसलिये मैं यह समझता हूं कि हमारे माननीय न्याय मंत्री जो हमारे दृष्टिकोण को स्पष्टतः समझेंगे और यह कह कर टालने की कोशिश न करेंगे कि साहब यह तो होता ही है, हम विरोध हैं लिहाजा इनका विरोध करना फर्ज है, टैक्सेशन बढ़ाया जा रहा है लिहाजा विरोध किया जा रहा है। इसको न देखते हुये लीगल प्वाइण्ट आफ व्यू (विधि के विचार) से, रेवेन्यू प्वाइण्ट आफ व्यु (मालगुजारी के विचार से) से कि क्यों कम रेवेन्यू मिल रही है इस दृष्टिकोण से माननीय न्याय मंत्री मेरे संशोधन का प्रतिपादन करके उसे स्वीकार करेंगे।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

अन्त में यह बतलाना चाहता हूं कि वह इस दृष्टिकोण से देखें कि सन् ४६ में जहां इससे आमदनी ७० लाख १७ हजार हुई थी वहां इस साल आमदनी ६६ लाख रुपये रह गई, ४ लाख कैसे घट गई। एक तरफ तो जमींदारी खत्म हो गई, कोर्ट आफ वार्डस खत्म हो गई, दूसरी तरफ कहा जाता है कि मुकदमेबाजी बढ़ रही है। लेकिन जहां तक मारगेज, हुंडी और पार्टीशन का सवाल है मैं समझता हूं कि उसमें कोई कभी नहीं आ गई। माननीय न्याय मंत्री जी कोई आंकड़े पेश करें कि क्या हुंडियां कम हो रही हैं, मार्गेजज कम हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं। वह यह बतलायें कि पिछले साल इतने स्टैम्प्स बिके थे और अब इतने कम बिके हैं। मैं समझता हूं कि अगर वह इसे हमारे सामने पेश करेंगे तो मुझे भी अपनी गल्ती स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी दलील या लिस्ट पेश नहीं की जिसकी वजह से मैं यह मान लूं कि सन् ४० से आज झगड़े कम हो गये हैं, और स्टैम्प्स कम बिकने शुरू हो गये हैं। स्टैम्प्स कम बिके इसका कारण यह है कि स्टाम्प ड्यूटी बढ़ी है। यह बात सही नहीं है कि बार्गेनिंग कम होने लगा या इंस्ट्रमेंट कम एक्जिक्यूट होने लगे। ड्यूटी बढ़ने से लोग उसे इवेड करने (उससे बचने) की कोशिश करने लगे, यह सही बात है। मैं फिर दरख्वास्त करूंगा कि जो बातें मैंने पेश की हैं शेड्यूल (बी) में संशोधन करने के लिये और पुनर्विचार करने के लिये, वह स्वीकार की जायंगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---माननीय चेयरमैन महोदय, बहुत अनिच्छा से मैं इस समय खड़ा हुआ। जो बातें आज फिर सदन के सामने दोहराई गईं मैं चाहता था कि वह न दोहराई जातीं। मेरे एक माननीय मित्र मिश्र जी के भाषण पर आपत्ति की गई और कहा यह गया कि मिश्र जी समय नष्ट करने वाली जो बात करते हैं वह गलत कहते है लेकिन मैं करूं क्या? मैं यह नतीजा निकालता हूं कि मिश्र जी की बात सही है। एक बात को एक बार कहना और उसी बात को नई भाषा में तीन बार कहना तो मतलब एक ही है। हमारे मित्र ने कल जिन बातों का जिक्र किया था आज फिर उन्हीं बातों को सदन के सामने रखा है। जहां तक ड्यूटी बढ़ाने के सिद्धांत का प्रश्न है उस तीर का निशाना मुझे भी कई बार बनाया गया और प्रत्येक मित्र ने यह कोशिश की कि मेरे ऊपर कुछ छींटें कस दिये जायं। मैंने कल एक पेड़ का उदाहरण दिया था कि एक पेड़ बतला दिया जाय जिसमें से रुपया लेकर यह सरकार अपना काम चलावे। आपका स्वप्न पूरा करे, अपना स्वप्न पूरा करे, गांव गांव को पक्का करे, पक्की सड़कें बनवाये, गांवों में आबपाशी का प्रबन्ध करे, बांध बन्धवाये, एलेक्ट्रिक का प्रबन्ध करे, और दूसरे उन्नति के कार्य करे जिनके कारण प्रान्त का सुधार हो और उन्नति हो और जो स्वप्न देश के रहनुमाओं ने देखा है उसकी पूर्ति करे। मेरे एक मित्र ने जिक्र किया कि पेड़ को ही काट डाला जाय उसकी जड़ खोद ली जाय और दूसरे ने कहा कि दुधारू गाय का दूध इतना निकाला जाय कि जब तक रक्त न निकलने लगे। मैं तो नहीं जानता कि किन शब्दों में इस चीज का उत्तर दूं। मैं तो स्पष्ट और सादी बात जानता हूं कि टैक्स लगाना बहुत दुखदायी कार्य है और टैक्स वसूल करना उससे भी ज्यादा दुखदायी कार्य है और टैक्स का देना यह उससे भी कठिन कार्य है। कोई सरकार कभी नहीं चाहती कि व्यर्थ में टैक्स कभी किसी पर लादा जाय। जब टैक्स लादा जाता है तो लोगों को बुरा लगता है जब जब टैक्स की बात की जाती है तो विरोधियों को मौका मिलता है चिढ़ाने का और उसके बारे में अलग अलग बातें करने का। कई वर्ष पूर्व हमारे बड़े नेता ने सन् १९३० में इस टैक्स के संबंध में कुछ वाक्य कहे थे

"Success often comes to those who dare but it seldom goes to the timid."

[साहसपूर्वक कार्य करने वालों के पास सफलता स्वयं आ जाती है, यह उनके पास कभी नहीं जाती जो कायर हैं।]

मैं आज उन बातों को फिर दोहराता हूं। आखिर क्या किया जाय? क्या इस कायरपन को लेकर सरकार अपना कार्य चलाने की कोशिश करे केवल यह समझकर कि टैक्स बढ़ाया जायगा तो उसके संबंध में एतराज होगा इसलिये टैक्स न बढ़ाया जाय या यह समझकर कि जब टैक्स की बात करेंगे तो लाल टोपी धारी सज्जनों को हंसने का मौका मिलेगा। क्या इसलिये यह सरकार टैक्स न बढ़ावे? मैं समझता हूं अगर इस प्रकार से यह सरकार सोचे तो वह कायरपन होगा और ऐसी कायरता यह सरकार कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती। कृपलानी जी ने एलेक्शन के समय पर कहा था कि यदि सरकार को चलाना है तो ६ गुना टैक्स करना पड़ेगा। मैं तो ६ गुना की बात नहीं कहता हूं। केन्द्रीय सरकार ने अपनी एक नीति बनाई है और उसने उस नीति के अन्तर्गत कोई टैक्स नहीं बढ़ाया है। मैं तो बहुत स्पष्ट और सादी बात कहता हूं कि आखिर टैक्स बढ़ाये बिना कार्य सरकार का कैसे चले? और चाहे आप इसको दोहरायें या और कोई बात कह लीजिये, चाहे उसको रक्त निकालने की बात कह लीजिये, यहां पर न कोई दूध देनेवाला है और न कोई ग्वाला है और न दूध खींच खींच कर रक्त निकालने की कोशिश की जाती है। मैं तो इस बात को बहुत बार सोचता हूं और इस सदन में बहुत बार यह समझने की कोशिश की कि आखिर यह बात क्या है।

एक कहानी इस सदन के सामने कह दूं। बात तो आखिर सभी करते हैं लेकिन जब उनको करना होता है तब वास्तव में पता चलता है। एक आदमी ने सोचा कि एक मुर्गी पाली जाय उसके बच्चे होंगे तो बच्चों को बेचकर एक भैंस ली जाय और भैंस का बहुत सा दूध होगा और उससे बहुत सारा पैसा मिलेगा तो फिर आखिर में वह बच्चा कहेगा कि बाबा पैसा दो और फिर गरदन हिल जायगी तो वह सब काम खत्म हो जायगा। इस सरकार का कार्य कैसे चले यह प्रश्न सामने है। एक साहब ने कल कहा कि आपके पास ३२ करोड़ रुपया किसानों का जमा है उसको डेवलपमेंट में लगा दीजिये मैं कहना तो नहीं चाहता था कि वे मेरे अनन्य मित्र हैं जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कहानी तो उनके ऊपर भी पूरी उतरती है। उन्होंने कहा कि ३२ करोड़ रुपये को इस काम पर खर्च कर दिया जाय। वह ३२ करोड़ रुपया या उससे कुछ अधिक रुपया जो वायदा करके संविधान के अनुसार वसूल किया गया है यह कह कर कि जो सम्पत्ति ली गई है उसमें से उसका मुआविजा दिया जायगा। संविधान मौजूद है तब फिर कैसे यह रुपया डेवलपमेंट के कामों में लगाया जा सकता है।

माननीय नारायण दत्त जी ने जिक्र किया कि आप जब टैक्सेज की बात करते हैं तो गवर्नमेंट को बताना चाहिये न कि वह हमसे पूछे। तो जहां तक हमारे बताने का ताल्लुक है हमने तो बता दिया कि हम कैसे वह काम करना चाहते हैं लेकिन जब उन्होंने उसका विरोध किया तो माननीय मंत्री जी ने चैलेंज के रूप में पूछा कि हमको बताया जाय कि हम टैक्सेशन कहां से प्रारम्भ करें लेकिन आपने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। आपका केवल यही मतलब मालूम होता है कि हम टैक्सेज लगायें और आप ढिंढोरा पीटें। हमने और भी ढ़िढोरे देखे हैं इसको भी बरदाश्त करेंगे। मोटे तौर पर विचार विनिमय के तौर पर आप बतलायें कि कहां से टैक्सेशन को प्रारम्भ किया जाय। जहां तक हमारी योजनाओं का संबंध है आप चाहते हैं कि देश की उन्नति के लिये कार्य किये जाने चाहिये तो फिर आखिर उनके लिये किस जगह से प्रारम्भ करें। उसके लिये हमने यहां पर बहुत ही निर्दोष टैक्सेशन शुरू किया वह ऐसा कि किसी के लिये कोई अंकुश नहीं है कि उसको वह अवश्य ही स्वीकार करना पड़े। इसका असर प्रत्येक व्यक्ति पर नहीं पड़ता। इसके देने के लिये कोई भी बाध्य नहीं है फिर बताइये इससे अच्छा और कौन सा टैक्सेशन निकाला जाय, कहां से निकाला जाय, आशा है इसका उत्तर मेरे मित्र देंगे।

दूसरी बात जो अभी अभी मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने कही वह कल से ही दुहराई जा रही है कि हमारे यहां के जो रेट्स हैं वे मदरास और बम्बई के रेट्स से अधिक हैं। लेकिन कुछ स्थान हैं, जहां कम है। यह कह देना कि सारे के सारे स्थानों में कम हैं या सारे के सारे

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

स्थानों में ज्यादा हैं, गलत है। माननीय मंत्री जी ने कई बार कहा कि कुछ डाक्यूमेंट्स (लेख्य) ऐसे हैं जिन पर कम है और कुछ डाक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन पर ज्यादा है, लेकिन देखना यह है कि इसका क्या असर जनता के जीवन पर पड़ता है। उनकी यह धारणा गलत है कि इसका असर आम जनता के जीवन पर पड़ता है। निश्चित रूप से आम जनता पर इसका असर नहीं पड़ता। मोटे तौर पर उसका असर उन्हीं लोगों पर पड़ेगा जो सम्पत्ति धारी हैं। एक बात और कही गई कि सम्पत्ति के रद्दोबदल करने में उसका असर जो आदमी देता है उस पर पड़ता है। यह सही है कि इस प्रकार के टैक्सेशन से सम्पत्ति का मूल्य कम होगा। लेकिन सम्पत्ति का मूल्य कम होने से स्टेट पर कोई असर नहीं पड़ता न आम जनता के जीवन पर ही इसका कोई असर पड़ता है।

कुछ बातें ऐफीडेविट के बारे में भी कही गईं कि उसका असर आम जनता पर पड़ता है। मैं इससे सहमत हूं कि उसका असर आम जनता पर पड़ता है। अब एफीडेविट की जो फीस रखी गई है वह ३ रुपया है। यह कुछ स्टेट्स के मुकाबले में कम है और कुछ स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा है।

मेरे मित्र ने जान बूझ कर बम्बई की दर को नहीं पढ़ा, लेकिन नहीं पढ़ा तब भी बम्बई की दर से इसकी दर कम है परन्तु फिर भी मैं कहूंगा कि माननीय न्याय मंत्री इस पर कुछ विचार कर सकें और यह ख़याल कर सकें कि जहां तक एफीडेविट और एग्रीमेंट का सवाल है और जिनका सम्बन्ध आम जनता से है अगर उसमें कोई कमी की जा सके तो वह स्वयं कम कर दें तो इसमें कोई विशेष आग्रह की बात नहीं रहेगी। जहां तक आमदनी के बढ़ने या घटने का सवाल है मैं ने कल भी इस का उत्तर दिया था और आज भी कहूंगा कि यदि अधिनियम न बनाया जाय तो आमदनी घट जायगी बढ़ेगी नहीं। आपने बताया कि कचहरियों और अदालतों में बढ़ने का असर पड़ेगा लेकिन मैं कहता हूं कि अदालतों में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा सिवा इसके कि एफीडेविट और एग्रीमेंट में कुछ बढ़ो भी और घटो भी हो जायगी। जिस चीज़ का अदालतों से संबंध है वह तो सिर्फ कोर्ट फ़ीस ऐक्ट है और कोई ऐसी बात आप ने नहीं बताई कि जो सदन के सामने नई कही गई हों। इन शब्दों के साथ मैं अपने मित्र से अंतिम रूप से प्रार्थना करूंगा चाहे वह बुरा ही मानें, कि यह निश्चित रूप से सदन के समय के साथ खेलना अवश्य है।

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—अध्यक्ष महोदय, एक मर्तबा, पहले भी जब विचार के लिये यह बिल पेश किया गया था इस पर यही बहसें की गई थीं। अब माननीय विरोधी दल के सदस्य ने दोबारा दफा २ को हस्ब करने के लिये कहा और फिर यही बहस आज सुबह फिर शुरू की और अब फिर दफा ४ के सिलसिले में उसी मज़मून पर शिड्यूल १ बी० को ओमिट करने (निकालने) के लिये कहा जा रहा है। अब तीसरी बार उसी मसले को लेकर जिस पर एक बार फैसला हो चुका है वही बहस की जा रही है। एक ही किस्म की बहस मुख्तलिफ अमेंडमेंट को लेकर जिनका मक़सद एक ही हो एक ही किस्म की दलीलों को लेकर करना कहां तक जायज़ हो सकता है? इसमें शक नहीं कि रूल्स में जो उनको अख्तयार है वह वह कर सकते हैं लेकिन एक ही चीज़ को मुख्तलिफ रूप से लेकर बहस करना और उम्मीद करना कि उसके मुताल्लिक हम अपने फैसले को पलट देंगे, एक मर्तबा हाउस एक फैसला करेगा और दूसरी मर्तबा दूसरा फैसला कर लेगा यह कहां तक दुरुस्त है? कोई नई बात नहीं कही गई है, उसी का हवाला दिया गया है। कहा जाता है कि स्टाम्प के रेट्स हमारे सूबे में बढ़ा दिये गये हैं। इसका जवाब कई बार दिया जा चुका है अब मैं जरूरी नहीं समझता कि इस पर कुछ ज्यादा कहूं। सिर्फ इतना कह देना चाहता हूं कि यह स्टाम्प ड्यूटी ज्यादातर उन लोगों पर पड़ेगी जो किसी किस्म का लेन देन करने के लिये या रुपये पैसे का मामला करने के लिये तैयार होंगे और जिस

वक्त कोई तैयार होता है तो वह जहां और सब इखराजात करेगा थोड़ा सा रुपया स्टाम्प डयूटी में भी स्टेट को दे देगा तो कोई ऐसी नामुनासिब चीज न होगी। वह ऐसा बार न होगा जिसको वह बरदाश्त न कर सके। इन्क्वायरी कमेटी जिसका हवाला नारायणदत्त जी ने दिया है उसमें इस सिलसिले में इसके माफिक और खिलाफ दोनों पहलुओं पर बहस की गई है। मैं उसको दोहराना नहीं चाहता और न विधान सभा का ज्यादा वक्त खर्च करना चाहता हूं। इसके ऊपर काफी बहस हो चुकी है कि यह बिल मुनासिब है, इसको पास होना चाहिये। मैं इस तरमीम का विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५—मूल अधिनियम की धारा ६ में— १८९९ के ऐक्ट २ की धारा ६ में संशोधन।

(क) शब्द और संख्या "or Schedule IA" के स्थान पर शब्द और संख्या "Schedule IA or Schedule IB" रख दिये जायंगे।

(ख) शब्द "one rupee and fourteen annas" के स्थान पर शब्द "two rupees eight annas" रख दिये जायंगे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६

६—मूल अधिनियम की धारा ६–ए में शब्द और संख्या "Under the United Provinces Stamp (Amendment) Act, 1948" के स्थान पर जहां कहीं भी यह आये वहां शब्द "Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952" रख दिये जायंगे। १८९९ के ऐक्ट २ की धारा ६–ए में संशोधन

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७ तथा ८

७—मूल अधिनियम की धारा १९–ए में शब्द और संख्या "Schedule IA" के बाद शब्द और संख्या "or Schedule IB" रख दिये जायंगे। १८९९ के ऐक्ट २ की धारा १९–ए में संशोधन।

८—मूल अधिनियम की धारा २३–ए की उपधारा (१) में शब्द और संख्या "Schedule IA" के स्थान पर शब्द और संख्या "Schedule IB" रख दिये जायंगे। १८९९ के ऐक्ट २ की धारा २३–ए में संशोधन।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जावें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ९

१८९९ के ऐक्ट २ की धारा ४८-ए में संशोधन।

९—मूल अधिनियम की धारा ४८-ए में शब्द और संख्या "under the United Provinces Stamp (Amendment) Act, 1948" के स्थान पर शब्द और संख्या "in accordance with the Uttar Pradesh Stamp (Amendment) Act, 1952" रख दिये जायंगे और शब्द "in the U. P. Stamp (Amendment) Act, 1948" के स्थान पर शब्द] "in this Act as amended by the Uttar Pradesh Stam p (Amendment) Act, 1952" रख दिये जायंगे।

अधिष्ठाता—खंड ९ में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

१८९९ के ऐक्ट २ की अनुसूची (शेडयूल) १-ए संशोधन

१०—मूल अधिनियम की अनुसूची १ ए की मद १ से २६ तक, २८ से ६१ तक, ६२ के खंड (बी) से (ई) तक, और ६३ से ६५ तक निकाल दी जायंगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने एक संशोधन का नोटिस दिया था जिसका तात्पर्य केवल इतना ही था कि शिड्यूल १-ए जैसा है वैसा ही रहे और उसमें जितनी भी धारायें हैं जो निकाली जा रही हैं वे वैसी ही रहें। इसका अर्थ यह था कि टैक्स न बढ़ाये जावें। माननीय मंत्री जी को शिकायत है कि बार बार वही चीज़ दोहराई जाती है तो मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं तो हमेशा यह कोशिश करता हूं कि कोई चीज़ दोहराई न जाय। पहले भी मैंने आर्टीकिल्स आफ एसोसियेशन के बारे में कहा था कि बम्बई में छोटी और बड़ी कम्पनीज़ को जो २५०० रुपये से ऊपर की लागत की हैं या और हैं, उन्हें अलग अलग डिमार्केट (अभिदिष्ट) किया है जब कि आपने छोटी और बड़ी सबको एक ही लेबिल (स्तर) पर रख दिया है। खैर, उनकी यदि यही इच्छा है कि इस विधेयक को जैसा है वैसा ही स्वीकार होने से काम बन जायगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आचार्य जी ने जो गैंदा सिंह जी की ३२ करोड़ की बात का परिमार्जन किया उस पर जरूर मुझे शिकायत है। यह तो नहीं हो सकता कि वह सुझाव कार्यान्वित नहीं हो सकता। आज भी ज़मींदारों को उनका करोड़ों रुपया एक साथ नहीं दिया जा रहा है बल्कि बांड्स दिये जाने की बात कही जा रही है और माननीय आचार्य जी इस बात पर जोर दे रहे थे कि टैक्स के बढ़ाये जाने में किसी प्रकार की कायरता न दिखलाई जाय। सरकार कायरता कहां दिखा रही है वह तो बड़े जोरों के साथ टैक्स लगा रही है। उसका तो कहना ही है कि चाहे जनता चाहे या न चाहे हम तो जनहित करते ही जायंगे और वह जनहित आमदनी को बढ़ा कर और वह आमदनी भी टैक्सों के जरिये से ही बढ़ाकर जनहित करते जायंगे चाहे उसके लिये जनता चाहे या न चाहे।

एलेक्शन की बात कही जाती है कि एलेक्शन में हम जीते हैं और इसलिये जनता हमारे साथ है। हम एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं माननीय न्याय मंत्री का और दूसरे मित्रों का जिनको यह गर्व है कि एलेक्शन में कब कहा गया था कि हम विकास कार्य करेंगे तो टैक्स बढ़ा कर करेंगे यह तो कहा गया कि विकास करेंगे लेकिन टैक्स बढ़ायेंगे यह बात कब कही गई? इन टैक्सों का विरोध केवल मैं या विरोधी दल ही करता रहा है ऐसी बात नहीं है मैं माननीय आचार्य जी का ध्यान श्री एस० के० पाटिल, प्रेसीडेंट बम्बई प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी की ओर दिलाना चाहता हूं कि वहां की सारी प्राविंशियल कांग्रेस कमेटी यह कह रही

है कि यह जो टैक्सेज सरकार लगाती चली जा रही है वह कांग्रेस की राय के विरुद्ध है और जनता उन टैक्सों से खिंचती चली जा रही है। तो आज तो कांग्रेस वाले भी टैक्सों का विरोध कर रहे हैं और वहां तो सिर्फ मल्टीपिल सेल्स टैक्स के ऊपर ही यह कहा जा रहा है और यहां तो रोज़ाना टैक्सेशन मेजर्स एनाऊंस (घोषित) होते चले जा रहे हैं लेकिन इसलिये आचार्य जी बजाय इसके कि कहते कि नारायणदत्त हाउस का टाइम वेस्ट करता है या विरोधी दल हाउस का टाइम वेस्ट करता है वह जरा बम्बई की ओर निगाह डालते कि वहां की प्रांविंशियल कांग्रेस कमेटी कितने जोरों से इसका विरोध कर रही है। माननीय आचार्य जी और ऐसे ख़याल के मित्रों को चाहिये था कि अगर उनको सलाह देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो यह तो इस पार्टी या उस पार्टी के किसी विशेष सदस्य का सवाल नहीं है यहां पर ही कितने ही कांग्रेस पार्टी में लोग होंगे जिनके अन्दर बिल्कुल हमारी इसी भावना स्टाम्प डयूटी के सम्बन्ध में होगी। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की बातों से हमारा और आपका काम नहीं चलेगा। हमें देखना है मेरिट्स के ऊपर और मैंने मेरिट्स के ऊपर ही स्टाम्प डयूटी का विरोध किया था। अधिक मुझे कुछ कहना नहीं है, डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा। इतना ही कह कर कि शिडयूल वन् ए जैसा है वैसा ही रहने दिया जाय और शिडयूल वन् बी न बढ़ाया जाय मैं बैठता हूं।

श्री सैयद अली ज़हीर---अध्यक्ष महोदय, मैंने अपनी इब्तिदाई तकरीर में इस दफा की तरफ खास तौर से हवाला दिया था कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि शिडयूल वन् ए जैसा है कुछ दफात उसमें ऐसी हैं जिनको टच करने (छूने) का हमको हक नहीं है और वह दफात २७ और ६२ ए हैं और इसी वजह से इनको छोड़ कर बाकी और दफात को शिडयूल वन् बी में कर दिया। अब जहां तक कम्पनियों का ताल्लुक है नारायणदत्त जी को शिकायत है कि उसके मामले में जवाब मैंने अपनी तकरीर में नहीं दिया। मुझे यह तसलीम है कि हमारे यहां जो स्टाम्प डयूटी इस मामले में लग रही है वह बमुकाबले बम्बई वग़ैरः के ज्यादा है लेकिन उसकी वजह यह है कि हमारे सूबे में जितने कम्पनियां बनी हैं या बनती हैं ज्यादातर लाखों या लाखों से ऊपर की होती हैं। शायद कभी ऐसी कोई कम्पनी बनी हो जो कि एक लाख से कम की हो लेकिन वहां पर तो छोटे छोटे कामों के लिये कम्पनियां बन जाती है और बन जाया करती हैं। लेकिन हमारे यहां की जो कम्पनियां होती हैं वह तभी बनायी जाती हैं जब कि उनमें काफी सरमाया लगाया जाता है और उसमें बड़े बड़े सरमायेदार होते हैं लिहाजा हमने यह मुनासिब समझा कि चूंकि हमारे यहां सरमायेदार उन कम्पनियों को बनाते हैं इसलिये अगर उनके ऊपर १०० रुपये का जनरल टैक्स लगा दिया जाय, तो कोई ज्यादा बेइंसाफी नहीं होगी। इसीलिये इस टैक्स को बढ़ा दिया गया है। मेरे ख़याल में यह ग़लत चीज नहीं है। यह सही उसूल पर है जो कि गवर्नमेंट ने इसमें अख्तियार किया है। मुझे यह भी इतमीनान है कि अब उनको पूरा इतमीनान हो जायगा कि यह जो सौ रुपया रखा गया है वह कोई बेजा नहीं है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ११

अपवाद

११---इस अधिनियम में कही गई कोई बात, मूल अधिनियम की अनुसूची १-ए (schedule 1A) की मद २७ तथा ६२-ए में उल्लिखित किसी कारण (intrument) के विषय में लिये जाने वाले उचित शुल्क के सम्बन्ध

में प्रयुक्त नहीं होगी और न उसके सम्बन्ध में यह समझा जायगा कि वह उक्त शुल्क को किसी प्रकार प्रभावत करेगी।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १२

१८९९ के ऐक्ट २ में नई अनुसूची १–बी का रखा जाना।

१२—मूल अधिनियम की अनुसूची १–ए के बाद निम्नलिखित नई अनुसूची १–बी के रूप में रक्खी जाय :

SCHEDULE I B

Stamp Duty on Instruments under the Uttar Pradesh Stamp Act, 1952 (Amendment)

(*See* Section 3)

(*Note* :—The articles in schedule I-B are numbered so as to correspond with similar articles in schedule I.)

Schedule I-B

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
1. ACKNOWLEDGEMENT of a debt exceeding twenty rupees in amount or value, written or signed by, or on behalf of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any book (other than a banker's pass-book) or on a separate piece of paper when such book or paper is left in the creditor's possession : provided that such acknowledgement does not contain any promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or to deliver any goods or other property.	FOUR ANNAS.
2. ADMINISTRATION-BOND, including a bond given under sections 291, 375 and 376 of the Indian Succession Act, 1925, or section 6 of the Government Savings Banks Act, 1873—	
(*a*) Where the amount does not exceed Rs.1,000 ..	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) any other case	Fifteen rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
3. ADOPTION-DEED, that is to say, any instrument (other than a will) recording an adoption or conferring or purporting to confer an authority to adopt.	Thirty rupees.
ADVOCATE—*See* Entry as an Advocate (No. 30),	
4. AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the case of persons by law allowed to affirm or declare instead of swearing.	Three rupees.
Exemptions	
Affidavit or declaration in writing when made—	
(*a*) as a condition of enrolment under the Indian Army Act, 1911 ; or the Indian Air Force Act, 1932 ;	
(*b*) for the immediate purpose of being filed or used in any Court or before the officer of any Court ; or	
(*c*) for the sole purpose of enabling any person to receive any pension or charitable allowance.	
5. AGREEMENT OR MEMORANDUM OF AN AGREEMENT—	
(*a*) if relating to the sale of a bill of exchange ..	Eight annas.
(*b*) if relating to the sale of a Government security or share in an incorporated company or other body corporate.	Subject to a maximum of forty rupees ; four annas for every Rs.10,000 or part thereof of the value of the security of share.
(*c*) if not otherwise provided for	Two rupees.
Exemptions	
Agreement or memorandum of agreement—	
(*a*) for or relating to the sale of goods or merchandise exclusively, not being a Note or Memorandum chargeable under No. 43;	
(*b*) made in the form of tenders to the Central Government for, or relating to, any loan.	
AGREEMENT TO LEASE—*See* Lease (No. 35).	
6. AGREEMENT RELATING TO DEPOSIT OF TITLE, DEEDS, PAWN or PLEDGE, that is to say, any instrument evidencing an agreement relating to—	
(1) the deposit of title-deeds or instruments constituting or being evidence of the title to any property whatever (other than a marketable security) ; or	
(2) the pawn or pledge of moveable property, where such deposit, pawn or pledge has been made by way of security for the repayment of money advanced or to be advanced by way of loan or an existing or future debt—	
i) if such loan or debt is repayable on demand or more than three months from the date of the instrument evidencing the agreement—	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
	Rs. a. p.
when the amount of the loan or debt does not exceed Rs.200.	0 8 0
when it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.400	1 0 0
Ditto 400 ditto 600	1 4 0
Ditto 600 ditto 800	1 12 0
Ditto 800 ditto 1,000	2 0 0
Ditto 1,000 ditto 1,200	2 8 0
Ditto 1,200 ditto 1,600	3 4 0
Ditto 1,600 ditto 2,500	4 12 0
Ditto 2,500 ditto 5,000	9 8 0
Ditto 5,000 ditto 7,500	14 4 0
Ditto 7,500 ditto 10,000	18 12 0
Ditto 10,000 ditto 15,000	28 4 0
Ditto 15,000 ditto 20,000	37 8 0
Ditto 20,000 ditto 25,000	47 0 0
Ditto 25,000 ditto 30,000	56 4 0
and for every additional Rs.10,000 or part thereof in excess of Rs.30,000.	18 12 0
(*b*) if such loan or debt is repayable not more than three months from the date of such instrument.	Half the duty payable on a loan or debt under clause (*a*) for the amount secured.
Exemption	
Instruments of pawn or pledge of agricultural produce if unattested.	
7. APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER, whether of trustees or of property, moveable or immoveable, where made by any writing not being a Will—	
(*a*) where the value of the property does not exceed Rs.1,000	Eighteen rupees, twelve annas.
(*b*) in any other case	Thirty-seven rupees, eight annas.
8. APPRAISEMENT OR VALUATION made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit—	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*a*) where the amount does not exceed Rs.1,000 ..	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) in any other case	Fifteen rupees.
Exemptions	
(*a*) Appraisement or valuation made for the information of the one party only, and not being in any manner obligatory between parties either by agreement or operation of law.	
(*b*) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the amount to be given to a landlord as rent.	
9. APPRENTICESHIP-DEED, including every writing relating to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant, placed with any master to learn any profession, trade or employment, not being Articles of Clerkship (No. 11).	Twelve rupees.
Exemption	
Instruments of apprenticeship executed by a Magistrate under the Apprentices Act, 1850, or by which a person is apprenticed by or at the charge of any public charity.	
10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY	One hundred rupees.
Exemption	
Articles of any Association not formed for profit and registered under section 26 of the Indian Companies Act, 1913.	
See also Memorandum of Association of a Company (No. 39)	
11. ARTICLES OF CLERKSHIP or contract whereby any person first becomes bound to serve as a clerk in order to secure his admission as an attorney in any High Court.	Three hundred seventy-five rupees
ASSIGNMENT—*See* Conveyance (No. 23), Transfer (No. 62), and Transfer of Lease (No. 63), as the case may be.	
ATTORNEY—*See* entry as an Attorney (No. 30), and Power of Attorney (No. 48).	
AUTHORITY TO ADOPT—*See* Adoption deed (No. 3).	
12. AWARD, that is to say, any decision in writing by an arbitrator or umpire, not being an award directing a partition, on a reference made otherwise than by an order of the Court in the course of a suit—	
(*a*) where the amount or value of the property to which the award relates, does not exceed Rs.1,000.	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) if it exceeds Rs.1,000, for every additional Rs.1,000 or part thereof.	One rupee.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*c*) where the subject matter of award is incapable of valuation.	Fifteen rupees.
Exemption	
Award under the Bombay District Municipal Act, 1901, section 160, or the Bombay Hereditary Officers Act, 1874, section 13, or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, section 324(1) of the Uttar Pradesh District Boards Act, 1922, section 190(1).	
15. BOND [(as defined by section 2 (5)] not being a DEBENTURE (No. 27) and not being otherwise provided for by this Act, or by the Court-Fees Act, 1870—	
Where the amount or value secured does not exceed Rs.10	Four annas.
Where it exceeds Rs.10 but does not exceed Rs. 50	Eight annas.
Ditto 50 ditto 100	One rupee.
Ditto 100 ditto 200	Two rupees.
Ditto 200 ditto 300	Three rupees.
Ditto 300 ditto 400	Four rupees.
Ditto 400 ditto 500	Five rupees.
Ditto 500 ditto 600	Six rupees.
Ditto 600 ditto 700	Seven rupees, eight annas.
Ditto 700 ditto 800	Nine rupees.
Ditto 800 ditto 900	Ten rupees, eight annas.
Ditto 900 ditto 1,000	Twelve rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000 ..	Six rupees.
See ADMINISTRATION-BOND (No. 2), BOTTOMRY BOND (No. 16), CUSTOMS BOND (No. 26), INDEMNITY-BOND (No. 34), RESPONDENTIA BOND (No. 56), SECURITY BOND (No. 57).	
Exemptions	
Bond, when executed by—	
(*a*) headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act;	
(*b*) any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility shall not be less than a specified sum per mensem.	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
16. BOTTOMRY BOND, that is to say, any instrument whereby the master of a sea-going ship borrows money on the security of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute her voyage.	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value secured.
17. CANCELLATION—Instrument of (including any instrument by which any instrument previously executed is cancelled), if attested and not otherwise provided for.	Twelve rupees.
See also Release (No. 55), Revocation of Settlement (No. 58-B), Surrender of Lease (No. 61), Revocation of Trust (No. 64-B).	
18. CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, or Collector or other Revenue Officer—	
(*a*) where the purchase-money does not exceed Rs.10 ;	Four annas.
(*b*) where the purchase-money exceeds Rs.10 but does not exceed Rs.25 ;	Eight annas.
(*c*) in any other case	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the purchase money only.
19. CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any Incorporated Company or other body Corporate, or to become proprietor of shares, scrip or stock in or of any such company or body.	Four annas.
See also Letter of Allotment of Shares (No. 36).	
20. CHARTER-PARTY, that is to say, any instrument (except an agreement for the hire of a tug-steamer) whereby a vessel or some specified principal part thereof is let for the specified purposes of the charterer, whether it includes a penalty clause or not.	Three rupees.
2. COMPOSITION-DEED, that is to say, any instrument executed by a debtor, whereby he conveys his property for the benefit of his creditors, or whereby payment of a composition or dividend on their debts is secured to the creditors, or whereby provision is made for the continuance of the debtor's business, under the supervision of inspectors or under letters of licence, for the benefit of his creditors.	Twenty rupees.
3. CONVEYANCE [as defined by section 2(10)] not being a transfer charged or exempted under No. 62—	
where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs.50.	One rupee.

Description of Instrument				Proper Stamp Duty
where it exceeds	Rs.50	but does not exceed Rs.100		Two rupees.
Ditto	100	ditto	200	Four rupees.
Ditto	200	ditto	300	Six rupees.
Ditto	300	ditto	400	Eight rupees.
Ditto	400	ditto	500	Ten rupees.
Ditto	500	ditto	600	Twelve rupees.
Ditto	600	ditto	700	Fifteen rupees.
Ditto	700	ditto	800	Eighteen rupees.
Ditto	800	ditto	900	Twenty-one rupees.
Ditto	900	ditto	1,000	Twenty-four rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000				Twelve rupees.

Exemption

Assignment of copyright by entry made under the Indian Copyright Act, 1914, section 5.

CO-PARTNERSHIP-DEED—*See* Partnership (No. 46).

24. COPY OR EXTRACT certified to be a true copy or extract by or by order of any public officer and not chargeable under the law for the time being in force relating to court-fees—

(i) if the original was not chargeable with duty or if the duty with which it was chargeable does not exceed one rupee eight annas. — One rupees when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or sale deed of agricultural land ; in any other case, one rupee eight annas.

(ii) in any other case not falling within the provisions of section 6-A. — One rupee, eight annas when the copy or extract is of an agricultural lease or of a mortgage deed or sale deed of agricultural land and the value of the subject matter of the original does not exceed one thousand rupees ; in any other case, two rupees, eight annas.

Exemptions

(*a*) Copy of-any paper which a public officer is expressly required by law to make or furnish for record in any public office or for any public purpose.

(*b*) Copy of, or extract from, any register relating to births, baptisms, namings, dedications, marriages, divorces, deaths or burials.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
25. COUNTERPART OR DUPLICATE OF any instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid—	
(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed three rupees ;	The same duty as is payable on the original.
(*b*) in any other case not falling within the provisions of section 6-A.	Three rupees.
Exemption	
Counterpart of any lease granted to a cultivator when such lease is exempted from duty.	
25-A. INSTRUMENT correcting a purely clerical error in an instrument chargeable with duty and in respect of which the proper duty has been paid—	
(*a*) if the duty with which the original instrument is chargeable does not exceed five rupees.	One-half of the duty payable on the original.
(*b*) in any other case	Two rupees, eight annas.
26. CUSTOMS BOND—	
(*a*) where the amount does not exceed Rs.2,000 ..	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount.
(*b*) in any other case	Twenty-four rupees.
28. DELIVERY-ORDER in respect of goods, that is to say, any instrument entitling any person therein named, or his assigns or holder thereof, to the delivery of any goods lying in any dock or port, or in any warehouse in which goods are stored or deposited on rent or hire, or upon any wharf, such instrument being signed by or on behalf of the owner of such goods upon the sale or transfer of the property therein, when such goods exceed in value twenty rupees.	Four annas.
DEPOSIT OF TITLE DEEDS.—*See* AGREEMENT relating to Deposit of Title-Deeds, pawn or Pledge (No. 6).	
DISOLUTION OF PARTNERSHIP.—*See* Partnership (No. 46).	
29. DIVORCE—Instrument of, that is to say, any instrument by which any person effects the dissolution of his marriage.	Eight rupees.
Dower.—Instrument of—*See* Settlement (No. 58).	
Duplicate.—*See* Counterpart (No. 25).	
30. ENTRY AS AN ADVOCATE, VAKIL OR ATTORNEY ON THE ROLL OF ANY HIGH COURT.	
Under the Indian Bar Councils Act, 1926, or in exercise of powers conferred on such Court by Letters Patent or by the Legal Practitioners Act, 1879—	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*a*) in case of an Advocate or Vakil	.. Seven hundred fifty rupees.
(*b*) in the case of an Attorney	.. Seven hundred fifty rupees.
Exemption	
Entry of an Advocate, Vakil or Attorney on the roll of any High Court, when he has previously been enrolled in a High Court.	
31. EXCHANGE OF PROPERTY—Instrument of ..	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the value of the property of greatest value as set forth in such instrument.
Extract—See copy (No. 24).	
32. FURTHER CHARGE.—Instrument of, that is to say, any instrument imposing a further charge on mortgaged property.	
(*a*) when the original mortgage is one of the description referred to in clause (*a*) of Article No. 40 (that is, with possession);	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the further charge secured by such instrument.
(*b*) when such mortgage is one of the description referred to in clause (*b*) of Article No. 40 (that is, without possession)—	
(i) if at the time of execution of the instrument of further charge possession of the property is given ; or agreed to be given under such instrument ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the total amount of the charge (including the original mortgage and any further charge already made) less the duty already paid on such original mortgage and further charge.
(ii) if possession is not so given	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the further charge secured by such instrument.
33. GIFT—Instrument of , not being a Settlement (No. 58) or Will or Transfer (No. 62)	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the value of the property.
Hiring Agreement or agreement for service.	
See Agreement (No. 5).	
4. INDEMNITY BOND	The same duty as a Security Bond (No. 57) for the same amount.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Inspectorship-Deed.—*See* Composition Deed (No. 22).	
Insurance.—*See* Policy of Insurance (No. 47).	
35. LEASE, including an under-lease or sub-lease and any agreement to let or sub-let—	
(*a*) where by such lease the rent is fixed and no premium is paid or delivered—	
(i) where the lease purports to be for a term not exceeding one year ;	The same duty as a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease.
(ii) where the lease purports to be for a term exceeding one year but not exceeding five years;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount or value of the average annual rent reserved.
(iii) where the lease purports to be for a term exceeding five years but not exceeding ten years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to one and a half times the amount or value of the average annual rent reserved.
(iv) where the lease purports to be for a term exceeding ten years but not exceeding twenty years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to twice the amount or value of the average annual rent reserved.
(v) where the lease purports to be for a term exceeding twenty years, but not exceeding thirty years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent reserved.
(vi) where the lease purports to be for a term exceeding thirty years, but not exceeding one hundred years ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to four times the amount or value of the average annual rent reserved.
(vii) where the lease purports to be for a term exceeding one hundred years or in perpetuity ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to one-fifth of the whole amount of rent which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease.
(viii) where the lease does not purport to be for any definite term ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to three times the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years if the lease continued so long.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*b*) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced and where no rent is reserved ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease.
(*c*) where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced in addition to rent reserved.	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as set forth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered ; Provided that in any case when an agreement to lease is stamped with the *ad valorem* stamp required for lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed the duty on such lease shall not exceed two rupees.

Exemption

Lease, executed in the case of a cultivator and for the purposes of cultivation (including a lease of trees for the production of food or drink) without the payment or delivery of any fine or premium, when a definite term is expressed and such term does not exceed one year, or when the average annual rent reserved does not exceed one hundred rupees.

In this exemption a lease for the purposes of cultivation shall include a lease of land for cultivation together with a homestead or tanks.

Explanations

(1) When a lessee undertakes to pay any recurring charge, such as Government revenue, the landlord's share of cesses or the owners' share of municipal rates or taxes which is by law recoverable from the lessor, the amount so agreed to be paid by the lessee shall be deemed to be part of the rent.

(2) A lease from month to month or year to year without any fixed period or one for a fixed period with a provision allowing the lessee to hold over thereafter for an indefinite term, shall be deemed for the purposes of this article to be a lease not purporting to be for any definite term.

(3) Rent paid in advance shall be deemed to be money advanced within the meaning of this article unless it is specifically provided in the lease that rent paid in advance will be set off towards the last instalment or instalments of rent.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
36. LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES in any company or proposed company, or in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.	Four annas.
See also Certificate or other Document (No. 19).	
38. LETTER OF LICENCE, that is to say, any agreement between a debtor and his creditors, that the latter shall, for a specified time, suspend their claims and allow the debtor to carry on business at his own discretion.	Twenty rupees.
39. MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF A COMPANY—	
(*a*) if accompanied by Articles of Association under section 17 of the Indian Companies Act, 1913,	Fifty rupees.
(*b*) if not so accompanied	One hundred, fifty rupees.
Exemption	
Memorandum of any association not formed for profit and registered under section 26 of the Indian Companies Act, 1913.	
40. MORTGAGE DEED, not being an Agreement relating to deposit of Title-Deeds, Pawn or Pledge (No. 6), Bottomry Bond (No. 16), Mortgage of a Crop (No. 41), Responsdentia Bond (No. 56) or Security Bond (No. 57).—	
(*a*) when possession of the property or any part of the property comprised in such deed is given by the mortgagor or agreed to be given ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount secured by such deed.
(*b*) when possession is not given or agreed to be given as aforesaid.	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured by such deed.
Explanation	
A mortgagor who gives to the mortgagee a power of attorney to collect rents or a lease of the property mortgaged or part thereof, is deemed to give possession within the meaning of this article.	
(*c*) when a collateral or auxiliary or additional or substituted security, or by way of further assurance for the above mentioned purpose where the principal or primary security is duly stamped for every sum secured not exceeding Rs.1,000 ..	One rupee four annas.
and for every Rs.1,000 or part thereof secured in excess of Rs.1,000.	One rupee four annas.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
Exemptions	
(1) Instruments executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or by their sureties as security for the repayment of such advance.	
(2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.	
41. MORTGAGE OF A CROP, including any instrument evidencing an agreement to secure the repayment of a loan made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is not in existence at the time of the mortgage—	
(*a*) when the loan is repayable not more than three months from the date of the instrument—	
for every sum secured not exceeding Rs.200	.. Four annas.
and for every Rs.200 or part thereof secured in excess of Rs.200.	Four annas.
(*b*) when the loan is repayable more than three months, but not more than eighteen months, from the date of the instrument—	
for every sum secured not exceeding Rs.100	.. Eight annas.
and for every Rs.100 or part thereof secured in excess of Rs.100.	Eight annas.
42. NOTARIAL ACT, that is to say, any instrument, endorsement, note, attestation, certificate or entry not being a Protest (No. 50) made or signed by a Notary Public in the execution of the duties of his office, or by any other person lawfully acting as a Notary Public.	Three rupees.
See also Protest of Bill or Note (No. 50).	
43. NOTE OR MEMORANDUM sent by a Broker or Agent to his principal intimating the purchase or sale on account of such principal—	
(*a*) of any goods exceeding in value twenty rupees	.. Eight annas.
(*b*) of any stock of marketable security exceeding in value twenty rupees.	Subject to a maximum of twenty three rupees, eight annas; four annas for every Rs. 10,000 or part thereof of the value of the stock or security.
44. NOTE OF PROTEST by the Master of a ship.	.. One rupee, eight annas.
See also Protest by the Master of a ship (No. 51).	
ORDER FOR THE PAYMENT OF MONEY.—	
See Bill of Exchange (No. 13).	

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
45. PARTITION.—Instrument of (as defined by section 2(15).)		The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the value of the separated share or shares of the property. *N.B.*—The largest share remaining after the property is partitioned (or if there are two or more shares of equal value and not smaller than any of the other shares), then one of such equal shares shall be deemed to be that from which the other shares are separated : Provided always that— (*a*) when an instrument of partition containing an agreement to divide property in severalty is executed and a partition is effected in pursuance of such agreement, the duty chargeable upon the instrument effecting such partition shall be reduced by the amount of duty paid in respect of the first instrument but shall not be less than two rupees ; (*b*) where land is held on Revenue settlement, the value for the purposes of this article shall be deemed to be— (i) twenty times the annual revenue ; and (ii) ten times the net profits that have arisen from the land during the year next before the date of partition, where the land is wholly or partly exempt from payment of revenue ; (*c*) where a final order for effecting a partition passed by any Revenue authority or any Civil Court, or an award by an arbitrator directing a partition, is stamped, with the stamp required for an instrument of partition, and an instrument of partition in pursuance of such order or award is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed two rupees.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
46. PARTNERSHIP--	
A—Instrument of—	
(*a*) where the capital of the partnership does not exceed Rs.3,000.	The same duty as a Bond (No. 15).
(*b*) in any other case	Subject to a maximum of Rs.100, one rupee for every one thousand or part thereof.
B—Dissolution of	Fifteen rupees.
Pawn or Pledge.—See Agreement relating to Deposit of Title-deeds, Pawn or Pledge (No. 6).	
48. POWER-OF-ATTORNEY [as defined by section 2(21)] not being a Proxy (No. 52),—	
(*a*) when executed for the sole purpose of procuring the registration of one or more documents in relation to a single transaction or for admitting execution of one or more such documents ;	One rupee, eight annas.
(*b*) when required in suits or proceedings under the Presidency Small Cause Courts Act, 1882 ;	One rupee, eight annas.
(*c*) when authorising one person or more to act in a single transaction other than the case mentioned in clause (*a*) ;	Two rupees, eight annas.
(*d*) when authorising not more than five persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally ;	Twelve rupees.
(*e*) when authorising more than five but not more than ten persons to act jointly and severally in more than one transaction or generally ;	Twenty-four rupees.
(*f*) when giving for consideration and authorising the attorney to sell any immoveable property ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for the amount of the consideration.
(*g*) in any other case	Two rupees, eight annas for each person authorised.
N.B.—The term "registration" includes every operation incidental to registration under the Indian Registration Act (Act XVI of 1908).	
Explanation	
For the purposes of this Article more persons than one when belonging to the same firm shall be deemed to be one person.	
50. PROTEST OF BILL OR NOTE, that is to say, any declaration in writing made by a Notary Public or other person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a Bill of Exchange or promissory note.	Three rupees.

	Description of Instrument	Proper Stamp Duty
51.	PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP, that is to say, any declaration of the particulars of her voyage drawn up by him with a view to the adjustment of losses or the calculation of averages, and every declaration in writing made by him against the characters or the consignees for not loading or unloading the ship, when such declaration is attested or certified by a Notary Public or other person lawfully acting as such.	Three rupees.
	See also Note of Protest by the Master of a Ship (No. 44).	
54.	RE-CONVEYANCE OF MORTGAGED PROPERTY—	
	(*a*) if the consideration for which the property was mortgaged does not exceed Rs.1,000 ;	The same duty as a Conveyance (No. 23) for the amount of such consideration as set forth in the re-conveyance.
	(*b*) in any other case	Twenty-four rupees.
55.	RELEASE, that is to say, any instrument (not being such a release as is provided for by section 23(A) whereby a person renounces a claim upon another person or against any specified property—	
	(*a*) if the amount or value of the claim does not exceed Rs.1,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15) for such amount or value as set forth in the Release.
	(*b*) in any other case	Fifteen rupees.
56.	RESPONDENTIA BOND, that is to say, any instrument securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a ship and making repayment contingent on the arrival of the cargo at the port of destination.	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount of the loan secured.
	REVOCATION OF ANY TRUST OR SETTLEMENT.	
	See Settlement (No. 58) ; Trust (No. 64).	
57.	SECURITY BOND OR MORTGAGE-DEED executed by way of security for the due execution of an office, or to account for money or other property received by virtue thereof, or executed by a surety to secure the due performance of a contract or the due discharge of a liability,—	
	(*a*) when the amount secured does not exceed Rs.1,000 ;	The same duty as a Bond (No. 15) for the amount secured.
	(*b*) in any other case	Twelve rupees.
	Exemptions	
	Bond or other instrument, when executed—	
	(*a*) by headmen nominated under rules framed in accordance with the Bengal Irrigation Act, 1876, section 99, for the due performance of their duties under that Act ;	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*b*) by any person for the purpose of guaranteeing that the local income derived from private subscriptions to a charitable dispensary or hospital or any other object of public utility, shall be not less than a specified sum per mensem ;	
(*c*) under No. 3-A of the rules made by the Provincial Government under section 70 of the Bombay Irrigation Act, 1879 ;	
(*d*) executed by persons taking advances under the Land Improvement Loans Act, 1883, or the Agriculturists' Loans Act, 1884, or by their sureties, as security for the repayment of such advances ;	
(*e*) executed by officers of Government or their sureties to secure the due execution of an office, or the due accounting for money or other property received by virtue thereof.	
58. SETTLEMENT—	
A—Instrument of (including a deed of dower) ..	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property settled, provided that where an agreement to settle is stamped with the stamp required for an instrument of settlement and an instrument of settlement in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such instrument shall not exceed two rupees.
Exemptions	
Deed of dower executed on the occasion of a marriage between Muhammadans	
B—Revocation of	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned, but not exceeding twenty four rupees.
See also Trust (No. 64).	
59. SHARE WARRANTS to bearer issued under the Indian Companies Act, 1913.	The same duty as a Debenture transferable by delivery No. 27 (*b*) for a face amount equal to the nominal amount of the shares specified in the warrant.
Exemptions	
Share warrant when issued by a Company in pursuance of the Indian Companies Act, 1913, section 43, to have effect only upon payment, as composition for that duty, to the Collector of Stamp-revenue, of—	

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(*a*) one and a half per centum of the whole subscribed capital of the company, or (*b*) if any company which has paid the said duty or composition in full, subsequently issues an addition to its subscribed capital—one and a half per centum of the additional capital so issued.	
Scrip.—See Certificate (No. 19).	
60. SHIPPING ORDER for or relating to the conveyance of goods on board of any vessel.	Four annas.
61. SURRENDER OF LEASE—	
(*a*) when the duty with which the lease is chargeable does not exceed twelve rupees,	The duty with which such lease is chargeable.
(*b*) in any other case	Twelve rupees.
Exemption	
Surrender of lease, when such lease is exempted from duty.	
62. TRANSFER (whether with or without consideration)—	
(*a*) *See* Schedule IA.	
(*b*) of debentures, being marketable securities whether the debenture is liable to duty or not, except debentures provided for by section 8 ;	
When the value of the share of the face amount of the debenture does not exceed Rs.100.	One rupee.
where it exceeds Rs. 100 but does not exceed Rs.200	Two rupees.
Ditto 200 ditto 300	Three rupees.
Ditto 300 ditto 400	Four rupees.
Ditto 400 ditto 500	Five rupees.
Ditto 500 ditto 600	Six rupees.
Ditto 600 ditto 700	Seven rupees, eight annas.
Ditto 700 ditto 800	Nine rupees.
Ditto 800 ditto 900	Ten rupees, eight annas.
Ditto 900 ditto 1,000	Twelve rupees.
and for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000.	Six rupees.
(*c*) of any interest secured by a bond, mortgage-deed or policy of insurance—	
(i) if the duty on such Bond, mortgage-deed or Policy does not exceed twelve rupees ;	The duty with which such bond, mortgage deed or policy of insurance is chargeable.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
(ii) in any other case	Twelve rupees. Provided that, if by any one instrument the interest secured by several bonds, mortgage deeds, or policies of insurance is transferred, the duty payable in respect of such instrument shall be the aggregate of the duties which would have been payable if separate instruments of transfer were executed in respect of each such bond, mortgage deed or policy of insurance.
(*d*) of any property under the Administrator-General's Act, 1913, section 25 ;	Twenty-four rupees.
(*e*) of any trust property without consideration from one trustee to another trustee or from a trustee to a beneficiary.	Twelve rupees or such smaller amount as may be chargeable under clauses (*b*) and (*c*) of this article.
Exemptions	
Transfers by endorsement—	
(*a*) of a bill of exchange, cheque or promissory note ;	
(*b*) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods or other merchantile document of title to goods ;	
(*c*) of policy of insurance ;	
(*d*) of securities of the Central Government or the Provincial Government.	
See also section 8.	
63. TRANSFER OF LEASE by way of assignment, and not by way of under-lease.	The same duty as a Conveyance (No. 23) for a consideration equal to the amount of the consideration for the transfer.
Exemption	
Transfer of any lease exempt from duty.	
64. TRUST—	
A—DECLARATION OF—of, or concerning, any property when made by any writing not being a Will.	
(*a*) where the amount or value does not exceed Rs.3,000	The same duty as a Bond (No. 15).
(*b*) if it exceeds Rs.3,000, for every additional Rs.1,000 or part thereof—	One rupee.

Description of Instrument	Proper Stamp Duty
B—REVOCATION OF—or concerning, any property when made by any instrument other than a Will.	The same duty as a Bond (No. 15) for a sum equal to the amount or value of the property concerned but not exceeding twenty-four rupees.
See also Settlement (No. 58).	
VALUATION.—*See* Appraisement (No. 8).	
VAKIL.—*See* Entry as a Vakil (No. 30).	
65. WARRANT FOR GOODS, that is to say, any instrument evidencing the title of any person therein named, or his assigns, or the holder thereof, to the property in any goods lying in or upon any dock, warehouse, or wharf, such instrument being signed or certified by or on behalf of the person in whose custody such goods may be.	One rupee.

श्री राजाराम मिश्र (जिला फैजाबाद)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १२ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित अनुसूची १-बी (Schedule 1-B) के मद २३ में उल्लिखित करण (instrument) के विषय में दिये हुये शुल्क के स्थान पर निम्नलिखित दर से शुल्क रक्खे जायं—

"Where the amount or value of the consideration for such conveyance as set forth therein does not exceed Rs.50.	One rupee.
where it exceeds Rs.50 but does not exceed Rs.100 ..	One rupee eight annas.
where it exceeds Rs.100 but does not exceed Rs.200 ..	Three rupees.
where it exceeds Rs.200 but does not exceed Rs.300 ..	Five rupees.
where it exceeds Rs.300, but does not exceed Rs.400 ..	Seven rupees.
where it exceeds Rs.400 but does not exceed Rs.500 ..	Nine rupees.

[श्री राजाराम मिश्र]

where it exceeds Rs.500 but does not exceed Rs.600	..	Twelve rupees.
where it exceeds Rs.600 but does not exceed Rs.700	..	Fourteen rupees.
where it exceeds Rs.700, but does not exceed Rs.800	..	Sixteen rupees.
where it exceeds Rs.800, but does not exceed Rs.900	..	Eighteen rupees.
where it exceeds Rs.900, but does not exceed Rs.1,000	..	Twenty rupees.
And for every Rs.500 or part thereof in excess of Rs.1,000		Ten rupees.

Exemption—Assignment of copyright by entry made under the Indian Copyright Act, 1914, section 5."

महोदय, मैं सिर्फ इसमें एक बात कहना चाहता हूं और वह यह है कि हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसमें ड्युटीज़ २५ फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ायी जायगी। लेकिन जो मैंने इसमें देखा है उससे मालूम होता है कि कम से कम इसमें पांच मदें ऐसी हैं जिनमें कि ड्युटीज़ एक चौथाई से ज्यादा हो गयी हैं यानी डयोढ़ी तक हो गयी है। मसलन ५० रुपये के ऊपर और सौ रुपये तक के लिये दो रुपया रखा गया है। जो सन् ४८ का ऐक्ट है उसमें इस मद के लिये एक रुपया चार आना रखा हुआ था। एक रुपया चार आने का सवाया एक रुपया ९ आना होता है। इसका विधेयक में २ रुपया रखा गया है। मैंने इसके लिये एक रुपया आठ आना रखा है। इसी तरीके पर मद दो सौ, तीन सौ, चार सौ, पांच सौ के नीचे जो हैं उन सब के लिये सवाये से ज्यादा रकम रखी गयी है। जो दरें मैंने रखी हैं उनसे सवाया भी हो जाता है और वह फुल रुपीज़ यानी पूर्ण रुपया के रूप में भी हो जाता है। अगर माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मंज़ूर कर लें तो इसमें कोई ज्यादा हर्ज होने वाला नहीं है।

श्री सैयद अली ज़हीर—अध्यक्ष महोदय, मैं तो शुरू से कहता आया हूं कि तक़रीबन २५ फीसदी का हमने इजाफा किया है। मुमकिन है कि उसके बनाने में और बाज़ उसूलों को सामने रखने की वजह से बाज जगह फर्क रहा हो, लेकिन बहुत जांच करके और हर पहलू के ऊपर निगाह डाल करके यह फिगर्स बनाये गये हैं। वैसे तो हर जगह के ऊपर कुछ न कुछ कमी बेशी की तजवीज़ आ सकती है और अगर हम इस चक्कर में पड़ जायंगे तो मालूम नहीं कहां से कहां पहुंच जायेंगे। मैं माननीय सदस्य से यह इस्तदुआ करूंगा कि जो हमारी तजवीज है उसको सही समझें। उसकी वजह से ऐसी ज्यादा ज्यादती नहीं हो रही है, बल्कि वह इस वास्ते की गयी है कि और जगह पर जो इसका असर पड़ता है और इस तरह के अमेंडमेंट्स होते हैं, उसका लिहाज रखते हुये यह तजवीजें गवर्नमेंट की तरफ से की गयी हैं और मैं तजवीज करूंगा कि वह अपनी तरमीम को वापस ले लें।

श्री राजाराम मिश्र—मैं समझता हूं कि मेरी तजवीज मुनासिब है, लेकिन चूंकि मंत्री महोदय ने कहा है, इसलिये मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा संशोधन यह है कि खंड १२ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित अनुसूची १-बी (Schedule 1-B) की मद ४६ के खंड A(b) के स्तम्भ २ की पंक्ति २ में शब्द "every" तथा शब्द "one" के बीच शब्द "additional" बढ़ा दिया जाय।

मंशा यह है कि यह जो संशोधन विधेयक में दिया गया है पार्टनरशिप की मद में कि "where the capital of the partnership does not exceed Rs. 3000" उसके लिये रेट "schedule" (दरों की अनुसूची) दिया हुआ है। बी० क्लाज में उसके सामने दिया गया है कि "Subject to a maximum of Rs. 100 one rupee for every one thousand or part thereof" यहां पर अगर "अडीशनल" नहीं लिखा जायगा तो इसके मानी यह होंगे किहर थाउजेंड (हजार) पर १ रुपया लगाया जायगा चाहे कितने का ही वह इंस्ट्रूमेंट हो। इसमें ड्यूटी का इवेजन (बचाव) होगा और गवर्नमेंट का नुक्सान होगा। इसलिये उसमें ३,००० तक जो रेट्स बांड १५ में दिये हुये हैं वह लगेंगे और उसके बाद हर एक अडीशनल (अतिरिक्त) एक थाउजेंड पर एक रुपया लगेगा। कानून का यही मंशा है लेकिन इस अडीशनल शब्द के न रहने से वह पूरा नहीं होता। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी इसको मान लेंगे।

श्री सैयद अली जहीर--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो छापे की गलती की वजह से हो गया है। मैं दफा ६४ का हवाला दूंगा कि जिसमें बिलकुल इसी किस्म का प्रावीजन है और उसमें भी "If it exceeds Rs. 3000. ....."

वहां पर यही छपा हुआ है। लेकिन यहां पर यह छपने से रह गया है। उसके मानी यह है जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया कि एक रुपया "फार एवरी अडीशनल वन थाउजेंड आर पार्ट देयर आफ" और में इस तरमीम को मंजूर करता हूं।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड १२ के अन्तर्गत मूल अधिनियम में प्रस्तावित अनुसूची १-बी (Schedule 1-B) बी की मद ४६ के खंड A (b) के स्तम्भ २ की पंक्ति २ में शब्द "every" तथा शब्द "one" के बीच शब्द "additional" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ अनुसूची सहित इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक प्रस्तावना तथा खण्ड १

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२

इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ की उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति १८९९ का ऐक्ट २ के संबंध में उक्त ऐक्ट में और संशोधन का

विधेयक

१८९९ का ऐक्ट २

ऐसे प्रयोजनों के निमित्त जो यहां पर आगे चलकर प्रतीत होंगे, उत्तर प्रदेश में प्रयुक्ति के संबंध में संशोधित इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८९९ में और अधिक संशोधन करना आवश्यक है,

अतएव निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है।

संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।

१—(१) इस अधिनियम का नाम उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, १९५२ होगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

(३) यह ऐसे दिनांक से प्रवर्तित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस संबंध में निश्चित करे।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सैयद अली जहीर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२, पारित किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) विधेयक, १९५२ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारों के ऋण कम करने का विधेयक, १९५२, एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। उस प्रवर समिति के सदस्यों के नाम भी मैं पढ़ कर सुना देता हूं। उनके नाम ये हैं—

१. श्री द्वारका प्रसाद मौर्य

२. श्री डालचन्द

३. श्री अक्षयवर सिंह

४. श्री सुल्तान आलम खां

*३. सितम्बर १९५२ कि कार्यवाही में छपा है।

५. श्री कालीचरण टंडन

६. श्री मुहम्मद अदील अब्बासी

७. श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ

८. श्री गोपीनाथ दीक्षित

९. श्री नौरंगलाल

१०. श्री हरखयाल सिंह

११. श्री भगवान सहाय

१२. श्री बाबूराम गुप्त

१३. श्री राजाराम मिश्र

१४. श्री कालिका सिंह

१५. श्री लक्ष्मणराव कदम

१६. श्री राधामोहन सिंह

१७. श्री निहालुद्दीन•

१८. श्री मदन मोहन उपाध्याय

१९. राजा वीरेन्द्र शाह

२०. श्री तेजबहादुर

चेयरमैन महोदय, यह जमींदारी एबोलीशन कमेटी जब सन् १९४६ में मुकर्रर हुई और सन् १९४८ में उसने अपनी रिपोर्ट दी तो उस रिपोर्ट में किस प्रकार भूमि-व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी खत्म की जाय और प्रतिकर आदि किस तरह से दिया जाय और आगे की पूर्ण व्यवस्था का चित्र क्या हो।

इस सब पर उन्होंने अपनी राय का इजहार किया था लेकिन साथ ही साथ कमेटी ने भी सिफारिश की थी क्योंकि जिस वक्त जमीदारों ने कर्जा लिया था उस वक्त उनकी जायदादों की कीमत बनिस्बत इस मुआवजे के जो कि उनको मिलने वाला है, ज्यादा थी। इसलिये इसी अनुपात या तनासुब से उनका कर्जा भी घटा दिया जाय। उसकी सिफारिश पर अमल करने के रूप में यह बिल पेश किया जाता है। इस बिल के मुख्तरिन छै सात उसूल हैं।

पहला उसूल तो यह है कि हर प्रकार के कर्जे पर यह लागू होगा। चाहे किफालती कर्जा हो या गैर किफालती कर्जा हो, चाहे खाडी कर्जा हो या सादा कर्जा हो और हर प्रकार के कर्जख्वाह पर भी लागू होगा सिवाय जब कि कर्जख्वाह सैंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट हिन्द हो या इस प्रदेश की गवर्नमेंट हो और शिड्यूल्ड बैंक हो या लोकल बाडीज हों या कोआपरेटिव सोसायटीज हों और पुन्यार्थ या धर्माथ कोई वक्फ या ट्रस्ट या इंडाउमेंट कर्जख्वाह हो। एक उसूल तो यह है।

[श्री चरण सिंह]

दूसरा उसूल यह है कि जैसा कि एंकम्बर्ड स्टेट् एक्ट के मातहत एक आम तह क़ीक़ात होती है कि कितना कर्जा किस जमींदार के ऊपर है इस तरह की कोई इंक्वायरी या तहक़ीकात नहीं होगी बल्कि जब नालिश हो गई हो तो उस वक्त दोनों फ़रीकों में से अर्थात् कर्जख्वाह या मकरूज में से कोई दरख्वास्त दे सकता है इस ऐक्ट के अधीन कि यह कर्जा कम कर दिया जाय कि जब कि वह किफ़ालती कर्जा हो और उसकी डिग्री हो चुकी हो तो कोई सा फरीक दरख्वास्त दे सकता है तो जो कर्जख्वाह है वह खुद अपने आप तहकीकात करेगा और उसका कर्जा घटा दिया जायगा। यह नहीं है कि जब कर्जदार दरख्वास्त दे या कर्जख्वाह दरख्वास्त दे तो जितना कर्जा था वह सब एक पूल में लिया जाता है और हिस्सा रसदी से सबको दिलाया जाता था। अब रेटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जिसका पहला हक है वह पहले ले जायगा। किसी का हक दूसरे नम्बर पर है पहले कर्जे की अदायगी के बाद कोई रकम बचती है तब दूसरा कर्जख्वाह या मुर्तहन ले जाय अगर ला इजाजत देता हो। गर्ज यह कि अदालत इस झगड़े में नहीं पड़ेगी कि सबकी तहकीकात की जाय। जो आदमी दरख्वास्त देगा उसका मामला वह तय करेगी और जाब्ता दीवानी के मुताबिक कोई साहब दरख्वास्त दें तो रेटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन हो जायगा। लेकिन बखुद किसी फरीक की तहरीर पर आम इंक्वायरी नहीं की जायगी। यह सब कर्जे के मुताल्लिक है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि जो किफालती कर्जा है वह नालिश के वक्त या डिग्री होने के बाद कोई फरीक दरख्वास्त दे तब हो सकता है लेकिन जहां तक सादा कर्जा है उसकी डिग्री हो जाय और डिग्रीदार मुआवजे, अनुदान, ग्रांट या प्रतिकर की रकम कुर्क करा ले तब कम किया जायगा वर्ना अगर वह प्रतिकर और अनुदान की रकम को कुर्क नहीं कराता है और किसी जायदाद से वसूल करना चाहता है तो उसके कर्जे में कमी नहीं की जायगी। फिर यह सवाल रहता है कि जायदाद दो किस्म की है एक जायदाद है आराजी जिसकी मिल्कियत गवर्नमेन्ट में वेस्ट करती है (निहित होती है) और एक जायदाद सकनी या किसी किस्म की जायदाद हो तो जायदादों की हैसियत के मुताबिक कर्जे का बटवारा हो जायगा। कानून इन्तकाल १८८२ की दफा ८२ के उसूलों के मुताबिक कर्जे का बटवारा हो जायगा। हाउस प्रापर्टी पर कितना आता है और लैंडेड प्रापर्टी पर कितना आता है? हाउस प्रापर्टी के ऊपर जितना कर्जा होगा वह नहीं घटाया जायगा लेकिन जो लैंडेड प्रापर्टी पर कर्जा होगा वह घटाया जायगा। घटाने का तरीका यह होगा कि इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के मातहत जितने मल्टीपिल्स उस जिले के आते थे, हर जिले के मल्टीपिल्स तै कर दिये गये हैं, जितना वह प्रतिकर और रिहैबिलिटेशन ग्रांट पायेगा माना कि १७ मल्टीपिल है रिहैबिलिटेशन ग्रांट का और ८ है कम्पेन्सेशन का तो २५ हुआ और इन्कम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट का मल्टीपिल है ५३ तो वह कर्जा जो कि लैंडेड प्रापर्टी के जिम्मे पड़ा वह कर्जा घटा दिया जायगा यानी २५/५३ कर दिया जायगा। अर्थात् दूसरे शब्दों में प्रतिकर और अनुदान जितना बैठता है, उसका जो अनुपात बैठता है, इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के मुताबिक अगर हम जायदाद की कीमत निकालते हैं उस कीमत से जो तनासुन बैठता है उस अनुपात से वह कर्जा जो कि लैंडेड प्रापर्टी पर आता है वह घटा दिया जायगा और उस मुआविजे से उतना कर्ज वसूल हो सकेगा, मुआविजे से भी और अनुदान से भी, केवल मुआविजे से नहीं। कम्पेनसेशन से भी और रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी से लें। वह वसूल हो या न हो फिर उस सेक्योर्ड डेट की कोई सादा डिग्री बनवा कर वह दूसरी जायदाद से वसूल नहीं कर सकेगा बल्कि सारी वह डिग्री या कर्जा जिस हद तक जरई जायदाद के जरिये निकलती थी उसकी बाबत वह कोई सादा डिग्री हासिल करके जायदाद से वसूल नहीं कर सकेगा। फिर एक यह भी उसूल रक्खा गया है कि यह न हो कि वह सारे अनुदान या प्रतिकर को ले जाय। डिग्रीदार या कर्जख्वाह उसके ३/४ को ले सकेगा और १/४ मकरूज के लिये सुरक्षित रहेगा। जहां तक सादे कर्जे का ताल्लुक है वह किसी भी जायदाद से जैसा मैंने पहले अर्ज किया था वसूल किया जा सकेगा लेकिन अगर डिग्रीदार या कर्जख्वाह उसके अनुदान से या प्रतिकर से वसूल करना चाहेगा तो वह भी उसी अनुपात से जिस अनुपात से

इंकम्बर्ड स्टेट्स ऐक्ट के मातहत जायदाद की कीमत होती उस कीमत के मुकाबले में उसी अनुपात से उसके रिवर्स रेश्यो में उसका सेटिस्फैक्शन (परिशोध) एंटर कर दिया जायगा। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिये कि एक हजार रुपया किसी की सादा डिग्री की रकम बैठती है और उस कम्पन्सेशन और रिहैबिलिटेशन ग्रांट का जो अमाउन्ट था वह कुर्क करा लिया गया तो जिस कदर वह रुपया बैठता है और रिहैबिलिटेशन ग्रांट का अमाउन्ट बैठता है मान लीजिये कि ३०० रुपया उसकी जायदाद की कीमत आती थी और ६०० रुपया इन्कमबर्ड स्टेट ऐक्ट के मातहत उसकी कीमत आती है तो उस हद तक वह ६०० रुपया बेबाक कर दिया जायगा और ४०० रुपया जो बाकी रहता है वह किसी जायदाद से वह वसूल कर सकता है। हो सकता है कि इसमें कोई टेक्नीकल बात रह गयी हो लेकिन जो मोटी बातें उसूल की हैं वह मैंने सदन के सामने ज़ाहिर कर दी। पूरी बातें जाहिर करने का यह वक्त भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है लेकिन जो खास बातें हैं वह मैंने कह दीं। इसके बारे में सिर्फ अब इतना कह सकता हूं कि यह बिल बहुत दिनों से गवर्नमेंट के जेरेगौर था और इसके ऊपर मामूली से ज्यादा विचार किया गया और विचार करने के बाद यह नतीजे के तौर पर यह बिल सदन के सामने मौजूद है। यह कोई बहुत मामूली लेजिस्लेशन नहीं है बल्कि यह किसी उसूल पर मबनी है। मुझे यह उम्मीद है कि सदन के सदस्य जितना इस पर ग़ौर करेंगे उतना ही क़दर करेंगे। हो सकता है कि तफ़सील में कोई अन्तर हो लेकिन जहां तक उसूल का संबंध है मुझे उम्मीद यह है कि सब इससे सहमत होंगे। फिर भी मैं कहता हूं कि बहुत अहमियत रखने वाला यह मसविदा कानून है, इसलिये यह सेलेक्ट कमेटी के सामने जाय। इसलिये मैं इन शब्दों के साथ उम्मीद करता हूं कि यह सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय चेयरमैन साहब, अभी अभी जो बिल माननीय राजस्व मंत्री जी ने सदन के सामने पेश किया है उसको देखने से मुझे आज इतनी खुशी तो हुई कि जमींदारी एबोलिशन कमेटी की रिपोर्ट की एक बात मानी गई। जमींदारी एबोलिशन कमेटी जिस मकसद से बनी थी और उसने जितनी मेहनत से अपनी रिपोर्ट को तैयार किया था अगर उस रिपोर्ट के सिवाय एक कर्जे को कम करने के मामले को छोड़ कर और मामलों में भी लागू की जाती, उनका भी लिहाज किया जाता तो आज जमींदारी एबोलिशन कानून और अभी इसके पहले जो ३२ करोड़ का मामला हमारे सामने आया इसकी कुछ और ही शक्ल होती, लेकिन खैर जिस अंश में आई उतने पर खुशी है। इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त क्योंकि यह बिल सेलेक्ट कमेटी में जा रहा है इसलिये इसमें ज्यादा वक्त लगाना नहीं चाहता उस पर फिर विचार होगा और विचार करने के बाद इसकी खामियों को दूर करने का अवसर है। लेकिन मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान एक चीज की तरफ दिलाना चाहता हूं। जमींदारी एबोलिशन कमेटी की राय में छोटे जमींदारों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की बात कही गई है। एक मर्तबा नहीं बल्कि कई मर्तबा इस सदन के सामने भी माननीय राजस्व मंत्री ने इस बात को दोहराया है कि सरकार का भी यह इरादा है कि वह छोटे जमींदारों की ज्यादा से ज्यादा मदद करे और उनके पुनर्वास कराने का भी आश्वासन उसने दिया है। इसी ख्याल से मुआविजे के अलावा अनुदान का एक हिसाब रखा गया है कि जो जितना बड़ा जमींदार है उसको पुनर्वास अनुदान कम है और जो जितना छोटा जमींदार है उसको उतना ही पुनर्वास अनुदान ज्यादा है और इस क़ानून को उस नीति के विरुद्ध इसलिये पाता हूं चूंकि इसके जो उद्देश्य और कारण हैं उनमें लिखा है कि 'विधेयक में यह व्यवस्था भी की गई है कि मध्यवर्ती को मिलने वाले प्रतिकर और पुनर्वासन अनुदान के चौथाई भाग के बराबर धनराशि उसके पास बच रहें। "छोटे जमींदारों की बहुत अधिक तादाद है और शायद २० लाख में से १७ लाख से कुछ कमवेश उनकी तादाद होगी स्वाभाविक-तौर पर जो कर्जे की रक़म है वह बहुत बड़ी रक़म उन्हीं लोगों पर होगी।

[श्री गेंदा सिंह]

इसमें कहा गया है कि एक चौथाई रक़म उनके पास बच जायगी, उसमें से जो उनको पुनर्वासन या मुआवजे के रूप में दिया जायगा। २५० रुपये से कम मालगुजारी देने वाले जमींदारों की तादाद बहुत ज्यादा है जैसा कि मैंने पहिले कहा है। और यदि हम उनके पास सिर्फ चौथाई रक़म ही छोड़ना चाहते हैं तो यह उनके साथ ज्यादती होगी और इस तरह से उनका पुनर्वासन कराने का विचार है वह पूरा नहीं हो सकेगा। यह जरूर हो सकता है कि जो बड़े जमींदार हैं इस प्रदेश के उनको बड़ी राहत हो जायगी क्योंकि उनको अगर चौथाई रक़म भी बची तो उससे वह अपने परिवार को पुनर्वासित कर सकते हैं और अपने को वह चला सकते हैं, लेकिन छोटी रक़म वाले, जो मुआवजा वग़ैरा पावेंगे उसमें अगर तीन-चौथाई रक़म कर्जे में दे दी जायगी और केवल चौथाई उनके पास छोड़ी जायगी तो उनको मुसीबत हो जायगी। इस बात को ध्यान में रख कर हमको कुछ संशोधन इसमें करना होगा। इसमें शक नहीं कि जमींदारी एबोलिशन कमेटी ने इस ओर ध्यान दिलाया था। उसने न सिर्फ इसी बात पर ग़ौर किया था कि चूंकि जमींदारों की जमीन निकल जायगी इसलिये उनके क़र्जे को कम करना है, बल्कि उसने इस बात पर भी जोर दिया था था कि चूंकि जमीन निकल जायगी उनको फिर से बसाने की बात सोचना है और रोजी देने की बात सोचना है। इस बात पर भी सदन को ग़ौर करना चाहिये, हमारे जो पुराने जमींदार भाई हैं, कुछ नाम लेने से अब अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उन लोगों का भी सहयोग और सहायता हम लोगों को इस विषय पर प्राप्त होगी। मैं समझता हूं कि हो सकता है भ्रमवश ऐसा हुआ हो, हो सकता है कि यह बात माननीय राजस्व मंत्री के ध्यान में अब आ गई हो और इसमें सुधार हो।

एक बात और जरूर कहूंगा कि सारे सूबे में क़र्जे का बोझ आज खेती करने वालों के ऊपर लदा है और उसके लिये आज से पहले कई बार चर्चा हुई है और एक बार तो एक कमेटी भी बनी थी जिसका काम था कि जांच करे और सरकार को रिपोर्ट दे और फिर इस सदन में कानून बने जिससे कर्जे का भार लोगों का उतरे। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इसकी वजह से जो सबसे ग़रीब गांव के रहने वाले लोग हैं वह कर्जे के बोझ से दबे हैं। और उसकी बदौलत उनको बहुत से नुक़सान उठाने पड़ते हैं चाहे वह मजबूरी में हों, चाहे दबाव से काम करने में हों। न सिर्फ इस कर्जे के कानून की जरूरत है बल्कि उस कर्जे के कानून की भी जल्दी है, अगर वह कमेटी इस वक्त नहीं है तो फिर वह कमेटी भी जल्द बननी चाहिये। और बनाकर जल्दी से जल्दी उस क़र्जे को भी कम करके या जिन लोगों पर से क़र्ज को एकदम हटा देना है उसका बन्दोवस्त करना चाहिये। ख़ास तौर से खेतिहर और हरिजनों का सवाल है, जो इस क़र्जे के बोझ से परेशान हैं। जितनी मेहरबानी माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस बिल को ले आने में की है, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जल्दी ही इस बिल को ले आने की भी मेहरबानी करेंगे ताकि लोगों का बोझ कम हो जाय।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)---चेयरमैन महोदय, माननीय राजस्व मंत्री ने अपना प्रस्ताव उपस्थित करते हुये कहा कि यह विधेयक शायद प्रवर समिति में जाने वाला है इसलिये इसके अन्दर इस समय तफ़सील मे जाने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु यह होते हुये भी मैं कुछ शब्द कहे बग़ैर नहीं रह सकता और वह इसलिये कि जैसा माननीय राजस्व मंत्री ने कहा यह विधेयक बहुत दिनों से सरकार के विचाराधीन था और जब से जमींदारी उन्मूलन की चर्चा चली है तब से जमींदारों की आंखें सरकार की ओर लगी हुई थीं कि आखिर कर्जे के मामले में उन्हें रिलीफ़ मिलने वाला है जब कि उनकी जमींदारी चली जायगी। इस बिल का मैं स्वागत करता हूं और इसके लिये सरकार को बधाई और धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही साथ मैं माननीय गेंदा सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस

मामले में उनका साथ हमें प्राप्त हुआ। मुझे इसकी बड़ी खुशी है और उल्लास है। और उनका साथ होता भी क्यों नहीं।

एक सदस्य---आपका और उनका तो पुराना साथ है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---एक माननीय सदस्य सामने से चिल्ला कर कहते हैं कि उनका और हमारा तो पुराना साथ है। नहीं मालूम कितनी मर्तबा इधर से कहा जाता है कि साथ तो हमारा और आपका है। कभी कहा जाता है कि जमींदारों और कांग्रेसियों के बीच मिली हुई कुश्ती है। मैं इतना अवश्य जानता हूं कि हो सकता है कि जमींदारी हटने के बाद और यह कैपिटलिज्म का नाम निकलने के बाद इधर वालों की जो सत्यता है उसकी वजह से हम शायद इधर वालों के ज्यादा नजदीक हो जावें। मुझे अच्छा लगे या बुरा लगे, परन्तु जो उनका उसूल है और जैसा वह कहते हैं शायद मौका आने पर वह वैसा करेंगे भी। श्रीमन् इस विधेयक पर कुछ अधिक न कहते हुये, क्योंकि यह प्रवर समिति में जाने वाला है, मैं इस प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)---श्रीमान् चेयरमैन साहब, मैं इस विधेयक के समर्थन में जो सरकार की ओर से पेश हुआ है कुछ शब्द कहना चाहता हूं। हम लोगों को बहुत दिनों से इस बात की आशा थी कि सरकार जमींदारों के क़र्ज़ के बारे में अपना निश्चय करेगी और बिल लायेगी। आज वह भवन के सामने है चाहे इसमें देरी जरूर हुई है जिसकी वजह से कुछ नुक़सान भी हुआ है। बहुत क़र्ज़ देने वालों ने यह जानकर कि क़र्ज़ा घटने जा रहा है अपनी डिग्रियां कराई और जमींदारों की जायदादें कुर्क करा लीं। इस ओर सरकार का ध्यान भी दिलाया गया था मगर नहीं मालूम कि क्यों सरकार ने इधर ध्यान नहीं दिया मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब आप एक वर्ग का जो मुसीबत में है कुछ फायदा करना चाहते हैं तो यह कम से कम जरूर करें कि जब तक जमींदारों के कर्जे घटने का कोई सवाल न आ जाय तब तक उनकी जायदाद कुर्क न की जावें। उनकी जायदाद पर क़ब्ज़ा न दिया जाय, उनको भी नीलाम न किया जाय इसके लिये भी स्टे आर्डर हो जाना चाहिये। उसमें न्याय होगा, उसके पास अगर कोई चीज नहीं रहेगी तो फिर उसको ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है। मुझे इस सिलसिले में यह भी कहना है, यह बिल प्रवर समिति को जा रहा है, जाना ही चाहिये : वहां उसमें जो ख़ामियां रह गई हैं वह दूर की जायेंगी। यहां सिर्फ दो एक बातें मैं कह देना चाहता हूं कि सरकार ने जैसे उसमें यह रखा है कि फलां-फलां कर्जों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनमें सरकार ने अनुसूचित बैंक्स और राज्य सरकार का कर्जा रखा है। राज्य सरकार ने तो हमारी जायदादों की कीमत को घटा कर १/५ कर दिया है इसलिये उसको तो स्वयं ही चाहिये कि अपने कर्जों को ऐक्जेम्प्ट (माफ़) न करे। उस पर से भी सरकार को रोक हटा देना चाहिये। शिडयूल्ड बैंक्स के बारे में मेरा कहना यह है कि इसमें सिर्फ़ एक ही बैंक आता है और वह इलाहाबाद बैंक है और यह बात भी सबको मालूम है कि वह एक फारेन (बाहरी) बैंक है फिर आपको क्या जरूरत है कि उसके लिये यह आप प्रयत्न करें कि उसके क़र्ज़े वैसे के वैसे ही रहें। अगर उसमें कोई कानूनी दिक्कत हो तो वह नैगोसियेशन से दूर की जा सकती है। जितना रुपया उसने दिया है उसका काफी मुनाफ़ा वह उठा चुका है अब अगर बाकी रुपया छोड़ दिया जायगा तो कोई भी फाईनेंशियल डिफीकल्टी (वित्तीय कठिनाई) होने वाली नहीं है जिससे हमारे मुल्क में तबाही या गड़बड़ी हो। अगर यह निकाल दिया जाय तो यह बहुत अच्छा बिल हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि हमारी तरफ से, जो सुझाव दिया गया है उस पर विचार किया जायगा, और इस पर प्रवर समिति भी विचार करेगी। अन्त में मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जिसने इस बिल के द्वारा न्याय दिखलाया है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---सभापति महोदय, जब जमींदारी एबोलीशन बिल के जरिये से किसानों को हक़ देने का सवाल आया और सरकार की ओर से उसके लिये एक कानून पेश किया गया तो हमारे सोशलिस्ट भाइयों की ओर से बहुत खुशी जाहिर की गई। आज जब कि जमींदारों के ऊपर से कर्जा कम करने का सवाल आया है और उसके लिये यहां बिल लाया गया है तो जमींदारों को प्रसन्नता हुई है। मगर बात सही यह है कि कांग्रेस सरकार वही काम करती है जो सब के फ़ायदे के लिये होता है। जब देश को जरूरत थी जमींदारी को खत्म करके किसानों को अधिकार देने की तो वह किया गया और आज जब कि यह जरूरत पेश आई कि जमींदारों को क़र्ज से निजात दिलाई जाय तो यह किया गया। मेरे साथियों को इससे समझना चाहिये कि प्रिंसिपल वही अच्छा ह जो जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करे। अब सवाल यह रह गया कि उसमें कुछ खामियां रह गई हैं, मैं मानता हूं कि २-१ खामियां उसमें हैं वह भी दूर कर दी जायेंगी। जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि इसमें कमी जो रह गई है वह यह है कि बड़े-बड़े जमींदारों को इसके द्वारा चौथाई की बचत होती है और जो छोटे जमींदार है उन पर भी कुल चौथाई ही छोड़ा गया है। अब जब कि यह बिल प्रवर समिति को जा रहा है वहां पर उन सब बातों पर विचार करके उनको ठीक कर दिया जायगा। जहां तक इसके उसूल का ताल्लुक है मैं समझता हूं उसमें किसी को कोई मतभेद नहीं है। चाहे वह जमींदार पार्टी हो, चाहे वह सोशलिस्ट पार्टी हो वह इसके उसूल को मानती है कि इस बिल ने एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा किया है। मैं इसके लिये राजस्व मंत्री जी को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही कानून की शक्ल में पहुंच जायगा जिससे भाई वीरेन्द्र शाह जी की यह शिकायत भी बाकी नहीं रहेगी कि उनके कर्जे की कुर्कियां को रोक दिया जाय।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी हमारे एक साथी ने कहा कि वह दिन भी हम लोगों को याद है जब जमींदारी उन्मूलन हो रहा था तो बड़े जोरों से महीनों नहीं वर्षों तक उधर से आवाजें कसी गई थीं और आज का दिन भी याद रहेगा जब कि इतने बड़े सत्य का उदय हुआ कि इतने बड़े विरोधी एक जगह दिखलाई पड़ने लगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस गठबन्धन के लिये उनको मुबारकबाद देता हूं और यह आशा करता हूं कि इस सदन से कि वह जहां तक सत्य की परिभाषा का सम्बन्ध है उसके लिये कुछ अपना समय लगावें। भारतीय संस्कृति का अगर अध्ययन किया जाय पुराने दिनों की ओर जिसकी थोड़ी बहुत छाप अब भी गांवों में दिखलाई देती है यह कहा जाता है कि जब तक पूरा का पूरा कर्जा अदा न हो जाय पूर्वजों को गया जाने पर भी मोक्ष नहीं मिलता? लेकिन अध्यक्ष माहोदय, स्वार्थ बड़ा होता है, मोक्ष और परमात्मा, तीर्थ और धर्म यह सब इसी दुनिया में रह जाते हैं जब अपने स्वार्थ की बात आती है और फिर जब स्वार्थ साधन होने लगते हैं तो जैसा मैंने पहले प्रार्थना की कि स्वार्थ में लोग फंस जाते हैं कि नये-नये रास्ते और बीहड़ रास्तों पर चलना भी उन्हें अच्छा लगने लगता है।

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---आप विरोध कर रहे हैं क्या?

श्री रामनरेश शुक्ल---विरोध का तो कोई प्रश्न उठता नहीं जहां आपकी भलाई की बात आती है। यहां तो हमें केवल इतनी प्रार्थना करनी है कि जब भी आप ध्यान से देखेंगे दवा कड़ुवी भले ही लगे लेकिन अगर आप पान करेंगे और करते रहेंगे तो न केवल उससे लाभ होगा बल्कि जितने मर्ज हैं वह सब दूर हो जायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री महीलाल (ज़िला मुरादाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रसन्नता होती है ऐसे समय जब सरकार की ओर से आने वाले विधेयक पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से एक मत होकर बधाई दी जाती है। सरकार ने इसे आवश्यक समझ कर सदन के सामने रखा था लेकिन जमींदार पार्टी और जमींदार पार्टी तो नहीं कहना चाहिये क्योंकि शायद इससे मेरे भाइयों को कुछ आपत्ति हो चूंकि उन्होंने अपने को स्वतंत्र दल घोषित किया है लेकिन दूसरे मानों में इसलिये जमींदार पार्टी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि जब जब जमींदार या किसान के सम्बन्ध में कोई बात आई स्वतंत्र दल के माननीय सदस्यों ने सदैव जमींदारों का पक्ष लिया और जमींदार शब्द को कह कर बात कही...

श्री सुरेश प्रकाश सिंह---श्रीमन् प्वाइंट आफ एक्सप्लेनेशन (मैं स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।) जहां तक व्यक्तिगत मामला है माननीय महीलाल जी जिसको भी चाहें जमींदार कह सकते हैं। परन्तु मैं आपके द्वारा उनसे इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि जहां तक पार्टी का सवाल है, संयुक्त दल का, वहां पर जमींदार या कैपिटलिस्ट जो भी कहना चाहें न कहें। अगर आप मुझे व्यक्तिगत रूप से जमींदार कहें तो इसमें मुझे शर्म नहीं है।

श्री महीलाल---आज विशेषकर बड़ी प्रसन्नता है कि सरकार को एकमत होकर उनकी ओर से बधाई दी गयी। उसके साथ ही मैं सोशलिस्ट पार्टी के साथियों को बधाई देता हूं। सोशलिस्ट और कांग्रेस वाले अपने को एक दूसरे से इतना दूर नहीं समझते थे जितना कि समाजवादी भाई संयुक्त दल से अपने को दूर समझते थे। यह तो एक साधारण बात थी, पर विशेष रूप से विचार इस विषय पर करना है कि इसकी आवश्यकता क्यों है। मेरा विचार इस सम्बन्ध में यह है कि जमींदारी की आड़ में जमींदार भाइयों की तरफ से प्रान्त के निर्धनों और किसान तथा मजदूरों पर अत्याचार होते थे और इसी कारणवश जमींदारी प्रथा का अन्त करना आवश्यक समझा गया। परन्तु साथ ही यदि हम गहरी दृष्टि से देखें तो हमारे यहां का पूंजीपति वर्ग हमारे देश के निर्धनों, हमारे देश के रहने वाले किसान और मजदूरों पर उन जमींदारों से कहीं ज्यादा अत्याचार करता है और अत्याचार किया है? साहूकारी के नाम पर ब्याज के द्वारा पूरे समाज का शोषण किया है और पूरे समाज का शोषण करने वाले वर्ग पर इस विधेयक का प्रभाव पड़ता है। तो यह स्वाभाविक है कि हम सबको इस पर विशेष रूप से प्रसन्न होना चाहिये। हमारी सरकार पर आज बहुत बड़ा आक्षेप यह भी है कि जमींदारी का समाप्त करना एक आसान बात थी। मालूम तो तब होगा जब यह सरकार पूंजीपतियों पर काबू पायेगी या पूंजीवाद को समाप्त करेगी। तो आज का कार्य वही कार्य है जिसके लिए कुछ लोगों का विचार यह था कि इस सरकार के बस की बात नहीं है कि वह पूंजीवाद को समाप्त कर करे। एलेक्शन में भी कहा गया कि यह सरकार पूंजीवादी सरकार है। यह सरकार पूजीपतियों की है। हमारी सरकार का यह विधेयक एक प्रकार का उनको उत्तर है कि यह सरकार पूंजीवादी सरकार नहीं है। यह सरकार पूंजीपतियों की पोषक नहीं है। बल्कि हर कमज़ोर और ग़रीब, हर निर्धन की सहायक है। मैं तो जहां तक इस विधेयक का संबंध है उसके संबंध में कोई विशेष बात न कह कर क्योंकि वह एक प्रवर समिति के सुपुर्द हो गया है और वहां उसमें विशेष रूप से विचार होगा अपने उन शब्दों को पुनः दोहराना चाहता हूं कि हमारे देश का पूंजीपति वर्ग बिल्कुल उस जानवर की तरह है जिसको झबरी कहते हैं जो तलबे की तरफ से मनुष्य को चूसता है। इस पूंजीपति वर्ग ने भी हमारे देश के मानव समाज का खून तलबे की तरफ से चूसा है और उसी के कारण आज की आर्थिक विषमता हमारे देश में है और इसके लिये तो मैं आशा करता

[श्री महीलाल]

हूं कि भविष्य में शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार के विधेयक आयेंगे जिससे समाज के लोगों को इन पूंजीपतियों और इस तरह के सरमायादार लोगों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा।

इन शब्दों को कह कर मैं अपनी सरकार को विशेष रूप से बधाई देता हूं और साथ ही अपने उन माननीय सदस्यों को आपके द्वारा बधाई देता हूं। जिन्होंने विधेयक को प्रस्तुत करने पर सरकार को बधाई दी है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—चेयरमैन महोदय, जहां तक इस जमींदारों के ऋण संबंधी विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का सवाल है हमारे साथी गेंदा सिंह ने अपनी राय जाहिर की, लेकिन इस विधेयक के लाने पर सरकारी पक्ष के लोगों को कुछ बधाइयां मिलीं इससे कुछ माननीय सदस्य गर्वित हो गये हैं कि उन्होंने कल्पना कर ली कि अब तो सारे देश से शोषण और अत्याचार खत्म हो गया। बहुत सी ऐसी बातें भी कही गयीं कि सोशलिस्ट पार्टी में और जमींदारों में गठबंधन हो गया। मैं चेयरमैन साहब, आपके द्वारा यह बताना चाहता हूं कि इस समय प्रान्त में कम से कम कोई जमींदार नहीं है। जमींदारों से या पूंजीपतियों से हमारा विरोध उनकी जातियात या शख्सियत की बिना पर नहीं है। हम तो एक प्रणाली को मानते हैं और हम जानते हैं कि अपनी जायदाद की ओनरशिप (स्वामित्व) की वजह से अगर कोई किसी वर्ग के ऊपर शोषण करता है तो हम उसके विरोध में है। आज जबकि जमींदारों के पास जमींदारी नहीं रही तो हमारा फ़र्ज नहीं होता कि खामख्वाह उनके व्यक्तित्व से नफ़रत करें। यह सिद्धांत हमारे बापू जी भी सिखाते रहे हैं कि "सिन से घृणा करना मगर सिनर से नहीं।"

इस बधाई को लेते हुये सरकारी दल भूल गया कि अब सरकारी दल मोर्चे के सामने आया है। सरकारी दल को फख्र जरूर होगा कि उन्होंने जमींदारी तोड़ कर बड़ा भारी काम किया, लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि यह युग जमींदारों के और किसानों के संघर्ष का नहीं है। आज जो समाज का सबसे बड़ा शत्रु है, देश का सबसे बड़ा शत्रु है, दुनिया का सबसे बड़ा शत्रु है वह पूंजीपति है। जमींदार तो खुद ही मर चुके थे। वह युग याद होगा हमारे माननीय सदस्यों को कि जब अर्जुन कुछ भीरु हो चुके थे और कहते थे कि मैं मामा चाचा, ताऊ पर कैसे हथियार चलाऊं। तो श्रीकृष्ण ने कहा कि तुम्हें तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना है, ये तो खुद ही मर चुके हैं। तो सरकारी दल जमींदारों को खत्म करके बधाई का पात्र बनना चाहता है जिनको पोलिटिकल साइंस ने खत्म कर दिया था और इतनी छीछालेदर के बाद जमींदारी खत्म की गयी जबकि उनको यह महसूस हुआ कि अब वे किसान और जनता को धोखे में नहीं रख सकते और यह श्रेय सरकारी दल के नाम में जमा कर दिया। वह कैसे खत्म हुई, वह बहस तो अलग ही है और आगे जब यह जमींदारी विनाश कानून लागू होगा और उसकी त्रुटियां किसानों के सामने आयेंगी, जब किसानों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां होंगी, तब उनको मालूम होगा कि जमींदारी कैसे खत्म हुई। लेकिन मारे हुओं को मार कर सरकारी दल बधाई का पात्र नहीं कहा जा सकता। मैं मही लाल जी से जानना चाहता हूं कि क्या हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था का अन्त हो गया? आज भी हमारे देश में पूंजीवादी व्यवस्था मौजूद है। जब तक पूंजीवादी व्यवस्था खत्म नहीं हो जायगी, जब तक हमारे कल कारखाने नैशनलाइज नहीं हो जायेंगे तब तक मैं यही कहूंगा कि आपकी जो सरकार है वह पूंजीवादी प्रणाली की पोषक सरकार है और यह विधानतः आपने स्वीकार कर लिया है १० वर्ष तक आप सोचेंगे भी नहीं कि राजीयकरण का कोई सवाल भी आता है।

अब तो किसानों के सामने यह प्रश्न रहा ही नहीं कि तुम्हारा शत्रु जमींदार है। अब असल सवाल है पूंजीपति एक तरफ है और देश की तमाम जनता एक तरफ है और यह देखना है कि इस संघर्ष में सरकारी दल किसका साथ देता है। अगर सचमुच ४ महीने, ६ महीने के

अन्दर ऐसा परिवर्तन लाया गया कि देश की पूंजीवादी व्यवस्था का खात्मा हो जाय तो वह बड़ा मुबारक दिन होगा और आप हमारी बधाई के पात्र होंगे।

रह गया संयुक्त दल का सवाल, तो वह कोई ऐसा दल नहीं कि वह पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक हो। उन्होंने तो अपना एक काम चलाया। अपने कुछ मसलों को रखने के लिये एक पार्टी बना ली थी उसका निश्चित प्रोग्राम आज तक हमारे सामने आया भी नहीं जो हम उस प्रोग्राम के आधार पर सोशलिस्ट पार्टी से उनका गठबन्धन करें। लेकिन आप यह सोचते हैं कि जमींदारों के हकों की रक्षा ही संयुक्त दल का ध्येय था। यह बात गलत थी। कभी भी संयुक्त दल ने इस तरह का कदम नहीं उठाया कि वह जमींदारों की रक्षा करना चाहता हो। आज भी संयुक्त दल के लोगों के लिये, जो अपनी जायदाद की ओनरशिप की वजह से शोषण करते थे, द्वार खुला हुआ है। हम कहते हैं कि अगर आप सही मानों में किसानों और मजदूरों की हिमायत करते हैं तो या तो आप ऐसा कदम उठाइये, उस दिन भी मैंने कहा था कि ३९१ की मेजारिटी जिस दल के साथ हो वह किसानों की भलाई के नाम पर, जो चाहे सो कर सकता है। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला से सबक़ सीखिये कि आपका विधान एक तरफ रह जाता है और शेख अब्दुल्ला जो चाहते हैं वह कर लेते हैं, किसानों और मजदूरों के पक्ष में। तो यह बहानेवाजी अब आपकी ज्यादा दिन नहीं चलेगी कि हमने तो जमींदारी प्रथा का नाश कर दिया इसलिये यह सरकार पूंजीवादी सरकार नहीं है। आपने जमींदारी प्रथा का नाश किय उसके बाद दस साल तक के लिये पूंजीवाद को सुरक्षित कर दिया।

अधिष्ठाता—माननीय सदस्य विधेयक के सिद्धांतों पर बहस करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—चेयरमैन महोदय, कुछ ऐसी बातें उठायी गयी थीं जिनका जवाब देना आवश्यक था इसीलिये मैंने कहा। और जब जमींदारों के पास जमींदारी नहीं रही तो उनके लिये कोई रेलीफ मेजर (सहायक कानून) अगर आप लाये, और साथ ही साथ जैसा कि गेंदा सिंह जी ने कहा कि अगर आप किसानों की भलाई के लिये कोई चीज लायें तो हम ख्वाहमख्वाह उसका विरोध करें, यह हमारा सिद्धांत नहीं है। हमारा विरोध तो मूल सिद्धांतों से है और वह पूर्णतया स्पष्ट है।

मालमन्त्री के सभा सचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)—माननीय सभापति महोदय, इस प्रस्तुत विधेयक का इस भवन में उसूलन कोई विरोध नहीं किया गया है, इसलिये इस संबंध में कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विरोधी दल के माननीय सदस्य श्री गेंदा-सिंह जी ने एक बात की तरफ जरूर इशारा किया कि छोटे जमींदारों को विशेष सुविधा होनी चाहिये, इस बिल में छोटे जमींदारों का कोई लिहाज नहीं किया गया है, उनके क़र्ज़ के संबंध में ज्यादा उदारता होनी चाहिये। मैं उनका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस भवन के प्रत्येक सदस्य को छोटे जमींदारों के साथ हमदर्दी है और इस विधेयक में भी छोटे जमींदारों को ज्यादा फ़ायदा होता है। इस विधेयक में वह देखेंगे कि एक चौथाई रकम जो कि उनको रिहैबिलिटेशन ग्रांट वगैरह के तौर पर मिलेगी वह कर्ज से सुरक्षित रहेगी। तो इस रूप से छोटे जमींदार को जिसको २० गुना रिहैबिलिटेशन ग्रांट और ८ गुना मुआविजा का मिलता है, यानी २८ गुना रकम मिलती है उसकी ७ गुना रकम सुरक्षित हो जाती है और दस हजार से ऊपर जमींदार को जिसको रिहैबिलिटेशन ग्रांट नहीं मिलती, केवल ८ गुना मुआवजा मिलता है, उसकी चौथाई यानी केवल दो गुनी रक़म सुरक्षित होती है। तो इस प्रकार जो छोटे और बड़े जमींदारों का इसमें कम रखा गया है और एक चौथाई रक़म सुरक्षित रखी गयी है वह छोटे जमींदारों की ज्यादा होती है। इसके अलावा छोटे जमींदारों पर कर्जा भी कम है। बड़े जमींदारों के ऊपर क़र्जा ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि छोटे जमींदार मेहनतकश हैं और अपनी जायदाद को ज्यादा गिरवी वगैरह रखने की कोशिश नहीं की, हमेशा उसको बचाते रहे। बड़े जमींदारों ने खर्चा ज्यादा किया, उनके पास जायदादें ज्यादा थीं, वे जरा ज्यादा ऐश आराम

[श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य]

से रहना चाहते थे इसलिये उन्होंने ज्यादा क़र्जे लिये। बहरहाल इससे कोई बहस नहीं है, लेकिन जो उन्होंने कहा कि छोटे ज़मींदारों की बात है तो उसका लिहाज इसमें हो चुका है। राजा वीरेन्द्र शाह का यह कहना कि कुछ कर्जे ऐसे हैं जिनके ऊपर और यह कानून लागू होना चाहिये। राज्य सरकार के कर्जे, शिड्यूल बैंक के कर्जे और लोकल बाडीज तथा वक्फ, ट्रस्ट और कोआपरेटिव सोसाइटीज के जरूर ऐसे कर्जे हैं जिन पर यह कानून लागू नहीं होता है। जो इस बिल के उद्देश्य और कारणों में दिये हुये हैं "सैंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट शिड्यूल बैंक, लोकल अथारिटी, कोआपरेटिव सोसाइटीज तथा वक्फ, न्यास (ट्रस्ट) इंडाउमेंट्स जो दानोत्तर हों' यह जनहित की संस्था है इसलिये मुनासिब नहीं मालूम होता है कि उनकी व्यवस्था में कोई ऐसी बात की जाय जिससे जनहित को ठेस पहुंचे। स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट के बारे में आपने कहा तो मैं नहीं समझता कि कोई भी माननीय सदस्य आपके विचार से सहमत हो। इसलिये बाकी और कर्जों के संबंध में यह कानून लागू किया गया है और सोच विचारकर यह चीज रखी गयी है।

मुझे कुछ और नहीं कहना है। इस संबंध में किसी को कोई विरोध नहीं है। गैर जरूरी बहस में मैं नहीं पड़ता और इसकी आवश्यकता भी नहीं है। सोशलिस्ट पार्टी की नुक्ते-निगाह में है कि पूंजीपति व्यवस्था को खत्म किया जाय। इस भवन ने भी इस उसूल को मंजूर कर लिया है और वह धीरे-धीरे खत्म भी हो रही है। जमींदारी इस भवन ने खत्म की लेकिन वे इसका कोई श्रेय सरकार को देने को तैयार नहीं है। जो भी चीज कांग्रेस करेगी तो वह श्रेय देने को भी कभी भी तैयार नहीं होंगे। यह पूंजीपति व्यवस्था भी धीरे-धीरे खत्म होगी और खत्म होकर रहेगी। मैं इस बहस में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैं आशा करता हूं कि यह प्रस्ताव जो इस को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के संबंध में उपस्थित किया गया है उसको भवन स्वीकार करेगा।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ज़मींदारों के ऋण कम करने का विधेयक२ १९५२, एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम यह है :—,

१. श्री द्वारका प्रसाद मौर्य	११. श्री भगवान सहाय
२. श्री डालचंद	१२. श्री बाबूराम गुप्त
३. श्री अक्षयवर सिंह	१३. श्री राजाराम मिश्र
४. श्री सुल्तान आलम खां	१४. श्री कालिका सिंह
५. श्री काली चरण टंडन	१५. श्री लक्ष्मणराव कदम
६. श्री मुहम्मद अदील अब्बासी	१६. श्री राधामोहन सिंह
७. श्री नन्द कुमार देव वाशिष्ठ	१७. श्री निहालुद्दीन
८. श्री गोपीनाथ दीक्षित	१८. श्री मदनमोहन उपाध्याय
९. श्री नौरंग लाल	१९. राजा वीरेन्द्र शाह
१०. श्री हर ख्याल सिंह	२०. श्री तेजबहादुर

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—माननीय राजस्व मंत्री इसके सदस्य होंगे और मैं उनको इस समिति का सभापति नियुक्त करता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन (संशोधन) विधेयक, १९५२ पर विचार किया जाय।

---

*३ सितम्बर, १९५२ की कार्यवाही में छपा है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान ९५(ग) के शब्दों पर दिलाना चाहता हूं।

"परन्तु उस समय तक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियाँ सदस्यों के उपयोग के लिये उपलभ्य न कर दी गयी हों, और यदि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से तीन दिन पूर्व इस प्रकार उपलभ्य न कर दी गयी हों तो कोई सदस्य ऐसे प्रस्ताव के किये जाने पर आपत्ति कर सकता है और ऐसी आपत्ति मान्य होगी जब तक कि अध्यक्ष प्रस्ताव करने की अनुज्ञा न दे दे।"

यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है और तीन दिन पूरे नहीं हुये हैं और आज दूसरा दिन है इसलिये आज यह नहीं लिया जा सकता है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---तीन दिन के करीब हो गये है। अगर टेक्निकली कुछ कमी है, तो मेरी प्रर्थना है उसे वेव (निरस्त) कर दिया जाय।

अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि इस बिल की प्रतियाँ तीन तारीख को सदस्यों के सामने रख दी गई थीं और आज ५ तारीख हैं अर्थात तीसरा दिन होता है। तो नियम के अनुसार जो आपकी आपत्ति है वह ठीक है लेकिन जो अधिकार अध्वक्ष को है उसके अनुसार मैं इसके पेश करने की इजाज़त देता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी---(जिला नैनाताल) चूंकि यह टैक्निकल और रफाइनन्शियल मेजर विषयक कानून वित्त है इसमें गवर्नर महोदय की सिफारिश का होना आवश्यक था। जब एन्टरटेन- मेंट ऐण्ड बैटिंग टैक्स हमारे सामने आया था उसमें उद्देश्य और कारणों में गवर्नर महोदय की सिफारिश साफ छपी हुई थी और विधान क अनुसार गवर्नर महोदय की सिफारिश का होना आवश्यक है। जब माननीय गृह मन्त्री ने इस प्रस्तुत किया तो उस समय भी उन्होंने यह नहीं कहा कि गवर्नर महोदय की सिफारिश से मैं इसे पेश करता हूं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---यह उसी मानी में टैक्सेशन मेजर है जिस मानी में ऐक्ट स्टैम्प टैक्सेशन मेजर था। ऐसा मानना चाहिये कि गवर्नर महोदय की स्वीकृत इसके साथ है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, कुछ और कार्य सदन के सामने है। शार्ट नोटिस क्वेश्चंस के, बारे में आज तक फैसला नहीं हुआ उसी को ले लीजिये।

अधिष्ठाता---मैंने दफ्तर से दरियाफ्त कराया है कि गवर्नर महोदय की सिफारिश आ गई है या नहीं। (कुछ समय पश्चात) मुझे अपने दफ्तर से सूचना मिली है कि गवर्नर महोदय की स्वीकृत आ चुकी है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---चेयरमैन महोदय, मेरी अर्ज यह है कि इस बिल में माननीय सदस्यों की सूचना के लिये छपना आवश्यक था।

अधिष्ठाता---इसकी आवश्यकता नहीं है।

डाक्टर सम्पूर्णानद---अध्यक्ष महोदय, यह बिल बहुत सीधा-सादा है परन्तु ऐसा मैं समझ सकता हूं कि इसके संबंध में भी उसी प्रकार के शायद बहुत से सैद्धांतिक प्रश्न उठाये जा सकते हैं और शायद उठें जैसे कि स्टाम्प वाले विधेयक के संबंध में उठाये गये। कम से कम श्रीगणेश से तो ऐसा ही अनुमान होता है। बहरहाल बिल का जो उद्देश्य है वह स्पष्ट है।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

प्रादेशिक सरकार पर, इस सदन पर, यह जिम्मेदारी है कि उन सब कामों को चलाया जाय जिनका कि जनता के प्रति दिन के जीवन से बड़ा गहरा संबंध हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवहन, चाहे स्वास्थ्य की उन्नति का सवाल हो, इन सब चीजों की जिम्मेदारी प्रादेशिक सरकार पर है। इसके लिये कहीं न कहीं से साधन चाहिये और यह भी स्पष्ट बात है कि प्रादेशिक सरकार के जो आमदनी के जराये हैं वे बहुत ही सीमित हैं क्योंकि हमारे पास वे साधन नहीं है जिनका फैलाव आसानी से हो सके, ऐसे साधन तो केन्द्रीय सरकार के पास हैं। इसलिये हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उन सब जरायों से काम लें जिनसे प्रादेशिक आमदनी बढ़ाई जा सके। हां, एक बात का ख्याल जरूर रखना होगा। आमदनी के जरायों को बढ़ाने के साथ ही इस बात का भी ख्याल रक्खा जाय कि लोगों पर अनुचित बोझ न पड़ता हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में इस दोनों बातों का पूरे तौर से ध्यान रक्खा गया है। निश्चय ही इसके जरिये से यदि यह स्वीकृत हो गया आमदनी बढ़ेगी, जो इस साल ५४ लाख की है, इस विधेयक के जरिये से ३०-३२ लाख और वृद्धि हो जायगी। साथ ही ऐसा विश्वास है कि इससे किसी के ऊपर ऐसा बोझ न पड़ेगा। मैं बहुत से आंकड़े देना नहीं चाहता। उसमें झगड़े का डर है। मैं यह कहना शुरू करूं कि मद्रास, बिहार और बम्बई में क्या हुआ, मैं इस किस्म के आंकड़े पेश करके उनका जवाब देने का प्रलोभन सामने बैठे हुये माननीय सदस्यों को नहीं देना चाहता। केवल एक बात का जिक्र कर देना चाहता हूं कि अभी दो साल हुये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने मोटर वेहिकिल्स टैक्सेशन इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी। उसमें कुछ सुझाव दिये हैं और मैं इतना ही बतलाना चाहता हूं कि उसके सुझाव में और जो बातें हमने रक्खी हैं दोनों में कोई अन्तर नहीं है। मसलन जो प्राइवेट मोटर हैं उनका टैक्स इस समय छोटी मोटर का ४५ रुपया पड़ता है और बड़ी का ६० रुपया पड़ता है। अब हमने जो प्रस्ताव रक्खा है यदि वह स्वीकार हो गया तो वह ५६ रुपया ४ आना छोटी मोटर पर पड़ेगा और ७५ रु० या बड़ी मोटर पर पड़ेगा यानी २५ प्रतिशत बढ़ाने की बात हमने रखी है। लेकिन उस कमेटी की सिफारिश के हिसाब से छोटी मोटर पर १५० रुपया और बड़ी मोटर पर २०० रुपया होना चाहिये था। इस तरीके पर टैक्सी जो है उनके लिये हमने जो प्रस्ताव रखा है वह ५० फीसदी बढ़ाने का है और उस हिसाब से ११२ रुपया ८ आना होगा। उस कमेटी के हिसाब से ३०० रुपया होना चाहिये था। बसेज के ऊपर हमारा प्रस्ताव बढ़ाने का यह है ५४० रुपया ४५० रुपया और ३७५ रुपया। इस प्रकार से ए० बी० सी० क्लास हमने रखी हैं। उस कमेटी के हिसाब से २,२८० रुपया उनका टैक्स होना चाहिये था और अन्त में जो ट्रक सामान ढोने वाले हैं उनके लिये हमारा प्रस्ताव ७५ फीसदी बढ़ाने का है और इस ७५ फीसदी बढाने से ६७८ रुपया ५ आना ४ पाई होता है और उस कमेटी के हिसाब से ८१० रुपया होना चाहिये था। उस कमेटी के अन्दर गवर्नमेंट आफ इंडिया के कई सज्जन थे और उस कमेटी ने सारे देश का दौरा किया था और देश में जहां पर टैक्स लगे हैं उनको भी देखा और लोगों की टैक्स देने की क्षमता को भी उन्होंने देखा था और यह सब देख कर उसने यह सिफारिश की थी। हम उनकी अपेक्षा बहुत कम टैक्स बढ़ाने जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं इसको आप देखें और उदाहरण के लिये जहां बसेज की बात है उसमें ३६० के स्थान पर ५४० हो गया है। उसमें १८० रुपया बढ़ा है। यानी वह १५ रुपया महीना बढ़ा। १५ रुपया महीना बसेज के ऊपर बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है। वह ८ आना रोज पड़ता है बसेज के अन्दर इतने मुसाफिर बैठते हैं कि उसमें ८ आना की वृद्धि में कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। आजकल सभी चीजों का खर्चा बढ़ गया है। सड़क के बनाने में भी मजदूरी ज्यादा लगती है। इन सब बातों को देखते हुये जो हमने प्रस्ताव किया है वह बहुत अधिक नहीं है और मैं आशा करता हूं कि सदन इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—माननीय चेयरमैन महोदय, मैं चाहता तो था कि माननीय गृह मंत्री द्वारा माननीय परिवाहन मंत्री के स्थान पर जो मोटर वेहिकिल्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं समर्थन करता क्यों कि वह माननीय गृह मंत्री ने रखा

है लेकिन जब मैं उनके व्यक्तित्व और उनकी नीति के संबंध में यहां पर सामन्जस्य अपने दृष्टि-कोण से नहीं कर पाता तो मुझे अपने दृश्टिकोण से और जनता के दृष्टिकोण से इस बिल में जो टैक्स का प्रपोजल (प्रस्ताव) है उसका सख्त विरोध करने के लिये मजबूर होना पड़ता है। जैसा कि हमारे विरोधी दल की ओर से बार-बार कहा जा चुका है कि सरकार ने बजट के अधिवेशन में साढ़े चार करोड़ रुपये का डेफिसिट (कमी) पूरा करने के लिये जो टैक्स बढ़ाने की हमारे प्रदेश की निम्नवर्ग की जनता पर बोझा डालने की शुरुआत की वह इस प्रदेश के भविष्य के लिये कोई बहुत उत्तम साबित नहीं होगी। हमारे विरोधी दल के दफ्तर में बजट अधिवेशन के बाद से निरन्तर चिट्ठियां आरही हैं। वह लोगों की चिट्ठियां बतलाती हैं कि आज जनता इन टैक्सेज की वजह से कितनी अधिक नाराज है। आज भी हम देखते हैं कि कानपुर जैसे बड़े शहर के व्यापारी वर्ग और तमाम छोटे वर्ग के कर्मचारी सब इस प्रकार के मोटर वेहिकिल्स के टैक्स का विरोध कर रहे हैं। हमारी सोशलिस्ट पार्टी के पास यह मांग आयी है कि हम बम्बई की तरह से एक सिरे से संगठित हो कर इन टैक्सेज का मुकाबला करें और सरकार को मजबूर करें कि वह इस प्रकार के प्रस्ताव को वापस ले। हमारी पार्टी इस समय विषय पर बहुत गम्भीरता पूर्वक विचार कर रही है। अगर सरकार ने इस प्रकार के प्रस्तावों को हमारे सामने लाना जारी रखा और इस प्रकार के टैक्सों को लाने का प्रयत्न न रोका तो यह सम्भव है कि हम लोग शीघ्र ही क़दम उठावें और जनता की जो मांग है उसको पूरा करें। जहां तक मोटर वेहिकिल्स टैक्स का सवाल है एक कमेटी का जिक्र माननीय गृह मंत्री ने किया कि टैक्सेशन बढ़ाया जाय और जितने टैक्स बढ़ाने को कमेटी ने कहा था उतने हमने नहीं बढ़ाये हैं। लेकिन मैं एक दूसरी कमेटी की रिपोर्ट माननीय गृह मंत्री के और माननीय सदस्यों के सामने पेश करना चाहता हूं। यह कमेटी यू० पी० सरकार ने बनाई थी और वह इसलिये बनाई थी कि वह तरीक़े सजेस्ट करे जिनसे हमारे सूबे की आमदनी बढ़े जिसके द्वारा विकास और निर्माण-कार्य हो सकें। उस एकनामी इनश्योरेंस रिसोर्सेज इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है। उस कमेटी के सामने यह भी सवाल था कि मोटर वेहिकिल्स टैक्स बढ़ाया जाय या नहीं। उस कमेटी ने जो सिफारिश की थी वह मैं आपके और माननीय उदस्यों के सामने प्रस्तुत करता हूं। उसके पेज ४७ पर पैराग्राफ ८ में कहा गया है कि—

"The receipts under the Motor Vehicles Taxation Act : Owing to the increase in the number of vehicles, the receipts under the U. P. Motor Vehicles Taxation Act and the Indian Motor Vehicles Act are increasing. As compared with the income of Rs. 32 lakhs in 1947-48, the income from this source is expected to amount to Rs. 36 lakhs in 1949-50. Owing to the increase in the prices of motor vehicles and increase in the pay of drivers and the price of spare parts, government servants and other private owners of motor cars are finding it increasingly difficult to own and maintain motor cars. In view of the above and other consideration, the Committee is of the opinion that for the time the increase in licence and registration fees on motor vehicles and other taxation proposals should not be considered."

[मोटर शकट कर अधिनियम के अन्तर्गत आय—

शकटों की संख्या बढ़ जाने के कारण, उत्तर प्रदेश मोटर शकट कर अधि-नियम और भारतीय मोटर शकट अधिनियम के अन्तर्गत होने वाली आय में वृद्धि हो रही है। १९४७–४८ में प्राप्त ३२ लाख रुपये की आय के मुकाबले में इस साधन से १९४९–५० में ३६ लाख रुपये की आय प्रत्याशित है। मोटर शकटों के मूल्य में, चालकों के वेतन में तथा फुटकर पुर्जों के दामों में वृद्धि हो जाने से सरकारी नौकरों और निजी मोटरें रखने वालों को मोटरें रखने और उनका रख-रखाव करने में दिन प्रतिदिन कठिनाई पड़ रही है। उपर्युक्त बातों से तथा अन्य कारणों से, समिति की यह राय है कि

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

मोटर शकटों के निबन्धन (रजिस्ट्रेशन) तथा लाइसेंस के शुल्क की वृद्धि के तथा करारोपण के अन्य प्रस्तावों पर इस समय विचार नहीं करना चाहिये ।]

तो इस तरह से एक कमेटी की सिफ़ारिश भी हमारे सामने प्रस्तुत है। यह कमेटी हमारी यू० पी० सरकार की ही थी और इसी माननीय सदन ने इसको नियुक्त किया था। जब यह राय इस टैक्स के बारे में आप की ही इस कमेटी की स्पष्ट थी तो सिर्फ़ आज एक ही कारण बतलाया जा सकता है जैसा कि इसके उद्देश्य और कारणों में कहा गया है कि "अब ऐसी अवस्था आ गई है जब कि यह आवश्यक प्रतीत होता है कि टैक्सों की दरों में कुछ वृद्धि की जाय जिससे कि सड़कों के बनाने और मरम्मत करने के बढ़े हुये खर्च को पूरा किया जा सके। "मैं समझता हूं कि इस टैक्स को बढ़ाने का सिर्फ इतना ही कारण यहां दिया गया है। यदि हम इसको भी मान लें कि यह बहुत उत्तम है क्योंकि आप सड़कें बनाना चाहते हैं और उनकी मरम्मत कराना चाहते हैं इसलिये यह टैक्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले साल के बजट प्रोपोज़ल को और उससे पहले दो तीन साल के बजट प्रोपोज़ल्स को इस साल के बजट प्रोपोज़ल से मिलावें तो आपको मालूम होगा कि पिछले साल रोड ग्रांट (सड़क अनुदान) के लिये जो रुपया रखा गया है वह पहले से कम है। मैं रेहन्ड-डैम या दूसरी चीजों की बात नहीं कहता, अगर केवल सड़कों की ही बात को लिया जाय तो बजट के आंकड़ों से यह बात साबित नहीं होती कि सड़कों पर आप अधिक व्यय करना चाहते हैं। आपको सेंट्रल रोड फंड से भी रुपया मिलता है। बजट अधिवेशन के मौके पर भी यह बात हुई थी कि टैक्सेशन के प्रस्तावों को उस समय तक रोका जाय जब तक फ़ाइनेंन्स कमीशन की रिपोर्ट नहीं आ जाती कि कितना रुपया आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाला है। हमारी सरकार ने अपने विचार फाइनेंन्स कमीशन के सामने रखे थे और कहा था कि हमें इनकम टैक्स में से आबादी के हिसाब से हिस्सा मिलना चाहिये और हमें उम्मीद भी है कि सवा १६ करोड़ के करीब हमें मिल जायगा। मुमकिन है और ज्यादा मिल जाय। अभी नहीं कहा जा सकता कि कितना मिलेगा लेकिन अगर सरकार अभी रुकती तो यह साढ़े ४ करोड़ का घाटा इनकम टैक्स के हिस्से से पूरा हो जाता और यदि फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट आ जाती और उससे हमारी मांग पूरी नहीं होती तो टैक्स के प्रोपोज़ल्स लाये जा सकते थे। लेकिन क्या कहूं मजबूर होना पड़ता है कहने के लिये कि हमारी सरकार को जल्दी थी कि टैक्स लगाये। आज इस मोटर वेहिकिल्स टैक्स को यह कह कर लगाया जा रहा है कि हमें सड़कों की मरम्मत करनी है और नयी सड़कें बनानी है। यह ठीक है कि पहले और दूसरे फ़ेज़ के अनुसार आपका सड़कें बनाने का प्रोग्राम है। लेकिन जहां तक इस साल के बजट का सम्बन्ध है उसे अगर हम देखें और पिछले साल के बजट से तुलना करें तो हमें यह नहीं दिखाई देता कि हम सड़कों के निर्माण के लिये कोई इतनी बड़ी तेज़ी करने जा रहे हैं कि बिना तुरन्त टैक्स लगाये काम नहीं चल सकता है। मुझे कुछ आंकड़े देने पड़ेंगे चूंकि दूसरे प्रान्तों की तुलना की जाती है तो मैं भी मजबूर हो जाता हूं कि अपनी राय को ज़रा और ठीक ढंग से रखने की कोशिश करूं। माननीय सदस्यों को बड़ा आश्चर्य होगा जब वे देखेंगे कि किस अनुपात से यह टैक्स लगाया जा रहा है। इस बिल के पेज तीन में जो सैकिन्ड आइटम है कार वग़ैरह के लिये--

"Vehicles constructed and used solely for the conveyance of passengers and light personal luggage.

[केवल मुसाफिरों के या व्यक्तिगत हलके सामान के परिवाहनार्थ निर्मित तथा प्रयुक्त शकट]

यानी जो कार बड़े-बड़े आदमी ही ख़रीद सकते हैं इनके लिये कितना टैक्स बढ़ाया जा रहा है, १/४, सारा आप मिला लीजिये। एक सेक्शन है वेहिकिल्स अदर दैन ट्रांसपोर्ट वेहिकिल्स (परिवहन शकटों के अतिरिक्त अन्य शकट) तो जितने भी रेट्स रखे गये हैं पुराने शैड्यूल के मुकाबले में वह १/४ बढ़ाये गये हैं। इसमें साइकिलें आजाती हैं, ठीक है। जैसा इसमें लिखा है, पहले ३० रु० था और अब साढ़े ३७ रु० होगा, ४५ के सवा ५६ होंगे और ६० का ७५ होगा। ये कार के लिये है। लेकिन सवारी बसों के लिये जिनमें साधारण लोग बैठते हैं और जहां माननीय मंत्री जी कहते हैं कि ८ आने रोज पड़ेगा, वहां पहले से १/२ बढ़ा दिया गया है। यानी कारों के लिये तो केवल १/४ और सवारी बस के लिये आधा। तो यह अनुपात कैसा? माननीय मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इसे साफ नहीं किया। अब जरा और आगे चलिये। आजकल आप जानते हैं कि गन्ने का काश्तकार या आलूवाला ठेले का प्रयोग करता है। उसमें हमारी सरकार ने किराया ३/४ बढ़ाया है। माननीय सदस्य देखेंगे कि बिल के चौथे पेज में जो छठा आइटम है उसमें जब कि पहले १६० रु० था अब उसका २८० १४४ का २५२ और १२९ का पौने २२५ रु० होने वाला है। अब जरा माननीय मंत्री जी सोचें और बतावें कि इससे किसको नुक़सान होगा। क्या यह डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) नहीं है? कहीं आपने चौथाई बढ़ाया है, कहीं आधा बढ़ाया है और कहीं तीन चौथाई बढ़ा दिया है। और कुछ मामले तो ऐसे हैं जिनमें तीन चौथाई से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कुछ में ९० प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। यदि आप पृष्ठ ४ को देखें तो उसमें ५वें आयटम में ९० फीसदी की इंक्रीज की गई है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें आपने कोई यूनिफार्मीटी नहीं बरती है और यह भी नहीं देखा गया है कि आखिर यह बोझ किसके ऊपर पड़ेगा। प्राइवेट ओनर जो उसको अपने इस्तेमाल के लिये लेता है वहां प्रतिशत आधा है।

अधिष्ठाता--माननीय सदस्य केवल सिद्धान्त पर बहस करें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--मैं यह साबित करना चाहता था कि डिस्क्रिमिनेशन है और वह किस तरह से है। अगर मैं यह न बताता तो सरकार यह कहती कि कोई सब्स्टैंशियल (वास्तविक) मिसाल तो मैंने दी ही नहीं केवल यूं ही कह दिया। इसलिये मैं संक्षेप में कहूंगा, लेकिन इसके लिये मुझे आज्ञा दी जाय।

अधिष्ठाता--आप अपनी बहस संक्षेप में जारी रखिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूप से दरों को बढ़ाया गया है।

अब जहां तक और प्रान्तों का सवाल है हम बम्बई की ही मिसाल को ले लेते हैं। जब कि हम अपने यहां ३६ रु० ४ आना करने जा रहे हैं बम्बई में केवल २४ रुपया है और बिहार में १५, २० और २५ रुपया है। अब अगर आप पैसेंजर बसेज को लेते हैं तो आपको और भी आश्चर्य होगा। उनमें पहले १५ हंडरवेट पर हमारे यहां २८० रुपया रखा गया है जब कि बम्बई में केवल १५० रुपया रखा गया है। उसके बाद १५० हंडरवेट पर जब कि बम्बई में १५० रुपया है हमारे यहां उसका ठीक दूना रखा गया है। और भी छोटे-छोटे प्रान्त हैं जहां इससे भी बहुत कम दरें हैं। अगर आप उनको चाहेंगे तो मैं जब संशोधन उपस्थित करूंगा तब उनको भी पेश करूंगा। इस समय तो केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हम और टैक्सेज लगाते समय बम्बई और मद्रास की बातें करते हैं क्योंकि वहां हमारा मतलब उससे पूरा हो जाता है लेकिन जब हमारा मतलब दूसरे प्रान्तों की मिसाल देकर पूरा नहीं होता तो हम उनकी

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

मिसाल नहीं देते। मेरा तो निवेदन यह है कि और प्रान्तों के पास भी तो योजनायें हैं, वे भी तो पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण-कार्य करने जा रहे हैं। उन्हें भी तो सड़कों की मरम्मत करना है, उन्हें भी तो नई सड़कें बनाना है, वहां भी दो कांग्रेस सरकार ही है। किसी दूसरी पार्टी की सरकार नहीं है, लेकिन वहां तो इतनी तेजी के साथ टैक्स नहीं बढ़ाये जा रहे हैं, उन्हें ऐसा जोश तो चढ़ा हुआ नहीं है जो मोटर वेहिकिल्स जैसे टैक्सेज को लगायें। तो मेरा निवेदन यह है कि हमारी सरकार इन टैक्सेशन के प्रस्तावों को लाने के पहले दस बार सोचे। अब मान लिया जाय मैं एक समस्या सरकार के सामने पेश करूं कि फायनेंस कमीशन इनकम-टैक्स पूल में से हमको ज्यादा रुपया दे दे यानी हमको ४/५ करोड़ रुपये ज्यादा मिल जायं तो फिर अगले साल क्या बजट में ६ या ७ करोड़ का सरप्लस दिखलाया जायगा और क्या सरप्लस इकट्ठा करने के लिये यह किया जायगा जैसा कि खबरों से मालूम होता है और और बातों से मालूम पड़ता है कि फायनेंस कमीशन हमारी यू० पी० की सरकार के प्रस्तावों को मान ले और करोड़ों रुपया हमको दे तो यह डेफिसिट वाइप आउट (अभाव निरस्त) हो जायगा तो फिर क्या जरूरत है टैक्स लगाने की, हम सरप्लस दिखलाने के लिये टैक्स तो लगा नहीं रहे है। मैं एक सवाल और सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप ठेलों पर ३/४ बढ़ा रहे हैं और पैसेंजर बसेज पर डयोढ़ा कर रहे हैं तो जब मोटर ओनर्स आपके पास आयेंगे या ठेले वाले आपके पास आयेंगे। और कहेंगे तब क्या आप इस बात की आज्ञा उनको देंगे कि वह लोग इस टैक्स को देने के लिये पैसेंजरों पर किराया बढ़ावें या ठेले-वाले किराया ज्यादा लें यह प्रश्न जिसका जवाब सरकार को देना चाहिये और मैं समझता हूं कि वह अवश्य देंगे और अगर कहीं सरकार ने यह फैसला किया कि अब किराये की दरें नहीं बढ़ाई जायेंगी तो उसका क्या असर पड़ेगा जब कि सरकार अभी ट्रांसपोर्ट के बारे में साफ नहीं है और यह समझती है कि रोडवेज को न बढ़ाया जावे बल्कि उसको कन्सालिडेट (एकीकरण) करना है और बाकी बचे हुये जो रास्ते हैं उनको प्राइवेट ओनर्स के पास छोड़ना है और दोनों ही एजेंसियां रखनी हैं और जब सरकार इस बात की जिम्मेदारी अपने उपर नहीं लेना चाहती कि सारे प्रदेश के यातायात का प्रबन्ध अपने हाथ में ले तो फिर उनकी दिक्कतों को प्राइवेट ओनर्स की दिक्कतों का आपको ख्याल करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी कहेंगे कि हम ८ आने के हिसाब से बढ़ा रहे है, लेकिन मोटर ओनर्स आकर आपको ऐसे हिसाब बतायेंगे कि १० रुपया रोजाना उनको ज्यादा पड़ता है और वह कहेंगे कि लाजिमी है कि उनको दो पैसे फी पैसेंजर बढ़ाने की इजाजत दी जाये और जिस समय सरकार के सामने आयेंगे उस समय क्या सरकार के सामने मजबूरी नहीं होगी? क्या उस समय जो हमारे गरीब किसान भाई है, जो पैसेन्जर्स हैं उनके किराये की दरें नहीं बढ़ेंगी। फिर सरकार के सामने इसके लिये क्या आरगूमेंट होगा जब कि रोडवेज के किराये की दर को बढ़ाना चाहती है तो क्या उन्हें ही पेट्रोल के ज्यादा दाम होने पर और टैक्स के बढ़ने पर उनको इजाजत क्यों नहीं दी जायेगी। यह सरकार के सामने समस्या आ जायेगी और बिना इन समस्याओं का समाधान किये हुये किसी प्रकार की जल्दबाजी में इन टैक्सेशन के प्रस्तावों को लाना मैं समझता हूं जनता के हितों के विरुद्ध है, हमारे स्वीकृत सिद्धान्तों के विरुद्ध है, प्रजातांत्रिक और अर्थतांत्रिक प्रणालियों के विरुद्ध है जिनको हम समय-समय पर स्वीकार करते आये हैं और जिनकी घोषणा करते आये है। इन शब्दों के साथ मैं फिर माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह जो जल्दबाजी की नीति है उसको छोड़ कर उस समय तक के लिये इन्तिजार करें जब तक कि फायनेंस कमीशन की रिपोर्ट न आ जाय और हमको मालूम हो जाय कि कितना रुपया हमको मिलेगा तब तक

के लिये इस विधेयक को वे रोकें और उसके बाद जब उनकी मांग पूरी हो जायगी और इन्कमटैक्स पूल में से काफी रुपया मिल जायगा इस विधेयक को वापस लेने की कृपा करेंगे। और तभी हमारी प्रान्त की जनता को संतोष होगा कि हमारी सरकार वास्तव में कुछ ऐसे कार्य करने वाली है निर्माण के, जो कि जनता की जेबों को देखते हुए, जनता की देने की ताकत को देखते हुए, सरकार उस पर बोझ डालती है। तभी जनता और इस माननीय सदन के सदस्यों को विश्वास हो पायेगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—सभापति महोदय, अभी जो विधेयक हमारे भवन के सामने मंत्री जी ने पेश किया है उसके विरोध में मैं खड़ा हुआ हूं। मंत्री जी ने अपने भाषण में यह स्वयं माना है कि जब हम यह समझें कि जिसके ऊपर यह बोझ डालने जा रहे हैं वह उस बोझ को सम्हाल न सकेगा तो हमको ऐसा टैक्सेशन नहीं लगाना चाहिये। मैं आपके जरिये सरकार को यह बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से सरकार की ओर से मंत्री जी ने एक कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर सुनायी, उसके उत्तर में हमारे माननीय सदस्य तिवारी जी ने एक सरकारी रिपोर्ट पढ़ कर सुनायी। दोनों के विचार भिन्न-भिन्न हैं। सरकार जिनके ऊपर यह टैक्स लगा रही है उन में इस बोझ को सम्हालने की शक्ति नहीं है।

अभी तक सरकार को ५६ लाख रुपये मोटर वेहिकिल्स पर टैक्स के रूप में मिलते थे। नये टैक्स से ३० लाख रुपया और बढ़ाने जा रही है। मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि यह उद्योग हमारे रेफ्यूजी भाइयों ने ज्यादातर अपनाया है। उनकी जो हालत है वह सब सदस्यों को विदित है। उन्होंने अभी नया-नया कार्य किया है। और वह इस के जरिये से अपनी रोजी कमाते हैं। अब अगर आप उनके ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं तो एक तरीके से उन पर बहुत बड़ा बोझ पड़ जायगा। उधर आप चाहते हैं कि अन्न का उत्पादन बढ़े और हम बिल में देखते हैं कि जो ऐग्रीकल्चर में ट्रक या लारी काम आएंगी, उनके ऊपर टैक्स रखा है। तो जो फार्म करने वाले हैं उनकी ट्रकों पर भी कर बढ़ जायगा।

इन सब बातों को देखते हुये मैं यह समझता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और इसको सोचे कि जिनके ऊपर यह टैक्स लगाने जा रहे हैं वह इस बोझ को सह पायेंगे या नहीं। ३० लाख रुपया कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे मंत्री जी यह कहें कि इससे प्रान्त में कोई बहुत बड़ा निर्माण का कार्य हो जायगा या बहुत बड़ी तरक्की का जरिया पैदा हो जायगा। यह तो ऐसी चीज है कि जब कभी आप जरूरी समझें, जब कहीं से कोई चीज न निकले, तब आप इन चीजों को लाइये। आप अभी नये-नये टैक्स लाने वाले हैं जो कि सरकार लगायेगी। और उसके लिये सरकार का यह कहना कि उद्योग-धंधों के लिये विकास करने के लिये हम नये टैक्स लगा रहे हैं। अभी हमने देखा कि पांच-छः दिन के अन्दर सरकार ने क़रीब एक करोड़ रुपये के टैक्स लगा दिये और बराबर हम लोगों की तरफ से कहा गया लेकिन आप एक ही दलील देते हैं कि विकास के लिये चाहिये। मैं, श्रीमन्, आप के जरिये से कहना चाहता हूं कि एक भी विकास कार्य सफलीभूत हो तो हम खुशी से टैक्सेशन देने को तैयार हैं। जो हो रहा है उसको हम लोग मानते हैं। जो प्रत्यक्ष है उस में सब लोग देने को तैयार हैं। लेकिन जो चीज भविष्य में होने वाली है उसके लिये मैं अदब से कहूंगा कि लोगों में बड़ी घबराहट और परेशानी है। जैसा कि एक सदस्य ने कहा लोग परेशान हैं इस बात से कि सरकार की यह नीति हो गयी है कि किसी तरह से टैक्स बढ़ा कर विकास के नाम से रुपया इकट्ठा करें। उन लोगों पर इतना बोझ लगा दिया जाय कि वह उसी को उठा ही न सकें। वह आदमी इतना जर्जर हो जाय कि वह खड़ा होने के लायक़ न रहे। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह भी देखिये कि हमारे मंत्री जी ने बड़े सुन्दर शब्दों में कहा कि जहां बोझ नहीं सह सकें

वहां नहीं करेंगे। आज मैं यह बतला देना चाहता हूं कि मिडिल क्लास वालों के लिये मोटर आज लगजरी नहीं है नेसेसिटी है। आज मोटर का किराया जो तांगे पर आज लोग घूमते हैं उनको देना पड़ता है वह मोटर से बहुत ज्यादा पड़ता है। तो आप मोटरों का टैक्स बढ़ाकर मिडिल क्लास के ऊपर इतना बोझ लाद रहे हैं कि आपका फायदा नहीं होगा। १०-१२ रुपये में आप यह भी देखिये कि ड्राइवरों की तनख्वाह, रोजाना के टैक्सेज, रिपेयर्स में देखिये कि कम्पनियों ने कितना रेट बढ़ा रखा है। तो इतना बोझ बढ़ जायगा तो किसी हालत में भी वह न दे सकेंगे और एक दिन वह आयेगा कि सरकार के प्रति जो घोर असंतोष हो ता जाता है वह और बढ़ जायगा। आप को सोचना चाहिये कि आप ऐसा काम न करें जिससे आप की बदनामी हो और जिसका बुरा असर पड़े। अब मोटर का आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं तो लोगों की निगाह हो गई कि इस धंधे को खुद ले ले इसलिये दूसरे इसको न कर सकें तो सरकार अब यह कर रही है कि टैक्सेज बढ़ाओ। वह सब छोड़ कर भाग जायंगे। तो ये छोटे-छोटे मोटर चलाने वाले या टैक्सी चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले उनको यहां इतनी आमदनी नहीं है। यहां बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, जैसी बिजनेस नहीं है। यहां जो थोड़ा बहुत फायदा होता है उसको अगर टैक्स के जरिये से ले लेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उनके ऊपर बड़ा जुल्म करेंगे। मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—माननीय चेयरमैन महोदय, इस प्रस्ताव का जो विरोध मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने किया और श्री राजा वीरेन्द्र शाह साहब ने किया, उसके संबंध में मेरा निश्चित मत है कि भ्रान्ति अधिक है और तथ्यों पर ध्यान कम है। जहां तक रोड ट्रांस्पोर्ट का संबंध है, उस दिशा में सड़कों की आवश्यकता है। नई सड़क बनें, पुरानी सड़कों की दशा अच्छी हो और वह हमारे नित्य के जीवन में नई उन्नति ला सकें, इससे शायद कोई भी एतराज नहीं करेगा। सड़कें हमारे राष्ट्रीय जीवन में वही कार्य करती हैं जो कि शरीर में शिराओं का कार्य है। सारी खाद्य सामग्री और नित्य के व्यवहार की सामग्री सड़कों द्वारा चलती है और यदि किसी राष्ट्र के पास सड़कें नहीं होती तो वह कितना दुर्दशाग्रस्त और कितना पिछड़ा हुआ राष्ट्र होगा इसका अनुमान सीधेतौर पर लगाया जा सकता है। इन सड़कों के संबंध में जो नीति सरकार की रही उससे यह सारा सदन परिचित है और उसी नीति के अनुसार कुछ टैक्स लिये जाते हैं। उन टैक्सेज के द्वारा उनकी सड़कों का निर्माण, क्योंकि टैक्सेशन से तो काम नहीं चलता, लेकिन वह जो निर्माण कार्यों में जो थोड़ा बहुत धन जाता है वह थोड़े से टैक्सेशन द्वारा भी सम्मिलित होता रहे और उसके अतिरिक्त पुरानी सड़कें जिस प्रकार से आज प्रदेश में देखी जाती हैं उनकी मरम्मत और उनको ठीक ढंग पर लाना यह भी इन टैक्सों के द्वारा होता है।

मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने यू० पी० इकोनामी, इंश्योरेंस एंड रिसोर्सेज कमेटी को रिपोर्ट का हवाला दिया। मैं उनसे यह कहना चाहता हूं कि यह रिपोर्ट तो बहुत सी चीजों को लेकर तैयार की गयी और जिस समय यह रिपोर्ट तैयार की गयी उस समय बहुत सी चीजों का ध्यान नहीं रखा जा सकता, क्यों कि उसका विषय तो बहुत विस्तृत था और क्योंकि यह सड़कों का और ट्रांस्पोर्ट का विषय उसमें सम्मिलित नहीं था। दूसरी रिपोर्ट माननीय मंत्री महोदय ने यहां पढ़ी और उसमें जो टैक्सेशन प्रोपोजल्स हैं उनसे यह टैक्स कम हैं यह बात शायद माननीय नारायण दत्त जी को भी स्वीकार है। एक बहुत विचित्र उनका तर्क रहा है कि फ़ाइनेन्स कमेटी की रिपोर्ट का तब तक इन्तजार किया जाय जब तक कि वह रिपोर्ट आ न जाय, यदि इन्कम टैक्स पूल से कुछ रुपया इस प्रदेश को मिल जाय तो ये टैक्स न लगाये जायं। मैं नहीं समझता कि उनके कहने क्या मतलब है यदि उनके कहने का यह मतलब है कि जब तक रिपोर्ट न आये तब तक हम रुके रहें तो यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। आवश्यकता सड़कों को ठीक करने की आज है और इन्तजार करते रहें फ़ाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट का और वह रिपोर्ट क्या हो, अन्त में यदि फिर कुछ बात आयी तो फिर असेम्बली बुलायी जाय, फिर दोबारा विधेयक बने, श्री नारायण दत्त जी और मैं, दोनों आ कर दोबारा

उस पर बहस करें और तब तक सड़कों की क्या दशा हो, इसको नारायण दत्त जी ही विचार कर सकेंगे । हां, एक जो उनका तर्क है शायद वह मुझसे सहमत हो जायं और उस तर्क को वापस ले लें । आप का कहना यह है कि प्राइवेट मोटर कार्स और उनके अलावा जो ये बसेज या ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज चलती हैं उनमें जो असामन्जस्य है, यानी पहले तो चौथाई, उसके बाद में ५० फीसदी , यानी आधा और ट्रांसपोर्ट वेहिकिल्स पर तीन चौथाई लगाया गया है यह दूर होना चाहिये । मैं समझता हूं कि यदि आप उसके न्याय को विचारें तो शायद आप भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जिस पर कि माननीय मंत्री जी पहुंचे हैं । चाहे कितना ही बड़ा आदमी मोटर रखता हो उसका टैक्स केवल एक आदमी को देना पड़ेगा और वह मोटर जिसमें १०० आदमी या ७५ आदमी चलते हैं उसका अनुपात अगर लगाया जाय तो ५० आदमी आठ आठ आना टैक्स देंगे और एक आदमी ३७ रुपये टैक्स या और भी कुछ अधिक देगा । तो यदि इस प्रकार से अनुपात को लगाया जाय तो शायद इसके न्याय को वह स्वयं समझ सकेंगे और विचार कर सकेंगे कि इसके पीछे कितनी ग़लतफ़हमी स्वयं उनके मस्तिष्क में है। यदि इसके संबंध में दूसरे रूप से यह कहा जाय कि यह जो एक आदमी है वह बहुत आदमी है और उसके पास जो कुछ है वह सब राज्य को छीन लेना चाहिये तो इसका उत्तर तो श्री वीरेन्द्रशाह जी ने दे दिया । उन्होंने बताया कि नहीं, यह बात नहीं है कि केवल बड़े आदमियों के पास ही मोटर हो बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों के पास भी है जो मोटर को आवश्यक समझकर काम में लाते हैं। श्री वीरेन्द्र शाह जी का कहना कुछ मानों में ठीक भी है । बहुत से डाक्टर, बहुत से वकील और दूसरे किस्म के लोग जिनको मोटर आवश्यकता के रूप में रखनी पड़ती है वे भी मोटर का प्रयोग करते हैं। और मोटर आज के दिन किसी भी प्रकार से लक्जरी की चीज नहीं है, यह मैं स्वीकार करता हूं । कुछ लोगों के लिये है बाक़ी लोगों के लिये नहीं है। जिन लोगों के लिये नहीं है वह मध्यम वर्ग के व्यक्ति हैं। अगर सारा बोझा उनके ऊपर लाद दिया जाय तो कहां तक उचित होगा और अगर इतना हो जाय जितना कि ट्रांस्पोर्ट वैहिकिल्स पर है तो यह कितना अनुचित होगा । यह देखने के लिये मैं सदन के सदस्यों के ऊपर छोड़ता हूं।

उनका दूसरा तर्क था कि बम्बई में जो कम्परेटिव रेट्स हैं उनको देख कर यहां पर लगाया जाय । इसके संबंध में उनको ग़लतफ़हमी है। बम्बई की सड़कों में और उत्तर प्रदेश की सड़कों में बहुत भेद है । वह स्वयं भी कह चुके हैं कि वहां की और यहां की सड़कों में कितना भेद है । बम्बई की सड़कें एसफाल्ट की सड़कें हैं.....

श्री नारायणदत्त तिवारी—शहर की सड़कों को छोड़ दीजिये।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—बम्बई की आम सड़कें जिनमें देहात की सड़कें भी सम्मिलित हैं वह उत्तर प्रदेश से कहीं ज्यादा अच्छी हैं। मैं अपने जिलों के संबंध में बतलाता हूं किराया से जो नौ झील को मोटर जाती है तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जब कि एक आध बस खराब न होती हो। पूर्वी जिलों में तो और भी सड़कों की दुर्दशा है.....

अधिष्ठाता—क्या आप अधिक समय लेंगे ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—मैं केवल दो मिनट लूंगा। इसके अलावा और भी स्थान उत्तर प्रदेश में हैं जिनकी सड़कें बहुत ज्यादा खराब हैं, ज्यादातर गड्ढ़ों से भरी हुई हैं और बुरी दशा में हैं। इन सब को एक स्थान पर नहीं लाते हैं और उनकी दशा सुधारने के लिये कुछ कार्य नहीं करते हैं तो उनकी बम्बई से तुलना करना एक बड़ी भारी भूल होगी और जब बंबई प्रान्त से हमारे यहां अधिक टैक्सेशन होगा तो वह किसी भी रूप में अनुचित नहीं होगा। बाक़ी राजा वीरेन्द्र शाह ने जो कुछ कहा उसके संबंध में मुझे बहुत कम कहना है । यह कह कर समाप्त कर दूंगा कि वह तो केवल इसलिये विरोध करते हैं कि यह टैक्सेशन का प्रश्न है । मेरे मित्र नारायण दत्त जी ने धमकी भी दे दी कि उनके पास बम्बई तथा अन्य स्थानों से निमंत्रण आ रहा है कि और जगहों के लोग मिल कर इसका विरोध करें ।

मैं उनको चुनौती देता हूं कि वह निमंत्रण को स्वीकार कर लें। हम मदांध होकर यह नहीं कहते हैं बल्कि जनता के सेवक हो कर कहते हैं। हमें कुछ करना है तो उनकी धमकी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने बहुत से निमंत्रण स्वीकार किये हैं और सरकार के विरोध में डंडे उठाये हैं, सत्याग्रह किये हैं और भूख हड़ताल की है। मेरा निवेदन यह है कि जो कुछ बन सके वह और कर लीजिये।

उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२

अन्न मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)——माननीय सभापति जी, मैं आज्ञा चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक १९५२ को सदन के सामने प्रस्तुत कर सकूं।

अधिष्ठाता——प्रश्न यह है कि क्या भवन की अनुमति है कि माननीय अन्न मंत्री उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट एंड एविक्शन, (संशोधन) विधेयक, १९५२ को पुरःस्थापित करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त——मैं उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन संशोधन विधेयक १९५२, को पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ३७२ पर)

आजमगढ़ जिले के कोतवाली तथा मधुबन थाने के इंचार्ज पुलिस अफसरों द्वारा हवालाती अभियुक्तों से दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में श्री रामसुन्दर पाण्डेय के प्रश्नों के विषय में विवाद

अधिष्ठाता——अब श्री रामसुन्दर पांडेय के प्रश्न "जिला आजमगढ़ के थाना कोतवाली तथा थाना मधुवन के इंचार्ज पुलिस अफसरों द्वारा हवालात के अभियुक्तों, स्त्रियों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार के संबंध में श्री राम सुन्दर पान्डेय द्वारा ११ तथा १८ जुलाई और २९ अगस्त, १९५२ ई० को पूछे प्रश्नों के विषय में वाद विवाद होगा।

माननीय सदस्य का ध्यान मैं नियम ४२ की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि आप अपना वक्तव्य बहुत संक्षेप में सामने रखें। उसके ऊपर कोई लम्बा भाषण देने का प्रयत्न न करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)——माननीय चेयरमैन साहब, आप के द्वारा मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को विवाद प्रस्तुत करने के लिये समय देने पर धन्यवाद देता हूं। चैयरमैन महोदय, मधुवन जिला आजमगढ़ और थाना कोतवाली के संबंध में ११ जुलाई सन् १९५२ ई० को जो सवाल किये थे उसके संबंध में माननीय गृह मंत्री ने जो उत्तर दिये थे वह बहुत ही असंतोषजनक थे। माननीय गृह मंत्री ने स्वीकार किया है कि थाना कोतवाली में २७ मार्च से ३१ मार्च तक चार दिनों तक लगातार १० आदमी एक छोटी सी कोठरी में रखे गये थे और उसी बीच में ४ आदमी और लाकर उसी में रखे गये थे जिसे मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जिला मैजिस्ट्रेट के हुकुम से वह उसमें जेलखाने से लाकर रखे गये थे। लेकिन जब पूछा गया कि जेलखाने से वहां लाकर कोठरी में न रख कर जांच पड़ताल की जा सकती थी तो गृह मंत्रीजी ने इसका जवाब ठीक से नहीं दिया और प्रश्न ३४ जिसमें यह पूछा गया था कि कुछ व्यक्तियों

को थाने की हवालात में लाकर उनको जंजीर से बांध कर मारा गया था तो माननीय गृह मंत्री ने इसको अस्वीकार किया । मैं भली प्रकार जानता हूं और साबित कर सकता हूं कि इन दोनों आदमियों को जेलखाने की हवालात में मारा गया था और वहां से जेलखाना आजमगढ़ में भेज दिया गया था लेकिन माननीय गृह मंत्री ने इसको अस्वीकार कर दिया कि वह जेलखाने में नहीं गये । जो आदमी मधुवन थाने में मारे गये थे और जेलखाने में जिनको भेजा गया था उनकी चिट्ठी जेलखाने के जरिये से मेरे पास आयी है । उन लोगों ने लिखा है कि हम लोगों को थाने की हवालात में जंजीर से बांध कर मारा गया और रुपया मांगा गया न देने पर जेलखाने भेज दिया गया और डाक्टर ने भी अपनी रिपोर्ट में चोट लिखा है। माननीय गृह मन्त्री ने इससे इन्कार कर दिया और कहा कि वह आदमी न थाने में लाये गये और न मारे गये और न जेलखाने भेजे गये वे सब बाहर हैं। इसके अतिरिक्त १८ जुलाई को जो प्रश्न किये गये थे उनके संबंध में जो उत्तर मिला उसमें कहा गया कि परगना हाकिम घोसी के यहां श्रीमती बन्धुई मल्लाहिन की दरख्वास्त पड़ी थी पर जांच करने पर आरोप निराधार पाये गये उसी प्रार्थनापत्र में लिखा गया था कि श्रीमती बसमतिया को भी मारा गया और चेयरमैन साहब मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि जब पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त दी जाती है तो हाकिम परगना और कलेक्टर साहब उस दरख्वास्त को जांच के लिये उन लोगों के पास भेज देते हैं जिन्होंने उसको मारा है । मैं अड़े अदब से कहूंगा कि जो जनता का रक्षक है वह भक्षक बन रहा है । मेरे पास दरख्वास्त की नक़ल मौजूद है उसको मैं पेश कर सकता हूं और अगर चेयरमैन साहब समय हो तो मेरे पास यह फाइल मौजूद है जिसे पढ़ कर सुना सकता हूं श्रीमती वसमतिया को भी धर्मदेवारे ही में मार कर छोड़ दिया जाता है उसकी भी दरख्वास्त पड़ी थी जिसकी प्रतिलिपि मेरे पास भी आयी है और अगर वक्त होता तो मैं पढ़कर सुनाता । चैयरमैन साहब श्रीमती बन्धुई मल्लाहिन के प्रार्थना पत्र में यह कहा गया है कि थाना मधुवन में हम को लाकर तीन दिन तक थाना की कोठरी में रखा गया है और वहां पर मारा गया है । अध्यक्ष महोदय, मुझे कहते शर्म आती है इसमें यह भी कहा गया है कि हमारे गुप्तांगों में मिर्च रखने की कोशिश की गई और इसी पत्र में यह भी कहा गया है कि हम लोगों को मजबूर किया जा रहा था कि जो क़त्ल हुआ है उसके मामले में एक प्रमुख आदमी का नाम बताओ और नाम स्वीकार करो। यह उन पुलिस वालों की कार्यवाही थी । यह सवाल जुलाई में किये गये थे और इनका उत्तर माननीय गृह मंत्री ने दिया था और इसके अतिरिक्त २५, जून १९५२ को जिलाधीश के यहां यह दरख्वास्त दी गयी और इसके लिये पुलिस अधिकारी यह स्वीकार नहीं करते हैं कि उन्होंने मारा। मेरे पास दरख्वास्त मौजूद है और मैं यह साफ कहना चाहता हूं और मैं यह साबित करना चाहता हूं कि वह दरख़्वास्त सिर्फ जिलाधीश ही के पास नहीं गयी बल्कि वह एस० पी० के पास भी गई और माननीय गृह मंत्री के पास भी आयी है लेकिन २ महीने के बाद भी अभी तक उस पर कोई इन्क्वायरी नहीं हुई है । वह कानिस्टिबिल जिसने रामप्रीत गोंड़ को मारा और ग़ैरक़ानूनी ढंग से मारा वह वहीं आज भी चैन की बंसी बजा रहा है और जिन्होंने उसके पक्ष में बयान दिया और हमदर्दी जाहिर की उनके खिलाफ तरह तरह की साजिशें की जा रही हैं।

चेयरमैन साहब, सब से बड़ी निर्मूल बात जिस पर ताज्जूब होता है और माननीय मुख्य मंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित हैं उन्होंने कहा था कि हम लाल फीते को खत्म करना चाहते हैं। आज माननीय मंत्री की तरफ इसके लिये सदन देखता है और ताज्जुब होता है कि आज भी ऐसी चीजें हो रही हैं। अभी अभी मेरे पास यह दरख्वास्त मौजूद है । मैंने खुद १५-७-५२ को लिखा था और ताजपुर के ९ किसानों की दरख़्वास्त की प्रतिलिपि भी मैंने माननीय गृह मंत्री के पास भेजी थी और किसानों ने उनके पास भी भेजी थीं। उन्होंने किसानों की दरख़्वास्त पर बनारस डिवीजन के जो डी० आई० जी० मिस्टर निगम हैं उनको जांच के लिये भेजा था। संयोग से गृह मंत्री जी के हुक्म से मैं भी उनके साथ मौजूद था । मैंने दो दिन तक उन किसानों की दरख़्वास्तों को जिनके बारे में माननीय गृह मंत्री जी इन्कार करते हैं, उनको उनके सामने

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]

लाने की कोशिश की लेकिन बसुमतिया, जगरनिया और बन्धो में से केवल एक जगरनिया वहां आ सकी जिसकी उम्र ७० साल की है और जो आंसू बहाती रोती हुई एक नदी को पार करने के बाद किसी तरह से पहुंची तथा जो बातें दरख्वास्त में थीं उसने कहीं वह इस सदन में कहना माननीय गृह मंत्री के लिये लज्जाजनक बात होगी।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि ताजपुर की जो दरख्वास्त है वह मेरे पास मौजूद है उसको अगर मैं पूरा पढ़ूं तो शायद दस मिनट लगें लेकिन थोड़ा सा हिस्सा उसका यह है कि "ताजपुर के श्री वजई की मूंछ उखाड़ ली गई और कटैया के राज बली अहीर को घोड़े की गरदन में बांध कर मीलों दौड़ाया गया। पवनी नाले पर बेहोश हो जाने पर भी उसे नहीं छोड़ा गया। यह है ताजपुर की घटना जिसको गृह मंत्री अपने उत्तर में स्वीकार करते हैं कि कोई चिट्ठी नहीं मिली और कोई पत्र नहीं मिला मैं माननीय गृह मंत्री से कहना चाहता हूं। उत्तर में कहा गया है कि जिला अधिकारियों के पास कोई दरख्वास्त नहीं दी गई है। ३-७-५२ को मैंने खुद उसकी प्रतिलिपि जिलाधीश आजमगढ़ को दी। मैं नहीं समझता कि लखनऊ और आजमगढ़ के बीच कौन सी ऐसी साजिश है कि वहां के दोनों थानेदार और कुछ कानिस्टबिल ऐसा काम करें और इस तरह से जनता के साथ अत्याचार करें और यहां सरकार को खबर भी न हो, ध्यान देने की तो बात में बाद आती है। यह मैं समझता हूं कि बड़ी शर्म की बात है। आज जो प्रश्न किया गया है जिसका उत्तर माननीय गृह मंत्री ने दिया है उससे बड़ी हंसी आती है। प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि १९ तारीख की रात को सरजूमल के यहां कोई डकैती नहीं हुई। उसको एक लाठी मारी थी। उसके लड़के अकलूभर को भाले से मारा था। लेकिन माननीय गृह मंत्री को यह पता ही नहीं है कि सरजूमल का लड़का अकलूभर कैसे हो सकता है और कहा जाता है कि वह सरजूमल के दरवाजे पर मारा गया। १९ तारीख को माननीय गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अकलूभर को मारा गया था और वह घायल हुआ। ठीक २० तारीख को सरजूमल अकलूभर को चारपाई पर लादे हुये थाना मधुवन में जाते हैं। २० को रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। २१ को थानेदार घटनास्थल पर जाते हैं और २२ को रिपोर्ट लिखी जाती है। इसे हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने माना है। अकलूभर २२ के बाद घोसी अस्पताल में लाया गया और १ महीने बाद उसकी मृत्यु होती है। ३२३ और ३२४ का मुक़द्दमा उन लोगों पर क़ायम होता है जिन्होंने अकलूभर को जान से मारा। मेरे पास इतनी फ़ाइल पड़ी हुई है थाना मधुवन के खिलाफ लेकिन फिर भी सरकार के अधिकारी उस सब इंसपैक्टर को स्वीकार करते हैं कि अच्छा है। मैंने प्रश्न किया था कि क्या पहले इन थानेदार अमीरहसन जैदी पर मुक़द्दमा चला था। चेयरमैन साहब, मुझे माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी पर तरस आता है और ताज्जुब होता है कि वह भी अपने नीचे वाले अधिकारियों के असर में आकर जैसा वे चाहते हैं वैसा उत्तर दे देते हैं। सन् ५१ में अमीरहसन जैदी, जिला आजमगढ़ में थाना पवई में थे। एक स्त्री के साथ वह व्यभिचार करते हैं और उसका उनके ऊपर मुक़द्दमा चलता है फिर उसके बाद जो आदमी गवाही देने को आने वाले थे उन्हे राजबली की तरह घोड़े में बांध कर दौड़ाया जाता है। उनके नाम महेश उपाध्याय और बैजनाथ तिवारी हैं, जिन्हें दौड़ाया गया और मारा गया। मार खाने की कारण स्टेशन तक जो ८-१० मील पड़ता है नहीं पहुंच सके जिसके कारण अय्याशी का केस खारिज हो गया। १३ अगस्त को आजमगढ़ में जब डी० आई० जी० बनारस आये और जांच के लिये मधुवन जाने वाले थे तो उन्होंने हमको बुलाया था और जिला मैजिस्ट्रेट आजमगढ़ ने डी० आई० जी० के सामने संयोगवश एस० पी० मौजूद थे, यह स्वीकार किया कि हां, अय्याशी संबंधी मुक़द्दमें को उन्होंने खारिज किया। पर यह माना कि चोरी कराने का मुक़द्दमा बिलकुल सही था। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि मुक़द्दमा किस तरह से खारिज हो गया। मैं इसे भी नहीं कहना चाहता कि कैसे इस्तग़ासा पुलिस के खिलाफ़ खारिज हो जाता है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिला मैजिस्ट्रेट ने भी निगम साहब से हम लोगों के सामने कहा कि यह सत्य है कि अमीर हसन जैदी ने बासूपुर

में एक आदमी के घर चोरी ३२ हजार की कराने में साजिश की थी। इसके बाद एस० पी० श्री जमुनाप्रसाद त्रिपाठी ने विभागीय जांच की और उसके बाद उस सब-इंसपेक्टर को लाइन सुपुर्द किया गया। उसके बाद उनका तबादला हुआ। दूसरे एस० पी० आये उनकी नजरों में अमीर हसन जैदी बहुत बढ़िया और सरकार परस्त थे। उन्हें फिर उस थाने में भेजा गया। जहां जा कर उसने औरतों को मारा है और उसने बजई की मूंछें उखाड़ी और राजबली को घोड़े की गरदन में बांध कर मीलों दौड़ाया गया और बेहोश हो जाने पर भी उन्हें नहीं छोड़ा है।

इन शब्दों के साथ मैं आपके जरिये माननीय गृह मंत्री से अपील करना चाहता हूं कि यह दुर्घटना मधुवन थाने और कोतवाली में होती है, ग़ैरक़ानूनी ढंग से होती है और मेरा ख्याल है कि लोकतांत्रिक सरकार के समय में ऐसी कार्यवाही होनी लज्जा की बात है जहां पुलिस ये कुकर्म करके चैन की बंसी बजाती है। यह हमारे गृह मंत्री जी के लिये और इस सरकार के लिये लज्जाजनक है। मैं आपके द्वारा अपील करना चाहता हूं कि हमारे और मंत्री जी के सामने एक ही कसौटी है और वह यह कि सरकार को चाहिये उसकी जांच के लिये एक मैजिस्ट्रेट नियुक्त करे। अगर यह बात जांच में सही साबित न हो तो माननीय गृह मंत्री जी, जो भी सजा मुझे देंगे मैं उसको स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। साथ ही साथ यदि अपराध साबित हो जाय तो जिन लोगों ने ये भयंकर अपराध किये हैं उसकी सजा उनको दे दी जाय।

गृह मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—माननीय अध्यक्ष महोदय, अब केवल १०-१२ मिनिट ही बचे हैं। मेरे लिये इतने कम समय में यह संभव नहीं है कि मैं उस लंबी चौड़ी तक़रीर का जवाब दे सकूं। इसलिये हमारे सामने जो बातें कही गयी हैं उनमें से केवल दो-चार मुख्य-मुख्य बातों का ही जवाब मैं दूंगा।

जो पहिले प्रश्नों की बाबत कहा गया उसके अतिरिक्त मैं देखता हूं कि इस समय इसी प्रकार का आज एक प्रश्न और किया गया था उसका भी हवाला दिया गया। मुझे मालूम नहीं था कि इस प्रश्न की बाबत भी कहा जायगा नहीं तो मैं उसकी फाइल ले आता वह मेरे पास थी। एक चीज जरूर है कि मैंने उसमें सरजमल का बयान देखा जिसके नीचे उसकी अंगठा निशानी मौजूद है। सरजूमल ने उसमें खुद तस्लीम किया है कि उसने थाने में रिपोर्ट २ दिन बाद की। जब वह खुद ही इस बात को तस्लीम करता है तो यह फिर कैसे कहा जा सकता है कि २८ तारीख को थाने जाने पर रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, जब तक यह न कहा जाय कि उसने जो बयान दिया है वह किसी वजह से ग़लत लिखाया है, सरजूमल खुद झूठ बोलता है। जो मेरे पास काग़जात हैं उनमें साफ लिखा हुआ है कि वह बयान सरजूमल का है और श्री राम-सुन्दर पांडे के सामने वह बयान हुआ है। बस इतनी ही बात में उसके मुताल्लिक कहना चाहता हूं।

अमीर हसन जैदी के बाबत कहा गया। मैंने पहिले भी कहा था कि उसके खिलाफ चोरी के मुक़द्दमे की हमारे पास कोई बात नहीं है न कोई उसका सबूत ही है। हां, उसके खिलाफ एक मुक़द्दमा रेप का जरूर चला था जो अदालत ने ख़ारिज कर दिया था। उसके ख़िलाफ अगर किसी को फिर भी शिकायत है तो मुक़द्दमा चला सकता है और फिर साबित न होने पर उसको भी अख्तियार होगा कि खुले मैदान में आकर वह भी डिफेमेशन का मुक़द्दमा चलाये। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

एक चीज मैं स्वीकार करता हूं जिसका श्री रामसुन्दर पाण्डेय ने जिक्र किया। प्रश्न संख्या २८ के उत्तर में मैंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत मेरे पास नहीं आयी यद्यपि वह शिकायत मेरे पास थी। यह सही है कि उन्होंने मुझे एक काग़ज दिया था जिसको मैंने उसी वक्त डी० आई० जी० को जांच के लिये भेज दिया था। इस ग़लती को मैं स्वीकार करता हूं। मैंने उसमें यह इच्छा प्रकट की थी कि इसकी डी० आई० जी० स्वयं जांच करें वह जांच श्री राम सुन्दर पांडेय से मिल कर करें। ठीक भी है अगर कोई अफीसर ग़लती करता है तो उसकी सजा उसको

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

मिलनी चाहिये । इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है कि ग़लती करने वालों को कोई सजा न मिले । डी० आई० जी० ने उसके मुताबिक श्री रामसुन्दर पाण्डेय को लिखा, जिन्होंने एक हफ्ते का टाइम मांगा । अतः डी० आई० जी० ने ६ अगस्त को सूचना दी कि वे १३ अगस्त को जांच के लिये आ रहे हैं । वह जांच दो दिन तक हुई और उन दोनों दिनों में श्री रामसुन्दर पांडेय उनके साथ रहे । ५-६ चीजों की जांच हुई जिसमें एक यह थी कि धर्मपुर दुबरी की तीन औरतें पीटी गई। जब ये जांच के लिये आये तो केवल जगरनिया ही मौजूद थी। दो औरतें किस वजह से चली गईं यह नहीं मालूम और एक हफ्ते में किस वजह से उनको जमा नहीं किया जा सका । जगरनिया ने यह साफ कहा कि उसको पीटा नहीं गया । बात यह थी कि एक जोखूमल का वहां क़त्ल हुआ था और यह ख़याल किया गया था कि वे औरतें उस संबंध में कुछ जानती हैं। जनगरनियां के बाबत भी यही ख्याल था कि वह उस विषय में कुछ जानकारी रखती है और उसको थाने पर बुलाया गया था। लेकिन बहरहाल जगरनिया बुलाई गई और उसने थाने पर सबके सामने कहा कि थाने में उसको किसी ने नहीं पीटा। एक बात हुई लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है लेकिन फिर भी अगर किसी ने कहा तो वह नामाकूल बात है। मैं कुछ और नहीं जानता लेकिन इतना किसी ने कहा, यह कहा जाता है कि मिर्चें पीस कर तैयार करो । यह बेहूदा बात है लेकिन इसके लिये कोई प्रमाण नही है । लेकिन उसके साथ वहां पर कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया सिवाय उसको एक पेड़ के नीचे बैठा दिया गया था । एक दूसरी मल्लाहिन थी। जहां तक उस दूसरी औरत को पीटने की बात है । वह मल्लाहिन थी वह पीटी नहीं गयी थी इतनी बात जगरनिया ने कही थी । अब कैसे माना जाय कि उसको पीटा गया । इसके बाद कुछ कहने का कोई सबूत नहीं है इस बात का कि कई औरतें पीटी गई थीं । एक चीज और वह यह कि एक साहब हिसामुद्दीन अन्सारी हैं। उनके संबंध में कहा गया कि उनसे पुलिस ने कोई प्रोनोट लिखवा लिया उन्हें प्रोनोट वापस किया गया लेकिन ८० रुपया पुलिस के पास इस वक्त भी रिश्वत की मौजूद है । लेकिन इसका भी कोई सबूत नहीं है । एक साहब थे रमजान डफाली । हिसामुद्दीन साहब का कहना है कि रमजान डफाली से कोई जमींन रेहन रखी और रमजान डफाली ने क्या किया, सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट साहब के सामने उसका प्रोनोट लिखवा लिया । सब-डिवीजिनल मैजिस्ट्रेट ने पुलिस से कहा कि जाकर उसको वापस कर दो। दो चार रोज के बाद उनको वापस कर दिया गया । अब इस बीच में ८० रुपये रिश्वत के लिये गये थे इसके लिये जांच में कोई बात साबित नहीं हो सकी, कोई शहादत नहीं दी गई कि उन्होंने रुपया लिये थे । हां, प्रोनोट लिखाया गया और वापस लिया गया । इसके बाद एक तेतरी नाम की मल्लाहिन का जिक्र आता है । तेतरी थी, उसकी एक लड़की थी, और उसके वहां एक बाबा जी थे और वहां पर कई आदमी आये । उस तेतरी मल्लहिन ने शिकायत की कि उसे पीटा गया, उसकी लड़की को पीटा गया और बाबा जी को गांव में पीटा गया, और जब तेतरी रिपोर्ट लिखाने आई तो उसके बदन पर चोट के निशान थे, लड़की के बदन पर चोट के निशान थे और बाबा जी के बदन पर भी चोट के निशान थे। गांव वालों का कहना था कि इन बाबा जी से इस मल्लाहिन का अनुचित संबंध था और यह बाबा जी उसके घर में घुसे हुये थे और उनको पकड़ कर लाया गया और कुछ मार-पीट जरूर हुई । मार-पीट के निशान थे और पुलिस ने रिपोर्ट पर गावों के कुछ लोगों का चालान किया उनमें से एक साहब थे मरजू पांडे और दूसरे साहब थे मरचू अहीर । उन दोनो में से किसी के बदन पर चोट के निशान नहीं थे । जब यह लोग जेल में गये तो एक साहब की आंख पर चोट के निशान थे और बाद को जब डी० आई० जी० वहां गये तो वहां उनको उन्होंने दिखलाया लेकिन यह बात उचित नहीं मालूम हुई कि गांव वालों ने उनको क्यों पीटा, और बाबा जी को क्यों पीटा। गांव वालों की बात में कुछ ज्यादती मालूम हुई । इसके बाद जब डी० आई० जी० ने यह हुक्म दिया कि जब तक पूरी रिपोर्ट उसके पास न आ जाय तब तक चालान न किया जाय । इस वक्त मामला रोक देता हूं ।

आखिर में, एक बिजयी साहब थे जिनके लिये कहा गया कि उनकी मूंछ उखाड़ ली गयी थी और दूसरे राजबली साहब थे उनको घोड़े के साथ बांध कर दौड़ाया गया । अगर किसी आदमी की मूंछ उखाड़ी जाय या किसी आदमी को घोड़े की पूंछ के साथ बांध कर दौड़ाया जाय तब कोई मामूली चोट नहीं हो सकती। अगर किसी को घोड़े की पूंछ के साथ बांध कर दो-चार मील दौड़ाया जाय और ज़मीन पर घिसकता रहे तो सारे बदन पर चोटें आयेंगी, उसका सर फट जायगा और जाने क्या क्या मुसीबतें आ जायेंगी। इसी तरह से अगर किसी की मूंछ उखाड़ ली जायगी तो उसके बदन पर काफी चोट आयेगी। डी० आई० जी० ने लिखा है कि जिस वक्त हम लोग जेल में गये तो उस आदमी के जिसकी बाबत कहा जाता है कि मूंछ उखाड़ ली गई उनके बदन पर एक जगह छिल गया था और आध इंच लम्बा और चौथाई इंच चौड़ा घाव उनके बदन पर था और दूसरे जिन्हें घोड़े से बांध कर दौड़ाने की बात है उनके मांस छिला था और एक इंच लम्बा और १/२ चौड़ा घाव था जिसको बाद में डाक्टर ने देखा और उनकी दवा की और डाक्टर का कहना है कि किसी हालत में भी यह मूंछ उखाड़ने के या घोड़े के साथ बांध कर दौड़ाने के निशान नहीं हैं। एक और बात है। २६ अप्रैल को या २७ या २८ अप्रैल को जब यह लोग पकड़े गये तो उनमें से किसी ने कहा कि मूंछ उखाड़ी गई या घोड़े से बांध कर दौड़ाया गया। असल बात यह है कि जिस मनुष्य का मैंने ज़िक्र किया तितरी मल्लाहिन वालो, उसमें सरजू पान्डे और मरचू अहिर, इन लोगों के एक दोस्त थे। जब वह लोग जेल में गये तो उसके बाद इन लोगों ने शिकायत की। एक साहब ने यह शिकायत की कि मुझको घोड़े से बांध कर दौड़ाया गया और एक साहब ने यह शिकायत की हमारी मूंछें उखाड़ी गयीं। उनके मुकदमें अदालत में हैं और मुझको इतनी स्वतन्त्रता नहीं कि मुकदमेबाजी के बाबत कह सकूं, जितनी स्वनंत्रता उधर के बैठने वाले किसी माननीय सदस्य को हो सकती है। लेकिन जहाँ तक इन बातों की जांच का ताल्लुक़ है मैं समझता हूं कि जिस तरह से डी०आई०जी० साहब ने जांच की, और यही नहीं कि थाने पर बैठ कर जांच करली, लोगों की शिकायत यह होती है कि थाने पर सब को बुला कर वहीं जांच हो जाती है, बल्कि वह गांव में गये और उन्होंने गांव में जा कर सब बातें सुनीं और कोई वजह नहीं है कि हम शक करें कि उन्होंने निश्पक्ष जांच नहीं की। उन्होंने जांच की और इस परिणाम पर पहुंचे कि मुकद्दमा चलाने की बात जो सोची जा रही है वह ठीक नहीं है। जो आरोप थे उनको ग़लत पाया। मुझे इस संबंध में इतना ही निवेदन करना है।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर सोमवार, ८ सितम्बर, १९५२, के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
५ सितम्बर, १९५२।

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये ५ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ..२६४..पर)

क्रम संख्य	कक्षा	छात्र वृत्तियों की कुल सं०	दर प्र० भा०		सहायता	
			रु०	आ.	कक्षा	रु० प्रति वर्ष
लड़कों के लिये						
१ हायर सेकेण्ड्री	११,१२	४५०	२०	०	०	..
२ कोड की धारा ३५(३)-डी	८,९,१०	२८८	१२	०	१०	..
			१२	०	९	..
			८	०	८	..
३ कोड की धारा ३५(७ ई०	८,९,१०	३३६	१२	०	१०	..
			१२	०	९	..
			८	०	८	..
	कुल जोड़	६२४	८	०	७	..
४ प्रतियोगिता द्वारा	६ से १० तक	८१८	८	०	६	..
लड़कियों के लिये						
५ हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में	६ से १० तक	१४०	१२	०	९,१०	..
			८	०	७,८	..
			६	०	६	
६ हिन्दुस्तानी– मिडिल परीक्षा पास लड़कियों के लिये	८ से १० तक	१५०	१२	०	९,१०	
			८	०	८	

क्रम संख्या		कक्षा	छात्र वृत्तियां की कुल सं०	दर प्र०	भा०	सहायता
७	लड़कों के लिये					
	जूनियर हाई स्कूल	६ से ८ तक	३२७	८	०	प्रत्येक कक्षा में
	लड़कियों के लिये	६ से ८ तक	२५०	५	०	,,
८	जूनियर हाई स्कूल लड़कों के लिये					,,
९	माडल स्कूलों में	६ से ८ तक	१८०	५	०	प्रत्येक कक्षा में
१०	माडल स्कूलों में प्राईमरी कक्षाओं में	१ से ५ तक	५६३	२ १ १	० ८ ०	४,५ .. २,३ .. १ ..
	लड़कियों के लिए					
११	प्राइमरी स्कूलों में	२ से ५ तक	९००	२ १	० ८	४,५ .. २,३ ..
	लड़कों के लिए					
	पुस्तकों के लिये	६ से १० तक ...		१८०००		५०
	पुस्तकों के लिये स्कूलों में			८०००		८ ०
	लड़कियों के लिए					
१३	किताबों इत्यादि तथा अन्य प्रकार की सहायता के लिये	..	..			७००० रु० प्रतिवर्ष
१४	डि० बो० व म्यू० बोर्ड की सरकारी छात्रवृत्तियां					
(१)	डि० बोर्ड जूनियर हाई स्कूल	६ से ८ तक	३०४२	५ रु०		प्रत्येक कक्षा में

क्रम संख्या	कक्षा	छात्र वृत्तियां की कुल सं०	दर प्र० भा०	सहायता
(२) डि० बोर्ड प्राइमरी स्कूलों में	२ से ५ तक	११०००	२ रु० कक्षा ४,५ ..	
			१ रु० कक्षा २,३ ..	
(३) डि० बोर्ड स्कूलों में किताबों के लिये	..	..	..	५२,५०० रु० प्रतिवर्ष
(४) गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों में किताबों के वितरण के लिये	..	..	..	७,००० रु० प्रतिवर्ष
(५) म्यू० बो० के जूनियर हाई स्कूलों में	६ से ८ तक	६६	५ रु० प्रत्येक कक्षा में ..	
(६) म्यू० बो० के, प्राइमरी स्कूलों में	२ से ५ तक	७८०	२ रु० कक्षा ४,५ ..	
			१ रु० कक्षा २,३ ..	
(७) म्यू० बो० स्कूलों में किताबों के लिये	..	..	..	१५,५०० रु० प्रतिवर्ष
हर प्रकार की छात्रवृत्तियों की कुल संख्या		१९,२९०	उन पर कुल व्यय ..	११,६१,९९०

नत्थी 'ख'

(देखिये ५ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

थाना	१९५० में हत्या की घटनायें			१९५१ में हत्या की घटनायें		
	रिपोर्ट हुई	चालान हुआ	दंड मिला	रिपोर्ट हुई	चालान हुआ	दंड मिला
ढेबरुआ	३	२	..	१	..	..
इटावा	२	१	१	..	..	..
तिलोकपुर	४	३	१	१	१	..

संसद पुस्तकालय भवन

नत्थी 'ग'

(देखिये ५ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न १७,१८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २६५ पर)

अपराध	वर्ष	अपराधों की कुल संख्या	उन अपराधों की संख्या जो सेशन्स भेजे गये	उन अपराधियों की संख्या जिन्हें सजा हो गई	उन अपराधियों की संख्या जो छोड़ दिये गये
डकैती	१९५०	७	३	..	२९
"	१९५१	१४	९	२७	१८
हत्या	१९५०	३३	२२	३७	९०
"	१९५१	३०	१७	१६	३२

नत्थी 'घ'

(देखिय ५ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ८२ का उत्तर पीछे प्रष्ठ २७९ पर)

No. A-2142/XV–3124-1947

FROM

DR. I. R. KHAN, PH.D. (LONDON),
JOINT SECRETARY TO GOVERNMENT,
UNITED PROVINCES,

To

THE DIRECTOR OF EDUCATION,
UNITED PROVINCES,
Dated Lucknow, November 1, 1949.

SIR,

WITH reference to the correspondence resting with your letter no. F (2)/6733/IV–62, dated October 5, 1948, I am directed to convey the sanction of the Governor to the enclosed scheme granting concessions to the political sufferers and their dependents who took part in the struggle for national freedom of 1942.

2. I am to point out that while the scholarships mentioned in paragraphs 13 and 14 of the scheme will be available for all children and dependents covered by the scheme, of scholarships mentioned in paragraphs 15, 16, 17, 18 and 19 of the scheme will be awarded on merit. I am also to say that expenditure in this connexion should, in no case, exceed the allotment made in the budget.

3. I am to request that the scheme may be circulated among all educational institutions and given publicity through the Press by issuing a Press Note giving in brief the gist of the scheme and inviting applications from deserving candidates with the prescribed procedure.

4. The charge will be debited to the head "37–Education–E–General Charges–(*c*) Scholarships–Men–

In Arts Colleges–For others.

In Secondary Schools–For others.

In Primary Schools–For others".

Yours faithfully,

I. R. KHAN,
Joint Secretary.

No. A-2142 (i)/XV—3124-1947

Copy forwaded for information to—

(1) All Commissioners of Divisions, United Provinces.
(2) All District Officers, United Provinces.
(3) All Regional Deputy Directors of Education, United Provinces.
(4) All Regional Inspectresses of Girls Schools, United Provinces.
(5) All District Inspectors of Schools, United Provinces.
(6) All Assistant Inspectresses of Girls Schools, United Provinces.
(7) All Chairman, Municipal Boards, United Provinces.
(8) All Presidents, District Boards, United Provinces.
(9) All Presidents, District Congress Committees, United Provinces.
(10) All Presidents, City Congress Committees, United Provinces.

By order,
I. R. KHAN,
Joint Secretary to Government,
United Provinces.

Finance Department

No. A-2142 (ii)/XV—3124-1947

Copy forwarded for information to the Accountant General, United Provinces, Allahabad.

By order,
N. C. RAY,
Assistant Secretary to Government,
United Provinces.

Scheme for the grant of stipends and educational facilities to the political sufferers and their dependents

Preamble

SEVERAL representations have been made to Government by persons who took part in the struggle for national freedom, for educational facilities for themselves and for their dependents in the shape of stipends, freeships and aid. Government considers that their cases stand on par with the soldiers of Great War of 1914–18 and the World War of 1939–45 as the personnel of struggle for national freedom has equally suffered and in many cases has lost his/her property and means of livelihood and deserves educational facilities on lines similar to those as have been provided for the soldiers of war in the scheme promulgated with Government Resolution no. 1860/XV–121-A-1917 and G. O. no. A-770/XV–197-1941, dated December 9, 1918, and March 18, 1942, respectively. Accordingly the following scheme has been prepared to provide educational facilities to the political sufferers for themselves and for their dependents who have their homes or domicile in the United Provinces. The restriction of residence or domicile in the United Provinces shall not apply to *bona fide* Hindu and Sikh refugees from Pakistan.

2. The term 'Political Suflerers' should be taken to mean only those persons who have undergone continuous imprisonment or detention of not less than six months or who lost part or whole of their property jobs or means of livelihood as a result of their participation in the "Struggle" and to *their dependents.* It also covers the children and dependents of such sufferers who have died in prison or detention, who have been killed in action, were awarded capital punishment, sentenced to transportation for life or have become permanently incapitated for example, due to firing, *lathi* charge, etc., on account of their taking part in the struggle for national freedom launched by the Congress. The sufferers of 1921, 1931 and 1942, movements are also regarded as soldiers of national freedom and will be entitled to all the benefits of this scheme.

3. The terms "Dependent" will mean to include legitimate children, step-children, a deceased son's children, fatherless nephew or neice and orphan brothers and sisters only.

Scheme

4. The scheme will apply only to the persons concerned and their dependents who have their homes or domicile in the United Provinces or are *bona fide* Hindu and Sikh refugees from Pakistan and will be applicable so long as they continue their studies satisfactorily.

5. All dependents of the political sufferers as defined in foregoing paragraph 2 who have died in prison or detention, killed in action, were awarded capital punishment, sentenced to transportation for life or have become permanently incapacitated due, for example, to firing, *lathi* charge, etc., shall be entitled to the benefits irrespective of their merit and shall be given perference over the dependents of other political sufferers. In other words the aforesaid kind of dependents will be allowed benefit first and if any benefit remains vacant after providing for them, it will be allowed to other political sufferers or their dependents in accordance with the conditions laid down hereinafter.

6. Every person claiming the benefits under this scheme for himself/herself or for his/her dependents shall apply every year by July 20 to the Collector of the district on the prescribed Form 'A' attached to this scheme with full particulars duly filled in. The Collector shall thereupon verify from the President, District or City Congress Committee, as the case may be, that the applicant is eligible for the stipend and shall thereupon grant a certificate in Form 'B' attached to this scheme by August 15.

7. The applicant shall be required to produce the certificate in Form 'B' granted under the preceding paragraph along with the application in Form 'A' to the head of the educational institution to which he/she seeks his/her or his/her dependent's admission or in which admission has already been made, by August 31. The head of the institution shall forward all cases with necessary recommendations on each to the authority mentioned in paragraphs 24 and 25 for decision by September 10.

8. The Collector, the head of institution and the authorities mentioned in paragraphs 24 and 25 will in no case entertain application after July 20, August 31, and September 10, respectively (except during the current year).

9. The stipends and concessions shall positively be awarded by the authorities mentioned in paragraphs 23, 24 and 25 by September 30.

10. The prescribed application Form 'A' will be available from the offices of the District Inspector of Schools and the Assistant Inspectress of Girls Schools of each district.

11. Copies of this scheme shall be sent to the Collectors of the districts, the District Inspector of Schools, the Assitant Inspectresses of Girls Schools, the heads of all institution—Schools, Colleges and Universities, Presidents of District and City Congress Committees, President of the Provincial Congress Committee, Regional Deputy Directors of Education, Regional Inspectresses of Girls Schools and Principals, Training Colleges for taking actions as required under this scheme.

12. (*a*) All political sufferers and their dependents mentioned in paragraph 4 shall be given special consideration in the matter of admissions and award of freeships and half freeships by all recognised Primary Basic Schools and Junior High Schools. All losses to schools on account of such freeships and half freeships will be supplemented by the Education Department. These fee-concessions will be over and above the limits prescribed in paragraphs 113, 114, 115 and 116 of the Educational Code.

(*b*) All political sufferers and their dependents shall be entitled to free seats in the hostels attached to the recognised Schools, Colleges or Universities and the loss of fee on this account shall be *supplemented* by the Education Department.

13. Thirty stipends of the value of Rs.5 per mensem each and tenable for a maximum period of *five years* (July—June) will be awarded annually to scholars reading in class *I* to *V* of a recognised *Primary Basic Schools*.

14. Thirty stipends of the value of Rs.8 per mensem each and tenable for a maximum period of 3 *years* (July—June) will be awarded annually to scholars reading in classes VI to VIII to the recognized *Junior High Schools* (and in middle sections or middle schools so long as the old nomenclature continues).

15. Twenty stipends of the value of Rs.12 per mensem each and tenable for a mixiumum period of 2 years (July—June) will be awarded annually to scholars who pass in all subjects and secure an aggregate mark of not less than 45 per cent. in the examination of Class VIII of the recognised Junior High School (or middle sections or middle schools so long as these continue) and are studying in classes IX and X of recognised High Schools *or Higher Technical Schools* (or the old High Schools and Intermediate Colleges or Intermediate Sections of Degree Colleges).

16. Thirty stipends of a value of Rs.20 per mensem each and tenable for a maximum period of 2 years (July—June) will be awarded annually to scholars who pass in all subjects and secure an aggregate mark of not less than 45 per cent. in the examination of class X of a recognized Higher Secondary School (or High School Examination so long as it continues) and are studying in classes XI and XII of a recognised Higher Secondary School (or Intermediate College of Degree Colleges).

17. Twenty-five stipends of the value of Rs.30 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the public examination at the end of the Higher Secondary School or Higher Technical School course or the Intermediate Examination or an equivalent examination recognised by the Board of High School and Intermediate Education, United Provinces or the Director of Education, United Provinces and will be tenable for a maximum period of 2 *years* (July—June) in the B. A., B. Com., B. Ag., B. Sc., or equivalent classes of the recognised Universities or Technical Institutes or Technical Universities in the United Provinces teaching Arts, Science, or Technical subjects.

18. Fifteen stipends of a value of Rs.35 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the examination of B. A., B. Com., B. Sc., B. Ag., or equivalent classes of the recognized Universities or Technical Institutes or Technical Universities in the Province teaching Arts, Science or technical subjects and will be tenable for a maximum period of 2 years (July—June) in Post-Degree classes of the above-mentioned institutions.

19. Three stipends of a value of Rs.50 per mensem each will be awarded annually in order of merit to scholars who pass the examination of M. A., M. Com., M. Sc., or equivalent classes of the recognized Universities or Technical Institutes or Technical Universities in the Province technical Arts, Science or technical subjects and will be tenable for a maximum period of 2 years (July—June) to such students who carry on research in any special subjects in the above-mentioned institutions.

20. Deserving students will also be allowed non-recurring grant for books, stationery and payment of examination fees, etc., at the rate of Rs.100, Rs.50, Rs.40, Rs.30, Rs.20, Rs.10, and Rs.5, in a year in Post-graduate, degree and classes XI and XII, IX and X, VI to VIII

IV and V and I to III respectively. This assistance will be admissible on consideration of pecuniary circumstances and property.

21. Holders of stipends under this scheme will not be debarred from holding any other scholarship or stipend tenable in the class in which they may be reading and awarded to them under any other scheme or by any other authority.

22. A concession or stipend under this scheme may be withdrawn, if in the opinion of the awarding authority the progress of the scholar is inadequate or his/her conduct unsatisfactory.

23. Admissions and fee concessions admissible under this scheme will be made and granted by the heads of the institutions under the rules in force admission and grant of fee concession for their institutions.

24. Stipends under paragraphs 13, 14 and 15 and non-recurring grant under paragraph 20* up to class XII of this scheme will be awarded by the District Inspector of Schools or the Regional Inspectresses of Girls School or the Principals, Training Colleges, United Provinces as the case may be on the recommendation of the head of the institution. Monthly stipend bills in respect of the above awards will also be countersigned by the aforesaid officers. Copies of all the awards will be forwarded to the Director of Education, United Provinces for watching the expenditure and maintaining the progressive expenditure under each paragraph.

25. Stipends under paragraphs 16 to 19 and non-recurring grant under paragraph 20* above upto class XII will be awarded by the Director of Education, United Provinces and monthly stipends bills relating thereto will be countersigned by him or by an officer authorised by him.

26. The District Inspector of Schools, the Regional Inspectresses of Girls Schools and the Principals of Training Colleges shall submit every year by September 30, paragraphwise list of all stipend holders and grantees of aid under paragraph 20* who may be continuing their studies in the next class, to the Director of Education, United Provinces for maintaining and watching the expenditure every year.

---

vide G. O. no. A/182/XV-3124-47, dated January 11, 1950

APPLICATION FORM 'A'

1. Name of Scholar.
2. Name of father.
3. Guardian's particulars :
   (*a*) Name.
   (*b*) Occupation.
   (*c*) Relationship to scholar.
4. Particulars of the Soldier of National Freedom :
   (*a*) Name.
   (*b*) Occupation.
   (*c*) Relationship to scholar.
   (*d*) Monthly income from all sources.
5. Nature of loss suffered with date and year as defined in paragraph 2 of the scheme.
6. Institution and class last attached.
7. (*a*) Institution and class in which reading.
   (*b*) Whether or not resides in hostel.
8. Name and result of last exmination with the year of passing it.
9. Age of Scholar.
10. Roll number of High School, Inter. or Degree Examination with the year of passing the same or percentage of marks obtained in class VIII or as the case may be.
11. Residence with full address.
12. Length of residence in the Uttar Pradesh. If refugee, mention the fact and quote registered number.
13. Special circumtances, if any.
14. Concession desired :
   (*a*) Stipends.
   (*b*) Cost of books.

Signature of Guardian.

Date of application.

Signature of Scholar.

Recommendation by the Head of the institution in which studying,

Certificate Form 'B'

Certificate and recommendation of the District Magistrate .....

CERTIFIED that (Scholar) aged is the legitimate child/step-child/deceased son's child/fatherless nephew or niece/orphan brother/orphan sister of ( ) who is/was political sufferer as he underwent continuous imprisonment/detention for years/months in the year 19 to 19 or died in prison or detention/killed in action/sentenced to capital punishment/transported for life/in 19 or became incapacitated due, for example, to firing, *lathi* charge, etc./has suffered loss of property for participation in the Struggle for National Freedom launched by the Congress.

Certified also that the said scholar is a resident of district in the United Provinces since birth/domiciled in the United Provinces. Registered Refugee from

The said scholar may be/may not be—

(*a*) awarded stipend.

(*b*) Non-recurring assistance for books, stationery, etc.

Dated

Signature of District Magistrate and Seal of Court.

नत्थी 'ङ'

(देखिये ५ सितम्बर, १६५२ के तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ २८१ पर)

एटा जिलान्तर्गत मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक पाठशालाओं की सूची

(अ) उन पाठशालाओं के नाम जिनमें ६ से १२ कक्षा तक शिक्षा दी जाती है :

१--राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा।
२--अविनाशी सहाय आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा।
३--श्री गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कासगंज, एटा।
४--महात्मा गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जलेसर, एटा।
५--सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंजडुडवारा, एटा।
६--ए० बी० आर० विद्यालय, मटियाली, एटा।
७--बनारसी दास आर० एस० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, राजा का रामपुर, एटा।

(ब) उन पाठशालाओं की सूची जिसमें १०वीं तक शिक्षा दी जाती है--

८--श्री गांधी स्मारक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा।
९--ए० बी० पी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कासगंज, एटा।
१०--आजाद गाँधी उच्चतर मध्यमिक विद्यालय, कासगंज एटा।
११--मिशन ब्वायज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा।
१२--मुन्नालाल गुलजारी लाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मरेहरा, एटा।
१३--तुलसीदास म्यूनिसिपल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सोरों, एटा।

(स) बालिकाओं के पाठशालाओं की सूची (केवल ९वीं व १०वीं कक्षा)

१४--राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा।
१५--प्रेन्टिस बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एटा।
१६--म्युनिसिपल बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कासगंज, एटा

नत्थी 'च'

(देखिये ५ सितम्बर, १९५२ के तारांकित प्रश्न ४४–४५ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८२ पर)

१९५१–५२ ई० ३० जून १९५२ ई० तक का सम्मिलित विवरण

१	२	३	४	५	६	७
कुल मुक़दमों की संख्या जो संराधन समितियों में भेजे गये।	कुल मुक़दमों की संख्या जिनमें समझौते हुये।	कुल मुक़दमों की संख्या जो एडजूडिकेशन में भेजे गये।	कुल मुक़दमों की संख्या जो प्रार्थियों द्वारा वापस लिये गये।	कुल मुक़दमें जो सरकार द्वारा अयोग्य समझे गये।	कुल मुक़दमों की संख्या जो प्रार्थियों के उपस्थित न होने के कारण दाखिल दफ्तर किये गये अथवा जिनमें बोर्ड नहीं बैठा।	औद्योगिक विवाद जिनमें अंतिम कार्यवाही नहीं हुई।
३२७५	७६८	३८७	७४६	१०७१	३०	२७३

नत्थी 'छ'

(देखिये ५ सितम्बर, १९५२ के अतारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे २८२ पृष्ठ पर)

थाने		सब-इन्सपेक्टर	हेड-कान्सटेबिल	कान्सटेबिल
१	नरेन्द्र नगर	२	२	१२
२	देव प्रयाग	२	२	१२
३	उत्तर काशी	१	१	१०
४	टिहरी	२	२	१२
पुलिस चौकी				
१	मुनी की रेती	..	२	१०
२	नगनी	..	१	६
३	किर्त्तो नगर	..	२	१०
४	राज गरही	..	१	६
५	बरासू	..	१	६
		७	१४	८४

सत्थी 'ज'

(देखिये पीछे पृष्ठ ३५० पर)

उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कण्ट्रोल आफ़ रेण्ट ऐण्ड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, में कुछ प्रयोजनों के निमित्त और अधिक संशोधन करने के लिये

विधेयक

क्योंकि सन् १९४८ ई० के यूनाइटेड प्राविंसेज (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन (अमेंडमेंट) ऐक्ट द्वारा यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, को जारी रखा गया था और उसकी अवधि ३० सितम्बर, १९५२, को समाप्त हो जायगी :

और क्योंकि उक्त अधिनियम को ३० सितम्बर, १९५४ तक जारी रखने की और आगे चल कर ज्ञात होने वाले प्रयोजनों के लिए उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है :

इसलिये निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) अधिनियम, १९५२, कहलायेगा।

(२) यह १ अक्तूबर, १९५२, से प्रचलित हो जायगा।

मूल अधिनियम की धारा १ का संशोधन।

२—यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, जिसको यहां आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १ की उपधारा (४) में अंक "1952" के स्थान पर अंक "1954" रखा जायगा।

२-क—मूल अधिनियम की धारा २ के खंड (a) के बाद निम्नलिखित खंड (aa) बढ़ा दिया जायगा—

"(*aa*) Commissioner includes an Additional Commissioner'..

मूल अधिनियम की धारा ३ का संशोधन।

३—मूल अधिनियम की धारा ३ इस धारा की उपधारा (१) के रूप में पुनः परिगणित की जायगी और

(क) शब्द "No suit shall" के पहले शब्द

"Subject to any order passed under sub-section (3)."

बढ़ा दिये जायेंगे

(ख) निम्नलिखित उपधाराएं (२) से (४) तक बढ़ा दी जायेंगी –

"(2) The party aggrieved by the order of the District Magistrate granting or refusing to grant the permission referred to in sub-section (1) may, within 30 days from the date of the order or the date on which it is communicated to him, whichever is later, apply to the Commissioner to revise the order.

(3) The Commissioner shall, as far as may be, hear the application within six weeks from the date of its making and if he is satisfied that the District Magistrate has acted illegally or with material irregularity or has wrongly refused to act, he may confirm or set aside the order of the District Magistrate.

(4) The order of the Commissioner passed under sub-section (3) shall subject to any order passed by the State Government under section 7-F be final."

मूल अधिनियम की धारा ३ ए का संशोधन

४—(१) मूल अधिनियम की धारा 3-A की उपधारा (१) में शब्द "sub-clause (ii) of clause 3" के स्थान पर under clause (2) or (3) रख दिये जायेंगे।

(२) उक्त धारा की उपधारा (२) के खंड (d) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :

"(*b*) If it is accommodation—

(i) falling under clause (2) or sub-clause (i) of caluse (3) of sub-section (*f*) of section 2, the principles therein set forth, and

(ii) falling under sub-clause (i) of clause (3) of sub-section (*f*) aforesaid, the principles set forth in clause (*a*) of sub-section (1) of section 6."

५—मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायगा :

"7. (1) (*a*) Every landlord shall, within 7 days after an accommodation becomes vacant by his ceasing to occupy it or by the tenant vacating it or otherwise ceasing to occupy it or by termination of a tenancy or by release from requisition or in any other manner whatsoever give notice of the vacancy in writing to the District Magistrate.

(*b*) Every tenant occupying accommodation shall within 7 days of vacation of such accommodation or ceasing to occupy it give notice thereof in writing to the District Magistrate.

(*c*) The notice given under clause (*a*) or (*b*) shall contain such particulars as may be prescribed.

(2) The District Magistrate may by general or special order require a landlord to let or not to let to any person any accommodation which is or has fallen vacant or is about to fall vacant.

(3) No tenant shall sub-let any portion of the occommodation in his tenancy except with the permission in writing of the landlord and of the District Magistrate previously obtained.

(4) The District Magistrate may, on application made to him by the landlord, require a prospective tenant of any accommodation in respect of which an order is made under this section to pay to the landlord an advance of rent equal :

(*a*) to one month's rent where the accommodation is to be let on a monthly basis, and

(*b*) to one-half of the yearly rent where the accommodation is to be let on a yearly basis.

Explanation—For purposes of this section the word "let" shall include the word "sub-let".

मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर नयी धारा रखना।

६—मूल अधिनियम की धारा 7-A और 7-B में जहां जहां भी शब्द और अंक "sub-section (1) of section 7" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "sub-section (2) of section 7" रख दिये जायंगे।

मूल अधिनियम की धारा ७-बी का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा 7-B की उपधारा (७) के प्रतिबन्धात्मक वाक्य के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा :

"or furnishes security to the satisfaction of the Court."

मूल अधिनियम में धारा ७ सी, ७ डी, ७ ई, ७ ऐफ़ और ७ जी का बढाया जाना।

८—मूल अधिनियम की धारा 7-B के बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जायगा :

"7-C. (1)When a landlord refuses to accept any rent lawfully paid to him by a tenant in respect of any accommodation the tenant may in the prescribed manner deposit such rent and continue to deposit any subsequent rent which becomes due in respect of such accommodation unless the landlord in the meantime signifies by notice in writing to the tenant his willingness to accept.

(2) Where any *bona fide* doubt or dispute has arisen as to the person who is entitled to receive any rent referred to in sub-section (1) in respect of any accommodation, the tenant may similarly deposit the rent stating the circumstances under which such deposit is made and may until such doubt has been

removed or such dispute has been settled by the decision of any competent Court, or by settlement between the parties, continue to deposit, in like manner, the rent that may subsequently become due in respect of such building.

(3) The deposit referred to in sub-section (1) or (2) shall be made in the Court of the Munsif having jurisdiction in the area where the accommodation is situate.

(4) On any deposit being made under sub-section (1) the Court shall cause a notice of the deposit to be served on the landlord, and the amount of deposit may be withdrawn by the landlord on application made by him to the Court in this behalf.

(5) When a deposit has been made under sub-section ( ) the amount of the deposit shall be held by the court for the benefit of the person who may be entitled to it and the same shall be payable to such person.

(6) In any case where a deposit has been made, as aforesaid, it shall be deemed that the rent has been duly paid by the tenant to the landlord.

7-D. (1) No landlord shall without just or sufficient cause cut off or with-hold any of the amenities enjoyed by the tenant.

(2) The tenant in occupation of an accommodation may, if the landlord has contravened the provisions of this section, make an application to the District Magistrate complaining of such contravention.

(3) If the District Magistrate on inquiry finds that the tenant has been in enjoyment of the amenities and that they were cut off or withheld by the landlord without just or sufficient cause, he shall make an order asking the landlord to restore such amenities.

(4) If the landlord fails to restore the said amenities within the time fixed by the District Magistrate it shall be competent for the District Magistrate to direct that the tenant may have such amenities restored and the cost thereof may be deducted from the rent which is payable to the landlord.

7-E. (1) Every landlord shall be bound to keep the accommodation in the occupation of a tenant wind-proof and water-proof and to carry out other repairs which he is bound to make by law, contract or custom .

(2) In sub-section (1), repair includes annual white-washing, recolouring and periodical repairs.

(3) If the landlord fails to carry out annual white-washing, recolouring and periodical repairs, the tenant may by notice require him to carry out the same within one month from the date of notice. If the landlord fails to do so within the period as aforesaid, the tenant may himself carry out the same at a cost not exceeding one month's rent for the accommodation and deduct the amount from the rent ;

(4) If the landlord neglects to carry out any repairs, other than annual repairs, which he is bound to make to the accommodation by law or contract, the tenant may apply to the Munsif having jurisdiction for an order to the landlord for carrying out the same The Munsif shall cause a notice to be served on the landlord to appear and show cause, within such time as may be fixed, against the application.

(5) If the landlord does not appear in obedience to the notice or if he appears but fails to satisfy the Munsif as to why he should not be directed to carry out the repairs or such of them as he finds the landlord is bound to make, the Munsif shall direct him to carry out the same within a time to be fixed.

(6) If the landlord still fails to carry out the repairs in accordance with the direction under sub-section (5), the Munsif may require the tenant to submit an estimates of the cost of such repairs and after considering the estimate and taking such other evidence, as he may consider necessary permit the tenant to carry them out at a cost not exceeding such amount as may be specified in the order and to recover such cost from the landlord. It shall thereafter be lawful for the tenant to make such repairs and to deduct the cost thereof from the rent or to recover it otherwise from the landlord as if it were a debt due to him by the landlord.

(7) No order for carrying out of repairs under sub-section (5) shall be made if the Munsif is satisfied that the repairs involved were due to the fault of the tenant.

(8) An appeal shall lie from the order of the Munsif under seb-section (5) or (6) as if it were a decree and the order passed in appeal shall be final.

7-F. The State Government may call for the record of any case granting or refusing to grant permission for the filing of a suit for eviction referred to in section 3 or requiring any accommodation to be let or not to be let to any person under section 7 and may make such order as appears to it necessary for the ends of justice.

7-G. (1) For purposes of any inquiry under this Act, the District Magistrate may—

(*a*) enter, inspect or authorise any officer subordinate to him to enter and inspect any accommodation at any time between surise and sunset ; or

(b) by written order require any person to produce for his inspection such rent receipts, books or other documents relevant to the enquiry at such time and at such place specified in the order :

Provided that no premises shall be entered under clause (*a*) without the consent of the occupier, unless at least 24 hours previous notice in writing is been given.

(2) The District Magistrate shall in so far as such powers are necessary for carrying the different provisions of this Act, have power to summon and enforce the attendance of witness and to compel the production of and so far as may be in the same manner as is provided in the case of a Court under the Code of Civil Procedure, 1908.

उद्देश्य तथा कारण

यू० पी० (टेम्पोरेरी) कंट्रोल आफ़ रेंट ऐंड एविक्शन ऐक्ट, १९४७, ३० सितम्बर, १९५२ को समाप्त हो रहा है। नागरिक क्षेत्रों में जनता की संख्या बढ़ती जा रही है, और इस बढ़ाव के साथ नये निर्माण के कार्यों में प्रगति नहीं हो रही है। राज्य के सब बड़े नगरों में निवास-स्थान की अभी बहुत कमी है। नये निवास-स्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये १ जनवरी, १९५१ के बाद बने हुए घरों को उक्त ऐक्ट के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था किन्तु इससे स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं हुआ। अतएव यह आवश्यक है कि उक्त ऐक्ट की अवधि को अगले दो वर्षों के लिए और बढ़ा दिया जाय।

उक्त ऐक्ट को उपयोग में लाने पर कुछ त्रुटियां मालूम हुई हैं। विभिन्न नियंत्रणों के उपयोग के सम्बन्ध में विचार करने के लिये कंट्रोल्स इन्क्वायरी कमेटी नियुक्त की गयी थी। उक्त कमेटी ने त्रुटियों को दूर करने एवं गृह सम्बन्धी निवास-स्थान के नियंत्रणों को और कड़ा करने के लिए सिफ़ारिशें की हैं। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकृत कर लिया है। एतएव उक्त ऐक्ट में आवश्यक संशोधन करने के विचार से उत्तर प्रदेश (अस्थायी) कंट्रोल आफ रेंट ऐंड एविक्शन (संशोधन) विधेयक, १९५२ प्रस्तुत किया जा रहा है।

चन्द्रभानु गुप्त,
स्वास्थ्य तथा खाद्य मंत्री।

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—८७ एल ए—१९५२—८५०